खण्ड-205, अंक-4
गुरूवार, 8 श्रावण, शक संवत् 1881
(30 जुलाई, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 205 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ३० जुलाई, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७६

अक्षयवर्रासिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय , श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खर्बासिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री

गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्वेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्न विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पद्मरराम, श्री

परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भूवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद , श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुज़फ्फर हुसन, श्री
मुनींद्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पान्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री

राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन , श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री

श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुगीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ३० जुलाई, १९५९

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत निर्धारित तरांकित प्रश्न]

हैंड लूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मुबारकपुर के पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*१—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय** (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ के पदाधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अवैध कामों के विरुद्ध स्थानीय जनता की दस्तखत से २-४-५८, १२-६-५८ तथा ४-१-५९ को आवेदन-पत्र क्रमशः एडीशनल डाइरेक्टर उद्योग, मुख्य मंत्री एवं डाइरेक्टर, उद्योग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई?

श्रम उप-मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—श्री मोहम्मद यूसुफ द्वारा लिखित दिनांक २ अप्रैल, १९५८ का एक आवेदन-पत्र उपनिबन्धक औद्योगिक सहकारी समितियां, कानपुर तथा श्री मोहम्मद हसन द्वारा लिखित दिनांक १२ जून, १९५८ का एक आवेदन-पत्र मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त हुए हैं। दिनांक ४ जनवरी, १९५९ का कोई आवेदन-पत्र उद्योग संचालक को नहीं प्राप्त हुआ परन्तु एक आवेदन-पत्र दिनांक २८ नवम्बर, १९५८ का श्री मोहम्मद

यूसूफ द्वारा लिखा हुआ निबन्धक सहकारी समितियां, लखनऊ को भेजा गया था जो निबन्धक ने प्रार्थी को वापस कर दिया था, जिसे प्रार्थी ने ८ जनवरी, १९५९ को उद्योग संचालक को पुनः भेजा है ।

उपरोक्त आवेदन-पत्रों पर जांच जारी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या उद्योग मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सवा साल से पड़ी हुई दरख्वास्त की जांच अभी तक क्यों नहीं हुई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---श्रीमन्, सहकारी समितियों में सरकारी हस्तक्षेप की एक सीमा है । जो जांच हमारे सामने है उसमें ऐसी बातें हैं जो सहकारी नियमों और उप-नियमों के अन्तर्गत ही करवानी होती हैं । इन कारणों से देर हुई । मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इसका निर्णय शीघ्रातिशीघ्र करना चाहते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन दरख्वास्तों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है और क्या दरख्वास्त देने वाले को भी दरख्वास्त की जांच के समय बुलाया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है उद्योग विभाग के जिला अधिकारी उसकी जांच सहकारी समिति के उपनिबंधक की देख-रेख में कर रहे हैं । दूसरे प्रश्न के संबध में यह बात है कि अगर शिकायत के संबध में सबूत की आवश्यकता पड़ी तो जरूर उनको बुलाया जायगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पत्र में मुख्य मुख्य शिकायतें क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष---यदि उसको आप संक्षेप में बता सकें तो ठीक है वरना बहुत लम्बे जवाब के लिये मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---हिसाब किताब और सामान की गड़बड़ी है यही सब उसमें लिखा हुआ है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायगे कि इन्हीं शिकायतों के बारे में सरकार ने आजमगढ़ जिले के उद्योग अधिकारी को भी लिखा था कि जांच करें ? उन्होंने जांच की, लेकिन कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जांच होने पर तो कार्यवाही की ही जाती है । जांच पूरी करने की कोशिश की जा रही है । हरएक को समान अधिकार है इसलिये सब को मौका दिया जा रहा है । साबित होने पर जरूर कार्यवाही की जायगी ।

[३० जुलाई, १९५९ के लिए निर्धारित प्रश्न]

सम्पूर्णानन्द सरस्वती भवन, रतसड़ को अनुदान देने पर आपत्ति

*१---**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया) **तथा श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी)---क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिला अन्तरिम परिषद् ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास कर जिले के अधिकारियों तथा परिषद् की सम्मति के बिना सरकार द्वारा सम्पूर्णानन्द सरस्वती भवन, रतसड़ को अनुदान देने पर खेद प्रकट किया है ?

नियोजन उप-मंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)---जी हां ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सम्पूर्णानन्द सरस्वती भवन को अनुदान किसलिये दिया गया था और क्या स्थानीय रूप से इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती ?

श्री सुल्तान आलम खां---श्री सम्पूर्णानन्द सरस्वती भवन तालीमी है। इसके अलावा वहां यह भी बंदोबस्त किया जा रहा है कि वहां संस्कृत रिसर्च का इन्तजाम हो। इस वजह से यह मुनासिब समझा गया कि यह ग्रान्ट दी जाय।

श्री गौरीशंकर राय---क्या उस जिले में और भी कोई ऐसी संस्था है जिसको बिना जिला अधिकारियों और जिला परिषद् की सम्मति के अनुदान दिया गया हो ?

श्री सुल्तान आलम खां---जब दरख्वास्त आयी तो जिलाधीश, बलिया के पास भेजी गयी उसने जोरदार सिफारिश की थी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या नियोजन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्णानन्द सरस्वती भवन का कोई ट्रस्ट है ? यदि है, तो उसके ट्रस्टी कौन कौन हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां---इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री गौरीशंकर राय---अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रश्न को जरा देखें. प्रश्न में लिखा है "क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिला परिषद् ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास कर जिले के अधिकारियों तथा परिषद् की सम्मति के बिना सरकार द्वारा सम्पूर्णानन्द सरस्वती भवन, रतसड़ को अनुदान देने पर खेद प्रकट किया है ?" जब अन्तरिम जिला परिषद् में प्रस्ताव पास हुआ तो उस समय जिले के सभी अधिकारी वहां मौजूद थे और माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि जिले के कलेक्टर ने बड़ी जोरदार सिफारिश की है, तो इन दोनों में कौन सही है ?

श्री सुल्तान आलम खां---मैंने जैसा कि अर्ज किया, जिलाधीश के पास दरख्वास्त भेजी गयी और उन्होंने इसके लिये सिफारिश लिखी। सरकार को यह अख्तियार है कि वह खास सूरतों में बगैर जिला परिषद् की राय मांगे हुए भी अनुदान को मंजूर कर सकती है।

श्री अध्यक्ष---लेकिन आपने जो जवाब 'जी हां' दिया उसका मतलब यह होता है कि जिला अधिकारियों से भी नहीं पूछा गया और जिला परिषद् से भी नहीं पूछा गया और बगैर पूछे हुए ही उसे अनुदान दे दिया गया।

श्री सुल्तान आलम खां---मैंने इसलिये 'जी हां' कहा कि उन्होंने फरमाया जिला परिषद् और जिला अधिकारियों के पास से कोई सिफारिश नहीं आयी। लेकिन मेरा मतलब यह था कि वहां कोई ऐसा प्रस्ताव ही नहीं पास हुआ जो सरकार के पास आया होता।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्णानन्द सरस्वती भवन किस किस कार्य का संचालन करता है और जो ग्रांट दी गयी है वह कहां खर्च हुई है ?

श्री सुल्तान आलम खां---यह रुपया इसलिये दिया गया कि उसकी ऐक्टिविटीज बढ़ रही थी और उसकी इमारत के लिये रुपये की जरूरत थी और इमारत के बारे में भी जब यह मालूम हुआ कि १३ हजार रुपये की इमारत बन चुकी, उस वक्त यह ५ हजार रुपये का अनुदान उसको दिया गया।

आजमगढ़ जिले की सदर तहसील में कुओं के लिये तकावी

*२—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की सदर तहसील को कुयें की तकावी के लिये कितना धन १९५८-५९ में सरकार से मिला ?

श्री सुल्तान आलम खां—आजमगढ़ जिले की सदर तहसील को १९५८-५९ में कुयें की तकाबी के लिए १,०५,७६५ रुपया सरकार से मंजूर हुआ।

*३—श्री विश्रामराय—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपर्युक्त रकम में से कितनी रकम अब तक किसानों में वितरित की जा चुकी है ?

श्री सुल्तान आलम खां—उपर्युक्त कुल रकम किसानों में वितरित की जा चुकी है।

श्री विश्रामराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इनमें से कितने कुयें तैयार हो गये हैं और कितने बाकी हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसके लिये तो सूचना की जरूरत होगी, लेकिन जब रुपये दिये गये हैं और वे तकसीम भी हो गये तो आशा की जाती है कि कुएं वक्त के अन्दर बन गये होंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के जिलाधीश ने सदर तहसील और दूसरी तहसीलों के अन्दर कुओं की तकावी के लिये सरकार के पास अपनी सिफारिशें भेजी हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—७५ हजार रुपये आजमगढ़ की सदर तहसील को कंसोलिडेशन स्कीम से दिया गया है, कुछ ब्लाक डेवलपमेंन्ट स्कीम से दिया गया है, इसके अलावा ४० हजार रुपये माइनर इर्रीगेशन के सिलसिले में दिया गया है । इसमें से सदर तहसील को कुछ एलाट नहीं किया गया ह ।

शाहजहांपुर जिले के केन क्रशर्स पर मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू करने की प्रार्थना

*४—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में कितने ऐसे cane crushers चल रहे हैं जिनमें दस से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—७० ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो ७० क्रशर्स लगे हुए हैं और उनमें १० से अधिक मजदूर काम करते हैं, तो उन मजदूरों के सुभीते के लिये फैक्टरी ऐक्ट के मातहत जो सुविधायें हैं वे दी जा रही हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—१० से ऊपर के क्रशर पर फैक्टरी ऐक्ट लागू होता ही नहीं । नियमानुसार जहां फैक्टरी ऐक्ट लागू होता है वहां ये सुविधायें हैं ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि केन क्रशर्स पर मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मिनिमम वेजेज के जो शिड्यूल दिये गये हैं उसमें केन क्रशर्स शामिल नहीं हैं, इसलिये उन पर उस ऐक्ट के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न को सूचना मानकर उस शिड्यूल में इसको शामिल कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सूचना की बात नहीं है। वह ऐक्ट केन्द्रीय पार्लियामेंट का है और यह हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है कि हम उसमें तरमीम करें।

सेलेक्शन ग्रेड के आबकारी निरीक्षकों में पिछड़ी जाति के लोगों का न होना

*५---श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)---क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में, इस समय कुल कितने ऐसे आबकारी निरीक्षक काम कर रहे हैं जो सेलेक्शन ग्रेड (Selection Grade) पा चुके हैं और उनमें अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लोगों की क्या संख्या है ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)---२१ आबकारी निरीक्षक। इनमें अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति का कोई नहीं है।

श्री रामसूरतप्रसाद---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन २१ सेलेक्शन ग्रेड पाये हुये लोगों में से कोई अनुसूचित जाति का नहीं है इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम---सेलेक्शन ग्रेड में आबकारी निरीक्षक मेरिट पर लिये जाते हैं और मेरिट में अनुसूचित जाति का कोई नहीं आ सका इसलिये उनके लेने का सवाल नहीं होता।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पूरे विभाग में अनुसूचित व पिछड़ी जाति के प्रतिनिधि बहुत कम हैं आगे स्थायी सुपरिंटेंडेंट व इन्सपेक्टर जो लिये जायंगे उनमें इन जातियों के लोगों के साथ रियायत की जायगी ताकि उनका भी उचित प्रतिनिधित्व हो सके ?

डाक्टर सीताराम---जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पबलिक सर्विस कमीशन से होता है उसमें एक्साइज इंसपेक्टर १२०---३३० के ग्रेड में लिये जाते हैं। जहां तक हरिजनों की बात है उनका रिजर्वेशन है, लेकिन पिछड़ी जातियों के लिये कोई रिजर्वेशन का प्राविजन नहीं है। परन्तु जहां तक सुपरिंटेंडेंट का सवाल है वह मेरिट से लिये जाते हैं इसलिये रिजर्वेशन की बात उचित न होगी।

एटा जिले में हिंसक पशुओं के आतंक की शिकायत

*६---श्री भूपकिशोर (जिला एटा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में १-२-५९ से ३-३-५९ तक कितने मनुष्य जंगली जानवरों द्वारा खा लिये गये हैं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---एक भी नहीं।

*७---श्री भूपकिशोर---क्या इन जानवरों का वध करने का कोई उपाय अब तक किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न नहीं उठता।

श्री भूपकिशोर---क्या सरकार मेरी सूचना को सही मानकर कि कई बालकों को जंगली जानवरों ने खा लिया है, इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगर किसी खास जगह का जिक्र हो कि फलां जगह फलां गांव या तहसील में किसी बालक को जंगली जानवर ने खा लिया है तब तो जांच कराई जाय। जिले भर में सब जगह कहां तक जांच कराई जा सकती है।

श्री भूपकिशोर---गढ़िया धौकल, थाना अलीगंज में एक १२ वर्ष के बालक को दिन में जंगली जानवर ने खा लिया....

श्री अध्यक्ष---आप लिखित भेजें ।

श्री भूपकिशोर---क्या मंत्री जी इस घटना की जांच करायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आप लिखित दें तो पता लगाने की कोशिश की जायगी ।

माफ की गई तकावी वसूल करने की शिकायत

*८---श्री टीकाराम (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील गुन्नौर, जिला बदायूं में सन् १९४६ की सिंचाई के कुओं की तकावी जो १९५१-५२ में माफ की जा चुकी थी वह अब सन् १९५८-५९ में फिर वसूल की जा रही है ? उसका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

यातायात विभाग के आर० टी० ओज की गाड़ियां पुलिस विभाग के ड्राइवरों द्वारा चलाने पर आपत्ति

*९---श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सत्य है कि यातायात विभाग के आर० टी० ओ० लोगों को उनकी व्यक्तिगत गाड़ियों को चलाने के लिये पुलिस विभाग के ड्राइवर कार्य करते हैं ?

डाक्टर सीताराम---जी हां। अगस्त, १९५७ के निर्णयानुसार आर० टी० ओज० से सरकारी गाड़ियां वापस ले लिये जाने के उपरान्त केवल चेकिंग के समय उनकी व्यक्तिगत गाड़ियों को पुलिस ड्राइवर चलाते थे ।

*१०---श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सत्य है कि पुलिस विभाग ने इन ड्राइवरों को लौटाने की मांग की है ? अगर हां, तो इसमें क्या बाधा है ?

डाक्टर सीताराम---जी हां। अप्रैल, १९५९ में इस प्रकार की मांग प्राप्त हुई थी। पुलिस विभाग के सब कर्मचारी वापस कर दिये गये हैं ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आर० टी० ओज० की गाड़ियों को जब पुलिस विभाग के ड्राइवर चलाते हैं और वे प्राइवेट गाड़ियां समझी जाती हैं तो आर० टी० ओज० माइलेज भी लेते हैं और पुलिस विभाग के ड्राइवर डी० ए० आदि भी लेते हैं तो यह दुगुना खर्च सरकार का इस अवधि में क्यों होता रहा ?

डाक्टर सीताराम---वह थोड़े दिनों के लिये ही थे, अब चूंकि उनकी गाड़ियां वापस ले ली गई हैं, उन ड्राइवर्स का रखना इसलिये जरूरी था कि वह वर्दी में हुआ करते थे और उनको ट्रक्स व लोगों को रोकने की जरूरत पड़ती थी, इसलिये एक्स्ट्रा टी० ए० का सवाल नहीं है जैसे पहले मिलता था वैसे ही अब भी मिलता है ।

श्री गौरीशंकर राय---थोड़े दिन तक ही यह दोनों खर्च जो गैर-कानूनी हैं वह क्यों होते रहे ? इसका कारण क्या है ?

डाक्टर सीताराम---दुबारा खर्च का तो प्रश्न नहीं उठता। जिस तरह से वह पहले आर० टी० ओ० के साथ किया करते थे वैस ही इनके साथ करते रह ।

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, स्पष्ट नहीं हुआ, मैं जरा सफाई चाहता हूं। प्रश्न मेरा यह है कि आर० टी० ओ० जब प्राइवेट गाड़ी से जांच करते हैं तो उन्हें माइलेज मिलता है और उस प्राइवेट गाड़ी को जो पुलिस ड्राइवर चलाता है वह भी अपना दैनिक भत्ता लेता है तो यह डुप्लीकेशन है। यह गैर-कानूनी है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है ?

डाक्टर सीताराम---इस बारे में तो मुझे इत्तला नहीं है, इसकी मैं जांच कर लूंगा।

*११-१२---श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)---[२७ अगस्त, १९५९ के लिए स्थगित।]

खीरी जिले के एक जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध घूसखोरी की शिकायत

*१३---श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९५९ से अब तक जिला खीरी के कितने मैजिस्ट्रेटों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार के पास आई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---केवल १ गुमनाम शिकायत एक मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध आई जिस पर अभी जांच की जा रही है।

*१४---श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि ऐसी कितनी शिकायतें मैजिस्ट्रेटों के विरुद्ध प्राप्त हुईं जिनकी डी० वाई० एस० पी० कम्पलेंट ने जांच की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गजटेड आफिसरों के विरुद्ध डी० वाई० एस० पी० (कम्पलेंट) जांच नहीं कर सकते। इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस एक किसी मैजिस्ट्रट के खिलाफ शिकायत बताई गई है, यह जुडीशियल मैजिस्ट्रेट हैं या आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं या कोई डिप्टी कलेक्टर हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जुडीशियल मैजिस्ट्रेट हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के खिलाफ यह शिकायत आई है वह लखीमपुर में कब से हैं और इस समय हैं कि नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कब से हैं यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा खयाल है कि इस वक्त हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस जुडीशियल मैंजिस्ट्रेट के खिलाफ किस प्रकार की शिकायत आई हुई है और उसकी जांच कौन कर रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---शिकायत रिश्वत की है और जांच कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जुडीशियल मैंजिस्ट्रेट कौन हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं समझता हूं कि जब तक कि बात और आगे न बढ़े तब तक नाम बताना ठीक न होगा।

*१५-१६---श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---[न्याय मंत्री से सम्बन्धित प्रथम शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ११२-११३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गांजा और भांग का तस्कर व्यापार रोकने की प्रार्थना

*१७--श्री मदन पांडेय(जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ और १९५८-५९ में क्रमशः राज्य में गांजा और भांग की कितनी दुकानें थीं तथा उनसे कुल आमदनी सरकार को कितनी हुई ?

डाक्टर सीताराम--वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में गांजा-भांग की क्रमशः १६२, ९७३ दूकानें थीं जिनसे सरकार को २२,८६,३९३ रुपये की कुल आमदनी हुई। वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में गांजा-भांग की क्रमशः१,६२,९६९ दुकानें थीं और सरकार की इनसे लगभग २३,५६,३४१ रुपये की कुल आमदनी हुई।

*१८--श्री मदन पांडेय---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त गांजा और भांग के दुकानदारों ने कुल कितने मूल्य का गांजा और भांग उपरोक्त वित्तीय वर्षों में सरकार स खरीदा ?

डाक्टर सीताराम---सरकार दूकानदारों को गांजा और भांग नहीं बेचती है।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इन दुकानों की संख्या में कितनी कमी या वृद्धि की जा रही है ?

डाक्टर सीताराम---जहां तक गांजे का प्रश्न है, वह १ अप्रैल, १९५६ से पीना वर्जित है। सिर्फ उन्हीं लोगों को गांजा पीने की अनुमति मिलती है जिन्हें मेडिकल आफिसर रिकमण्ड करे और कलेक्टर परमिट दे। इसलिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वृद्धि करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दुकानें इस प्रकार से ठेके पर दी गई हैं, उनको गांजे की सप्लाई किस जरिये से होती है और इन वित्तीय वर्षों में कितने मूल्य को हुई है ?

डाक्टर सीताराम---गांजा तो हर एक वेयरहाउस ने पहले का स्टाक में रखा है और यह उन्हीं को दिया जाता है जिनको कि जिले की लाइसेंसिंग कमेटी या एडवाइजरी कमेटी रिकमन्ड करती है और तब जाकर कलेक्टर उस आदमी को बेचने के लिये अनुमति देते हैं। जहां तक यह पूछा गया कि कितने रुपये का बेचा गया, इसके बारे में मेरे पास अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह गांजा, भांग जिन जिलों में खुदरो पैदा होता है लाखों मन और फिर वह इधर से उधर बिकता है उसकी रोकथाम के लिये सरकार कोई विचार कर रही है या उस पर कब्जा करने के लिये कोई विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---भांग वाइल्ड फार्म में तराई एरिया में पैदा होती है और इसकी कभी-कभी स्मगलिंग भी हो जाती है। इसको रोकने के लिये प्रान्त में ५ सर्किल्स बनाये गये हैं, गोरखपुर, इलाहाबाद, झांसी, अलीगढ़ और मुरादाबाद, वहां पर स्टेशन आफिसर रहते हैं और वे इसकी चेकिंग करते हैं। इसके साथ आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० के अन्दर पुलिस को भी चेकिंग की पावर है। यही व्यवस्था है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी को मालूम है कि गांजा उन जिलों में जो ड्राई एरियाज हैं, इतने खुले में बिक रहा है कि अगर मैं मंत्री जी को इनवाइट करूं तो मैं उनको पकड़ा कर दिखा सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष---यह सूचना है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री जी मेरे साथ चलने का कष्ट करेंगे मैं उनको दिखा सकता हूं ?

डाक्टर सीताराम---माननीय सदस्य खुद जानते हैं। मुझे ले चलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह कहना कि काफी संख्या में लोग स्मगलिंग करते हैं यह बात सही नहीं है। हां, इसी के बारे में, अगर कोई बात सही भी हो, तो किस तरह से इसकी रोकथाम कर सकें इसके लिये सरकार ने श्री रामस्वरूप यादव, डिप्टी मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनायी है जो इसकी छानबीन कर रही है।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी को मालूम है कि मंडी, टनकपुर और बनबसा से नैपाल में गांजे और भांग की स्मगलिंग होती है? उसके लिये वह चेक पोस्ट बनाने का विचार कर रही है?

डाक्टर सीताराम---गत दो वर्षों से भारत सरकार ४ या ५ दफा ५ राज्यों की मीटिंग लगातार कर रही है और भारत सरकार नैपाल सरकार को लिखने जा रही है कि इसकी व्यवस्था किस तरह से कर सकें। यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

रजा बुलन्द शुगर मिल की हड़ताल से सम्बन्धित शिष्ट मंडल

*१९---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत ३१ मार्च से २ अप्रैल के बीच रामपुर रजा और बुलन्द चीनी मिलों का कोई प्रतिनिधि मन्डल मुख्य मन्त्री एवं श्रम उप-मन्त्री से मिला था? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रतिनिधि मण्डल से हुई बातों का सार सदन के सम्मुख रक्खेगी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

(१) जी हां।

(२) प्रतिनिधि मंडल ने रजा बुलन्द शुगर मिल की हड़ताल से उत्पन्न हुई परि-स्थिति के बारे में उप-मन्त्री तथा मुख्य मंत्री जी से बातचीत की थी और इस बात पर जोर दिया था कि श्रमिकों के साथ किसी प्रकार का विक्टिमाइजेशन न हो। उपमन्त्री जी ने शिष्ट मंडल को यह स्पष्ट कर दिया था कि श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल गैर-कानूनी थी और जहां तक विक्टिमाइजेशन का प्रश्न है, इस विषय पर मुख्य-मंत्री जी पहले ही सदन में वक्तव्य दे चुके हैं जिससे कि सरकारी नीति स्पष्ट है।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि माननीय मुख्य मंत्री के इस स्पष्ट आश्वासन के बाद भी लगभग ५० व्यक्ति निकाले गये थे और उन्होंने आकर स्वयं मुख्य मंत्री और डिप्टी मिनिस्टर को अपनी करुण कथा बतायी थी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, यह कहना गलत है कि ५० आदमी निकाले गये। ४८ आदमी मुअत्तल हुए थे। उसमें से २७ आदमी हटाये गये, १५ को उनके काम पर ८ मई तक वापस ले लिया गया और ६ के सम्बन्ध में मुझे आज तक कोई सूचना नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के बाद भी जो व्यक्ति विक्टिमाइज किये गये हैं उनके विक्टिमाइजेशन को दूर करने के लिये सरकार क्या उपाय करने जा रही है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि यह मान लें कि उन का निकाला जाना विक्टिमाइजेशन है। इसलिए शेष प्रश्न का सवाल ही नहीं उठता।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मन्त्री जी जिन ६ व्यक्तियों के बारे में सूचना नहीं है उनके सम्बन्ध में इस बात की जानकारी करेंगे कि वे क्यों मुअत्तल किये गये और फिर से उन्हें अपने पदों पर रक्खे जाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, इस तरह का काम सरकार ने अब तक अपन ऊपर लिया नहीं है और न लेने का इरादा है। उन मुअत्तल वर्कर्स को एक सरकारी मशीनरी मिली हुई है, उनको उसके सामने जान का अधिकार है, वे जायं।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी के पास इस आशय का अवेदन-पत्र भी उन मजदूरों की तरफ से प्राप्त हुआ है कि उनकी मांगों को चूंकि फैसला उनके माफिक नहीं हुआ है ऐडजुडिकेशन के लिये भेज दिया जाय ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस वक्त स्थिति विपरीत है। श्री मदन पांडेय तो अर्से दराज की बात कर रहे हैं। जहां तक हम जानते हैं अब ऐडजुडिकेटर के सामने भेजने की उनकी मांग कतई नहीं है बल्कि व चाहते हैं कि बजाय किसी और गलत रास्ते पर चलने के किसी तरह से मालिकों से समझौता करें और इसी प्रयास में लगे हुये हैं।

परगनाधीशों को जिलों के सदर मुकाम से हटाने की प्रार्थना

*२०—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के समस्त एस० डी० ओ० के सदर मुकामों को जिले के सदर मुकामों से हटाने के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया है ? यदि हां, तो इस योजना पर कितना रुपया व्यय होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न विचाराधीन है किन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण इसके पूर्णतः कार्यान्वित होने की निकट भविष्य में कोई सम्भावना नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न सरकार के समक्ष कितने दिनों से विचाराधीन है और अगर इसे पूर्णतया कार्यान्वित करने का विचार नहीं है तो क्या किन्हीं अन्शों में उसे पूरा करने का विचार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—विचाराधीन तो मैं समझता हूं कम से कम २–३ वर्षों से है और ऐसा लगता है कि अभी कई वर्ष तक विचाराधीन रहेगा। जहां तक अंशतः की बात है, सम्भव है कि कहीं इमारत वगैरह मिल जाय तो कुछ मजिस्ट्रेट वहां रख दिये जायं, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं ही होगा, ऐसा मैं समझता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रश्न के अधीन यह विषय भी विचाराधीन है कि परगनाधीश अपनी-अपनी तहसीलों में मुकदमें किया करें सदर मुकाम के बजाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर यह प्रश्न विचाराधीन होगा तो इसके अधीन तो नहीं होगा, शायद किसी और तरीके पर कहीं हो तो हो।

विधायकों के लिये रोडवेज के फ्री पास

*२१—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह विधान सभा के सदस्यों को अपने क्षेत्रों में जाने के लिए तथा दूसरे जिलों के विकास कार्यों की देखने के लिए सरकारी बसों का पास देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, विधान सभा तथा विधान परिषद् के समस्त माननीय सदस्यों को सिटी बस सर्विस एवं अपने जिले के अलावा प्रान्त भर में विकास कार्यों को देखने के लिए सरकारी बसों का "फ़्री बस पास" दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो पास दिये जा रहे हैं उनको देख कर बस वाले कैसे जान पायेंगे कि विकास कार्य को देखने जा रहे हैं या निजी कार्य से जा रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम---इन सब बातों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि जो माननीय सदस्यों को बसों में मुफ्त जाने का फैसला सरकार करने जा रही है वह किस आधार पर कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---इसीलिए कि वे प्लानिंग के कार्य को देख सकें और उनको इस बात की ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो सके कि प्रान्त में सरकार किस-किस विभाग में क्या-क्या कार्य कर रही है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह सुविधा सदस्यों को प्रदान की जा रही है वह केवल सरकारी बसों के मार्ग पर ही प्रदान की जा रही है अथवा अन्य मार्गों पर भी प्रदान की जाने वाली है ?

डाक्टर सीताराम---सिर्फ सरकारी बसों पर ।

श्री उग्रसेन---यह देखते हुए कि जब विधायकों को यह सुविधा प्रदान की जा रही है तो क्या माननीय मन्त्री जी अपने विभाग के कर्मचारियों को भी यह सुविधा प्रदान करेंगे ताकि वे अपने घर छुट्टी में पास लेकर विधिवत् जा सकें ?

डाक्टर सीताराम---यह तो विधायकों की बात है । जहां तक डिपार्टमेंटल लोगों की बात है यह प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है ।

वृद्धावस्था पेन्शन

*२२---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ३१ दिसम्बर, सन् १९५८ ई० तक जिलेवार कितने-कितने लोगों को वृद्धावस्था की पेन्शनें स्वीकार हुई हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३२३ पर)

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी इस सूची को देखने से ऐसा जान पड़ता है कि वृद्ध लोगों को वाराणसी और इलाहाबाद में बहुत ज्यादा पेंशनें दी गयी हैं तो क्या इस कारण से कि वहां वृद्ध अधिक रहते हैं या किसी दूसरे कारण से ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, अन्य कारणों पर माननीय सदस्य को भरोसा हो सकता है, लेकिन सरकार के सामने ऐसी कोई बात नहीं है । जहां जितनी अर्जियां नियम के अन्दर आती हैं वहां उनको देख कर कार्य किया जाता है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या कारण है कि अल्मोड़े जिले की बहुत कम अर्जियां आयीं और उन में भी बहुत कम मंजूर हुयीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उतनी ही अर्जियां स्वीकार हो सकती हैं जो नियमानुकूल हों । अगर माननीय सदस्य कोई नाम बतलायें जिस में नियम विरुद्ध काम किया गया हो तो उसे देखा जा सकता है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी इन वृद्धावस्था की पेंशनों की जांच के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि गांव सभा के सभापति और दूसरे पदाधिकारी की सिफारिश पर पेंशन दे दी जाया करे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---काफी अच्छा सुझाव है, मान्यवर । शायद दसवीं पंचवर्षीय योजना जब आय तब यह हो सके, लेकिन इस वक्त तो नहीं हो सकता है ।

बांदा जिले के एक मैजिस्ट्रेट के शील विवरण में प्रतिकूल प्रविष्टि

*२३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले के दफा १४५, Cr. P. C. के जिस मुकदमे के रिवीजन के सम्बन्ध में गत १२ मार्च, १९५९ को इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस देसाई ने वहां के एक मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध निम्नलिखित सख्त Stricture पास करते हुए उसके पास उक्त मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का जो आदेश दिया है उसके अनुसार उसने क्या कार्यवाही की ?

"It is distressing to find that a person on whom 1st class magistrial powers have been conferred by the state has dealt with a simple case in such a disgraceful manner as has been done in this case. All that need be said is that the State cannot expect the public to have confidence in a magistrate, who tries cases as if he were not governed by any law".

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सम्बन्धित मैजिस्ट्रेट का जवाब तलब किया गया जो सन्तोषजनक नहीं था। अतः उनके शील विवरण में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गयी है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मुख्य मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त मैजिस्ट्रेट अब भी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पद पर काम कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, जब उन को प्रतिकूल प्रविष्टि के अलावा दूसरी सजा नहीं दी गयी है तो जाहिर है कि काम कर रहे हैं।

सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, बरेली के विरुद्ध लांछन

*२४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत १३ मार्च, १९५९ को इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस देसाई ने दफा १४५, Cr. P. C. के जिस मामले की निगरानी के समय बरेली के सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध जो निम्नलिखित Stricture पास किया है उसके सम्बन्ध में उसने क्या कार्यवाही की है ?

"The manner in which the simple and clear provisions of section 145 Cr. P. C. are flouted, disobeyed and disregarded by the sub Divisional magistrates and 1st class magistrates in the state is scandalous".

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सम्बन्धित मैजिस्ट्रेट ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है। अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि मैजिस्ट्रेट ने त्याग-पत्र कब दिया है ? प्रश्न जाने के बाद या पहले ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वक्त तो मैं यह नहीं बतला सकता।

श्री प्रतापसिंह—त्याग-पत्र देने का क्या कारण था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनका काम बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन उनको इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत योग्य समझ कर अच्छी जगह पर ले लिया, इसलिए वे वहां से चले गये।

अल्मोड़ा जिले में उद्योगों तथा सहकारी समितियों के लिये वितरित ऋण

*२५—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में अल्मोड़ा जिले के लिए कितनी ऋण की धनराशि उद्योगों के लिए देने को निर्धारित की गयी थी तथा इसमें से कितना धन व्यपगत हो गया ? इस काल में छोटे उद्योग चलाने के लिए कितने व्यक्तियों व संस्थाओं को कितना-कितना अनुदान दिया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अल्मोड़ा जिले में वित्तीय वर्ष, १९५७–५८ तथा १९५८–५९ में क्रमशः १९,००० रुपये तथा २०,००० रुपये की धनराशि जिलाधीश के द्वारा लघु तथा कुटीर उद्योगों को ऋण वितरित करने हेतु निर्धारित की गयी थी तथा उपरोक्त सम्पूर्ण धनराशि वितरित हो गयी थी। वित्तीय वर्ष, १९५७–५८ में चार व्यक्तियों को कुल ३,२५० रुपये अनुदान दिया गया तथा १९५८–५९ में दो सहकारी समितियों को कुल ३,००० रुपये व एक व्यक्ति को ३०० रुपये का अनुदान दिया गया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मन्त्री जी सहकारी समितियों के नाम बतायेंगे जिनको रुपया दिया गया और वह कौन-कौन व्यक्ति हैं जिनको एक हजार से अधिक रुपया दिया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सहकारी समितियों के नाम हैं कौपर ब्रांच, श्रमिक सहकारी समिति, अल्मोड़ा, इस को दो हजार रुपया दिया गया और दूसरी समिति का नाम है सिलाई गृह उद्योग, सहकारी समिति, अल्मोड़ा, इसको एक हजार रुपया दिया गया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या राजनीतिक पीड़ित सहकारी समिति को भी रुपया दिया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस साल में और कोई रुपया नहीं दिया गया।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि एक समिति ऐसी है कि जिसके खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इन दोनों समितियों में कोई ऐसी नहीं है जिसके खिलाफ कोई शिकायत आयी हो या कोई कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया हो जहां तक मुझे खयाल है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि एक समिति ऐसी है कि जिस उद्योग के लिए रुपया दिया गया है उस में न लगाकर सस्ते गल्ले के काम में रुपया लगाया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अगर कोई लिखित शिकायत की गयी तो हम उन की हर चिट्ठी की बहुत कदर करते हैं, जरूर जांच करायेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो २० हजार रुपया दिया गया है, इन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो एम० एल० सी० है और जिनको रुपया दिया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

भदोही के कालीन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दर देने के लिये समिति की नियुक्ति

*२६—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भदोही, जिला वाराणसी के कालीन बुनकरों ने ७ मार्च, १९५८ से १ महीने की हड़ताल की थी और सरकार ने हड़ताल के बाद उन की हालत तथा उद्योग की हालत की जांच के लिए कोई कमेटी मुकर्रर की थी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां। सरकार ने उक्त उद्योग के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन की दरों के सम्बन्ध में अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष उपस्थित करने हेतु एक समिति का संगठन किया है। समिति की जांच अभी चल रही है। और रिपोर्ट अभी सरकार को प्रस्तुत नहीं हुई है।

*२७—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस कमेटी ने कितने तथा कौन-कौन से गांवों में जाकर जांच की है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—भदोही, नयी बाजार, गांधी (गोपी गंज), कठारी, खमरिया तथा मिर्जापुर।

*२८—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस कमेटी के कितने तथा कौन-कौन लोग सदस्य हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस कमेटी में निम्नलिखित ६ सदस्य हैं :—

१—प्रति श्रम कमिश्नर—	अध्यक्ष।
२—श्री कुंवरसिंह, उप उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश—	उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त किया गया।
३—श्री अब्दुल समद, एम० एल० ए०	
४—श्री दयाराम, उत्तर प्रदेश आयल मिलर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश, कानपुर	सेवायोजकों के प्रतिनिधि।
५—श्री विजयदेव नारायण साही, इलाहाबाद	
६—श्री जे० सी० दीक्षित, एम० एल० सी०, उन्नाव—	श्रमिकों के प्रतिनिधि।

श्री ऊदल—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस वक्त हड़ताल हुई थी उस समय कोई प्रतिनिधि मण्डल मुख्य मन्त्री जी से मिला था और उन्होंने कोई स्मृति-पत्र मांगों के सम्बन्ध में दिया था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मुख्य मन्त्री जी को स्मृति-पत्र दिया था इस समय मुझे याद नहीं है। हां तत्कालीन श्रम मन्त्री के सामने जरूर कुछ लोग आये थे और उन्होंने बात-चीत भी की थी।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्धमें जो जांच कमेटी बनायी गयी है उसका अधिकार क्षेत्र क्या है और क्या यह मजदूर संस्थाओं से भी साक्ष्य लेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस जांच कमेटी में मजदूर संस्था के सभापति श्री विजयदेव नारायण साही हैं और आई० एन० टी० यू० सी० के प्रधान मन्त्री श्री जगदीशचन्द्र दीक्षित हैं। यह कमटी खुद मुख्तार है और सारे मजदूर संगठनों से उस ने बातचीत की है और इसका अधिकार क्षेत्र न्यूनतम वेतन के सम्बन्ध में सिफारिश देना है।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस समिति की बैठक जब से समिति बनी है, कितनी बार हुई है और कब तक उसकी रिपोर्ट आ जाने की सम्भावना है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, हम आशा कर रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट शीघ्र आ जायगी। शायद वह लोग अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। मैं दिन तो निश्चित नहीं कर सकता कि किस तारीख तक हमें मिल जायगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुख्य मंत्री जी से भी प्रतिनिधि मंडल मिला था और उसमें राजनारायण, एम० एल० ए० भी शामिल था और श्रम मंत्री से भी मिला था और श्रम मंत्री से जब प्रतिनिधि मंडल मिल रहा था तो उस समय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, श्रम विभाग भी मौजूद थे और यह आश्वासन दिया गया था कि यदि वहां शान्ति स्थापित हो जायगी तो कालीन बुनकरों की समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी किया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए इस कमेटी को बिठाया है। वह सब के सामने है। आशा है कि इस कमेटी की सिफारिशों के बाद अवश्य कोई समाधान निकल सकेगा।

श्री राजनारायण---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस दिन वहां हड़ताल समाप्त करा दी गयी उसके कितने दिन के बाद समिति बिठायी गयी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, मैं नहीं कह सकता कि हड़ताल कब किसने समाप्त कर दी । इसकी तारीख मुझे याद नहीं है ।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)---क्या यह सही है कि हड़ताल के कुछ वर्ष पहले १९५२-५४ में सरकार ने निश्चय कर लिया था और कालीन के मजदूरों के लिए मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू करने के लिए एक कमेटी बिठायी गयी थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, यह सही है कि इस हड़ताल के चलने के कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा जो मिनिमम वेजेज ऐडवाइजरी कमेटी बनायी गयी है उसने निश्चय किया था कि कालीन बुनकरों के न्यूनतम वेतन का प्रश्न इस एक समिति द्वारा जंचवाया जाय । सरकार के सामने जब यह सिफारिश विचाराधीन थी तो यह हड़ताल कर दी गयी ।

श्री राजनारायण---क्या यह सही है कि इस सरकार की ओर से कमेटी नियुक्त करने में विलम्ब किया गया और कमेटी की बैठकों को जिस तरह से बुलवाया गया उसमें भी विलम्ब का रुख अख्तियार किया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जल्दी भी वक्त लेती है । तो जल्दी से जल्दी तो कर नहीं सकते ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी इस मंहगाई को देखते हुए और यह देखते हुए कि कमेटी की जो सिफारिशें हैं वह दर में आने वाली हैं, इस अन्तरिम अवधि के लिए कालीन मजदूरों को क्या कोई विशेष एलाउन्स या भत्ता दे रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---एलाउन्स या भत्ते का प्रश्न न उस कमेटी के सामने विचाराधीन है और न हमारे ।

मोटर चेकिंग के लिये परिवहन आयुक्त का आदेश

*२९---**श्री गौरीशंकर राय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने पिछले कुछ महीनों क अन्दर कोई ऐसा आदेश दिया है जिसके अनुसार इन्फोर्समेंट आफिसर एवं इन्स्पेक्टरों को इस बात के लिये बाध्य किया है कि वे बिना आर० टी० ओ० और ए० आर० टी० ओ० को साथ लिये मोटर चेकिंग के लिये नहीं जा सकते ?

डाक्टर सीताराम---२३ जनवरी, १९५९ को परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी किया कि इन्फोर्समेंट आफिसर तथा रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर साथ-साथ चेकिंग करें ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार के पास इन्फोर्समेंट आफिसर्स के भ्रष्टाचार या किसी प्रकार की भी शिकायत थी जिसके कारण यह आदेश जारी करना पड़ा ? अगर नहीं, तो क्या कारण था जिससे यह आदेश जारी करने की आवश्यकता पड़ी ?

डाक्टर सीताराम---यह कहना बिलकुल गलत है कि भ्रष्टाचार के कारण ऐसा किया गया । ऐसी बात नहीं है बल्कि इफेक्टिव चेकिंग के लिए यह आदेश जारी किये गये ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार को इस तरह की शिकायत मिली है कि शुगरकेन के सीजन में इस मामले को इसलिए लिया गया कि जो गन्ना ढोने वाली ट्रकें हैं उनकी कम चेकिंग हो सके और उसके फलस्वरूप कई महीने तक बहुत कम चेकिंग हुई ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि जिस समय इन्फोर्समेंट स्क्वाड के इंस्पेक्टर्स चेकिंग करते थे उस समय तक चेकिंग नहीं कर सकते थे और जब से आर० टी० ओज० और ए० आर० टी० ओज० के साथ जाने लगे तो केसेज ज्यादा हुए या कम हुए और ज्यादा इफेक्टिव चेकिंग हुई या नहीं ?

डाक्टर सीताराम---ज्यादा इफेक्टिव चेकिंग हुई ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन्फोर्समेंट स्क्वाड को कोई खतरा था जब कि आर० टी० ओ० और ए० आर० टी० ओ० उनके साथ लगाये गए ?

डाक्टर सीताराम---खतरा कोई नहीं था ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मंत्री जी ने अभी कहा कि ज्यादा चेकिंग हुई, ज्यादा केसेज पकड़े गए तो क्या इसका यह अर्थ समझा जाय कि जब तक आर० टी० ओ० और ए० आर० टी० ओ० उनके साथ नहीं थे तब तक उनको अपनी इच्छानुसार चेकिंग करने की छूट थी और चेकिंग कम होती थी ?

डाक्टर सीताराम---ऐसी बात नहीं है । इन्फोर्समेंट स्क्वाड़ आफिसर्स को किसी का लाइसेंस कैंसिल करने की या रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की पावर नहीं है, लेकिन वह चेकिंग करके केसेज पकड़ा करते थे । जब उनके साथ आर० टी० ओ० और ए० आर० टी० ओ० भी लगा दिये गए जिनको कि लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल करने का अधिकार है और साथ ही साथ वह ट्रक के आपरेटर्स को भी जानते हैं तो उनके साथ लग जाने से चेकिंग और भी इफेक्टिव हुई ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया । प्रश्न मेरा यह था कि श्री गौरीशंकर राय जी के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि आर० टी० ओ० और ए० आर० टी० ओ० जब लगाये गए तो इन्फोर्समेंट स्क्वाड के इंसपेक्टर्स में करप्शन की शंका नहीं थी । मेरे प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया कि जब से आर० टी० ओ० लगाये गए इन्फोर्समेंट स्क्वाड के केसेज और बढ़ गए, उसके पहले कम थे । तो मैंने प्रश्न यह किया कि क्या इसका अर्थ यह मसझा जाय कि सरकार को यह शंका थी कि करप्शन था इन्फोर्समेंट स्क्वाड में और उसको रोकने के लिए आर० टी० ओ० और ए० आर० टी० ओ० को लगाया गया ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं, कोई शंका नहीं थी । उनका काम बिल्कुल ठीक था ।

बन्द मिलें खुलवाने की प्रार्थना

*३०---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में इस समय कितनी मिलें बन्द हैं और उससे कितने मजदूरों पर प्रभाव पड़ा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उत्तर प्रदेश में सन् १९५५ से ५० मिलें बन्द हैं और उससे लगभग ८,४०० मजदूरों पर प्रभाव पड़ा है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह पांच साल से जो मिलें बन्द हैं इनको चालू करा कर मजदूरों को काम दिलाने के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, इनमें से कुछ मिलें तो ऐसी हैं कि जिनको जीवित करना इस सरकार के कब्जे के बाहर की बात है। बहुत पुरानी मिलें हैं, उनकी आयु खत्म हो गई है। मिल मालिक के पास पैसा नहीं है कि वह उनको फिर से चालू कर सके। कुछ अनइकोनामिक यूनिट्स हैं। लेकिन जैसा कि सदन को ज्ञात है माननीय गवर्नर साहब के ऐड्रेस से कि हम अभी एथर्टन वेस्ट मिल को चालू करा रहे हैं और हमारी कोशिश यह है कि जो मिलें हम चला सकें और खुलवा सकें उसमें सहायता दें या जो कुछ भी काम हम कर सकें वह करें। लेकिन यह आशा करना कि ये पुरानी मिलें सब चल सकें, यह नामुमकिन है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है कि मजदूर संगठनों के जरिये कुछ सहायता दिलाकर के उनको चलाने की कोशिश करें?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, इस सदन के द्वारा माननीय अब्दुल रऊफ साहब को और प्रदेश के तमाम मजदूरों को दावत है कि इस तरह से कोई मिल चलाने की योजना बनाकर क वह हमारे सामने लावें तो उस पर हम जरूर बिचार करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो मिलें बन्द हैं इनमें से कुल कपड़े की कितनी मिले बन्द हैं और उनमें से क्या किसी मिल को सरकार ने अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया है? यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही अभी तक हुई है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, इसमें यह कहना तो मुश्किल है कि कपड़े की कितनी मिलें हैं, लेकिन कपड़े के अलावा हमारे प्रदेश में जो और दूसरी मिलें बन्द हैं उनमें तेल और जूट इस तरह की भी मिलें हैं। केवल कपड़े की ही मिलें नहीं हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव--मैंने यह पूछा था कि क्या सरकार ने उन बन्द कपड़े की मिलों में से किसी को अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जैसे मैंने कहा कि जो मिल हम खोल सकते हैं जैसे कि अथर्टन वेस्ट मिल उसको हमने हाथ में ले लिया और चला सकते हैं लेकिन जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, जिनमें जान ही नहीं है उनके सम्बन्ध में कुछ करना हमारे लिये मुश्किल है। वैद्य भी उनको छुड़िया देते हैं जिनके अन्दर कुछ जान होती है। जैसे-जैसे यह सवाल हमारे सामन आयगा हम इस पर विचार करेंगे।

गढ़वाल जिले में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन तथा कागज उद्योग को पुनर्जीवन देने की प्रार्थना

३१--**श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी** (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)--क्या सरकार से मांग की गई कि गढ़वाल जिले में पर्यटन उद्योग को समुचित प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ८ स्टेशन वैगन्स या टूरिस्ट जीप्स कोटद्वार में किराये पर उठाने के लिये रखे? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सहायक टूरिस्ट अधिकारी कोटद्वार ने १ अथवा २ स्टेशन वैगन या टूरिस्ट जीपें किराये पर उठाने के लिये मांग की थी।

परिवाहन विभाग के पास जीप तथा स्टेशन वैगन्स की कमी के कारण कोटद्वार में ये गाड़ियां नहीं दी जा सकी।

*३२--श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (अनुपस्थित)---क्या सरकार को मालूम है कि कुछ ही वर्ष पूर्व तक गढ़वाल में गृह उद्योग के जरिये कागज (सतपुड़ा) तैयार किया जाता था ? यदि हां, तो इस उद्योग को पुनः जीवित करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

*३३--श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १३ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

चीनी मिलों का सीजन के बाद चलना

*३४--श्री शिव प्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की कितनी ऐसी चीनी मिलें हैं जो कि ३१ मार्च, १९५९ के बाद भी चलती रहीं ? उनकी सप्लाई दूसरी मिलों को बांटने के प्रश्न पर विचार किया गया या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---प्रदेश की ४६ चीनी मिलों के नाम जो ३१ मार्च, १९५९ के बाद चलती रहीं संलग्न सूची में दिये हुए हैं । गन्ना उत्पादकों के हित में जहां संभव हो सका कुछ गन्ना एक से दूसरी मिल को सीजन के दौरान में दिया गया ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२४ पर ।)

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, तक जो ३० फैक्टरी बन्द हो चुकी थीं उन ३० फैक्टरियों को गन्ना बांटा गया । उस आधार पर अब अगले सीजन में भी रिजर्वेशन के पहले वह गन्ना बांटने का इरादा कर रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---पारसाल जो कुछ मिलें ज्यादा नहीं चली और जल्द बन्द हो गईं उसका कारण यह था कि गन्ना कम पैदा हुआ था और उनको कम मिला था । इस साल की गन्ने की पैदावार देखने के बाद ही इस प्रश्न पर कोई विचार किया जा सकता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि केन कमिश्नर डिपार्टमेंट से सारा सर्वे इस वक्त तक हो चुका है उन आंकड़ों के आधार पर अगर अभी से इस बात पर विचार कर लिया जाय कि जिन मिलों से पिछले साल उन मिलों को गन्ना सप्लाई किया गया जो जल्द बन्द होने वाली थीं उनका एरिया और रकबा देखकर इस साल रिजर्वेशन से पहले विचार कर लेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---गन्ना आयुक्त जिस हिसाब से रिजर्वेशन करते हैं उन सब के संबंध में नियम बने हुए हैं । गन्ने का उत्पादन, क्रशिंग कैपेसिटी, शक्ति और मिल का सारा रकबा । यह सारी बातें ध्यान में रख कर वह फैसला करेंगे । वह इस काम को अब कर भी रहे हैं । वह नियमानुकूल सारी बातों को निश्चय करेंगे ।

सीतापुर सेवा-योजन कार्यालय से नौकरियां का आयोजन

*३५--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में सेवा आयोजन (एम्प्लायमेंट सर्विस) कार्यालय, सीतापुर में कितने व्यक्तियों ने नौकरी के लिये नाम रजिस्टर्ड कराये और उनमें से कितने व्यक्तियों को नौकरियां प्राप्त हुईं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सीतापुर के सेवा योजन कार्यालय में सन् १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में ४,८७४ व्यक्तियों ने नौकरी के लिये अपने नाम पंजीकृत कराये जिनमें से ३०२ व्यक्तियों को इस सवा योजन कार्यालय द्वारा नौकरी प्राप्त हुई ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन ३०० आदमियों को नौकरी मिली उनको यह नौकरी साल भर के लिये मिली या कम दिनों के लिये और दफ्तर में उन्होंने नाम रजिस्टर्ड कराया था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---थोड़े दिनों की जो नौकरी होती है उसके भी आंकड़े होते हैं। इसमें किस-किस किस्म के हैं इस वक्त मेरे पास अलग-अलग उसके आंकड़े विस्तार के साथ नहीं हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में कितने लोगों की सरकार को सेवा हेतु आवश्यकता होती है उन सब के प्रार्थना-पत्र सेवा नियोजन कार्यालय में प्राप्त हो जाते हैं या सीधे नौकरी मिल जाती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सीतापुर में विशेष स्थिति क्या है इसका तो ज्ञान नहीं है लेकिन राज्य की ओर से यह आज्ञा जारी हुई है कि सरकार के जितने कार्यालय है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन से लोगों को नहीं लेते हैं, बाकी शेष लोगों को वहां पर इस कार्यालय से लिया जाय तो उचित ही होगा।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन व्यक्तियों को नौकरी मिलती है उनको सरकारी नौकरी मिलती है या प्राइवेट लिमिटेड फर्म में भी मिलती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ के कुछ कर्मचारियों का निलम्बन

*३६---श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५७ से १९५८ तक राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ के कितने कर्मचारी निलम्बित किये गये और उन पर किस प्रकार के चार्ज थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---३९ कर्मचारी निलम्बित किये गये। उन पर लगाये गय चार्ज का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३२५-३२६पर।)

*३७---श्री मुक्तिनाथराय---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त मामलों में कितने में अन्तिम निर्णय कर दिया गया, कितने लोग दोषी पाये गये और कितने लोग निर्दोष ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---३८ मामलों में अन्तिम निर्णय कर दिया गया है। ३० कर्मचारी दोषी पाये गये और ८ निर्दोष। १ कर्मचारी का केस कोर्ट में है और अभी तक फैसला नहीं हुआ है।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ३० कर्मचारी जो दोषी पाये गये वे कोर्ट द्वारा दोषी पाये गये अथवा विभाग द्वारा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जैसा बतलाया गया, जो निर्दोष पाये गये प्रोसीडिंग्स में उनको रख लिया गया। अब यह निर्णय दोषी या निर्दोष होने का कोर्ट के आधार पर लिया गया अथवा विभाग की प्रोसीडिंग्स के आधार पर, यह बात अलग है।

श्री मुक्तिनाथ राय---राजकीय मुद्रणालय में जो यह गड़बड़ी रही उसके लिये छोटे कर्मचारी जिम्मेदार थे या बड़े क्या सरकार ने इसकी जांच करायी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---समझ में नहीं आया कि इस प्रश्न से इसका संबंध क्या है। आप बड़ा व्यापक प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री मुक्तिनाथराय---मैं यह पूछ रहा हूं कि १९५७-५८ में जो ३९ कर्मचारी निलम्बित किये गये हैं तो क्या कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी थी। इतने थोड़े दिनों में जो यह गड़बड़ी हुई उसके जिम्मेदार वहां के छोटे कर्मचारी हैं अथवा बड़े, क्या इसकी जांच सरकार ने करवाई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---गड़बड़ हुई, लोग निलम्बित हुए और फैसला हो गया। इसके लिए किसी पर देखरेख करने का सवाल नहीं उठता।

*३८---श्री मुक्तिनाथराय---[हटा दिया गया।]

रेशम के कीड़े वितरण करने का केन्द्र अजीतमल

*३९---श्री भजनलाल (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में रेशम के कीड़े वितरण करने के केन्द्र कहां-कहां पर हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अजीतमल में।

गुड़ विकास योजनान्तर्गत औजार तथा ऋण का वितरण

*४०---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में गुड़ विकास योजना के अन्तर्गत उन्नत औजार खरीदने के निमित्त बिना ब्याज वाले ऋण के रूप में वितरित करने के लिये कितने रुपये की धनराशि राज्य सरकार को दी थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---१,७४,००० रुपये की धनराशि।

*४१---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्राप्त ऋण को सरकार ने किन-किन जिलों में वितरित किया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---निम्नलिखित जिलों में गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, इटावा, फतेहपुर, बाराबंकी, लखनऊ, पीलीभीत, वाराणसी, बरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं, सहारनपुर, बस्ती, मथुरा, उन्नाव, बुलन्दशहर, देवरिया, गोरखपुर, मैनपुरी, सीतापुर, इलाहाबाद, तथा शाहजहांपुर।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन जिलों में यह धन बांटा गया है अथवा उन्नत औजार दिये गये हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, इसमें दोनों तरह की बात हुई है। जहां लोगों ने पसंद किया कि औजार दे दिये जायं वहां औजार दे दिये गये और जहां लोगों ने उनका बंदोबस्त कर लिया वहां उनको धन दे दिया गया।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार ने गुड़ को डिस्करेज करने का फैसला कर लिया है और इसीलिये इस साल सिर्फ एक लाख की रकम इस काम में खर्च की गयी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह कहना न्यायसंगत नहीं होगा। गुड़ की अपनी जगह है और वह रहेगी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह बिना ब्याज का ऋण लोगों से कितन दिनों बाद वापस लिया जायगा ?

नोट---तारांकित प्रश्न ४१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसके नियम इस वक्त मेरे सामने नहीं हैं ।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि पिछले साल गुड़ के लिये जितनी रकम खर्च होने को फाइवईय प्लान में रखी गयी थी उतनी खर्च नहीं की गयी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है । आप व्यापक प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री प्रतापसिंह---क्या उद्योग मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सब जिलों को मिला कर कुल कितनी रकम दी गयी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---१,७४,००० रुपये की जो धनराशि मिली थी वह इन जिलों में बांटी गयी । अब वह लोगों तक पहुंची या नहीं, इसकी सूचना इस वक्त मेरे सामने नहीं है ।

मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन पर विचार

*४२---श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री गोविन्दसहाय जी की अध्यक्षता में बनी सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार मूल्यांकन उप समिति के प्रतिवेदन की कौन-कौन-सी सिफारिशें उत्तर प्रदेश में लागू की जाने वाली हैं और किन-किन सिफारिशों को प्रदेशीय सरकार ने नहीं माना है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन राज्य-सरकार के विचाराधीन है । उसमें की गई सिफारिशों पर निर्णय करने में कुछ समय लगेगा ।

कारखानों के सेवायोजकों का चालान

*४३---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९५६ में राज्य में Factory Inspectors ने कितने कारखानों का निरीक्षण वर्ष में एक-एक बार ही किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१,०३२ रजिस्टर्ड कारखानों का ।

*४४---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १-१-५८ से ३१-८-५८ तक कारखाना निरीक्षकों (Factory Inspectors) ने कितने कारखानों का राज्य में निरीक्षण किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---२,५५२ कारखानों का ।

*४५---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त निरीक्षणों के फलस्वरूप कितने सेवा आयोजकों का चालान किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---२०५ कारखानों के सेवायोजकों का कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत चालान किया गया ।

हमीरपुर जिले के एक मैजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ जांच

*४६---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश श्री देसाई ने मार्च, १९५९ के दूसरे सप्ताह में एक फैसला देते हुये हमीरपुर जिले के एक मैजिस्ट्रेट को एक मुकदमें के फैसले में जालसाजी करने के लिये दोषी ठहराते हुये उक्त फैसले की प्रति सरकार के पास उचित कार्यवाही के लिये भेजी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार जांच करवा रही है ।

रायबरेली डिपो पर सहायक जनरल मैनेजर रोडवेज का आफिस खुलना

*४७---श्री उग्रसेन---क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि लखनऊ रीजन में गत जून, १९५८ से रायबरेली डिपो पर एक सहायक जनरल मैनेजर के आफिस खोलने की क्यों जरूरत पड़ी ?

डाक्टर सीताराम---रायबरेली क्षेत्र में रोडवेज के सुचारु एवं सुव्यवस्थित परिचालन के हेतु ।

राष्ट्रीय उत्सवों पर श्रमिकों को सवेतन ट्टी देने की सिफारिश

*४८---श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेशीय सरकार राष्ट्रीय उत्सवों पर श्रमिकों को सवेतन छुट्टी देने के सम्बन्ध में कोई विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं ।

नवाबगंज व बंथरा बस स्टेशनों पर कण्डक्टरों का पीटा जाना

*४९---श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या दिनांक १४-३-५९ को लखनऊ-कानपुर रोड पर स्थित नवाबगंज बस स्टेशन पर कानपुर से लखनऊ जाने वाली एक बस के कण्डेक्टर को जिस समय वह सरकारी ड्यूटी पर था कुछ व्यक्तियों ने पीटा जिसकी रिपोर्ट थाना अजगैन में की गयी ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सीताराम---जी हां, इस मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ।

*५०---श्री भीखालाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस घटना के बाद उसी रूट पर बन्थरा बस स्टेशन पर भी एक कण्डक्टर जो नवाबगंज-लखनऊ बस पर चलता है, ड्यूटी के समय पीटा गया और उसकी भी रिपोर्ट थाना बन्थरा में की गयी ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सीताराम---जी हां, इस मामले में भी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ।

उन्नाव जिले के कारखानों में बने हड्डी व चमड़े के सामान की लागत

*५१---श्री भीखालाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के हड्डी व चमड़े के कारखाने में प्रतिवर्ष कितनी लागत का माल तैयार होता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---लगभग १३ लाख रुपये की लागत का ।

*५२-५३---श्री उग्रसेन---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण १३ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

बिचपुरी से प्रशिक्षित ग्राम सेवकों को नौकरी

*५४---श्री रामचन्द बिकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बिचपुरी, जिला आगरा में सन् १९५८ व १९५९ में जो ग्राम सेवकों की ट्रेनिंग हुई उसमें कितने ग्राम सेवकों ने ट्रेनिंग ली और उसमें से कितन अब तक नौकरी पर लगाये जा चुके हैं और कितनों को अभी नौकरी नहीं मिली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बिचपुरी, जिला आगरा के प्रशिक्षण केन्द्र से, १९५८ में ८९ अभ्यर्थी ग्राम सेवक पद का प्रशिक्षण प्राप्त करके निकले थे। इनमें से ८३ नौकरी पर लगाये जा चुके हैं, तथा ६ शेष हैं।

१९५९ में, उक्त प्रशिक्षण-केन्द्र से १११ ग्राम सेवकों ने प्रशिक्षण पूर्ण किया। ये सभी ग्राम सेवक पद पर कार्य कर रहे हैं।

इनायतपुर सहकारी संघ को भट्ठों के लिये कोयला

*५५--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनायतपुर सहकारी संघ जिला, फर्रुखाबाद को १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ में कितने वैगन कोयला ईंट भट्ठा लगाने के लिये स्वीकार किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उक्त सहकारी संघ को १९५६-५७ में १५ वैगन, १९५७-५८ में २० वैगन, तथा १९५८-५९ में भी २० वैगन कोयला ईंट भट्टा लगाने के लिये स्वीकार किया गया।

लघु उद्योगों के विकास के लिये दिये गये ऋण की वसूली

*५६--श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ से लेकर १९५७ तक प्रदेशीय सरकार ने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिये कितना रुपया लोन ऐन्ड ग्रान्ट में लगाया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उत्तर प्रदेश ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९५२-५३ से १९५७-५८ तक लघु उद्योगो के विकास हेतु ६९,१५,९८० रुपये ऋण तथा ४,०२,५०० रुपये अनुदान वितरित किया गया।

*५७--श्री उमाशंकर शुक्ल--क्या उपरोक्त कर्ज (लोन) की किस्तें मय सूद के वक्त से वसूल हो रही हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उपरोक्त ऋण की किस्तें मय सूद के वसूल हो रही हैं, किन्तु कोई-कोई किस्तें समय से वसूल नहीं होतीं।

कानपुर रेलवे स्टेशन के निकट से रोडवेज बस स्टेशन हटाने का विचार

*५८--श्री उमाशंकर शुक्ल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कानपुर में स्थित रेलवे स्टेशन के निकट सरकारी रोडवेज बस स्टेशन को हटाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

डाक्टर सीताराम--जगह की यहां बहुत कमी है। दूसरा उपयुक्त स्थान रेलवे स्टेशन के पास मिल जाने पर इस स्थान से बस स्टेशन हटाया जायगा।

जिला विकास संघ लिमिटेड, इटावा के अन्तर्गत भट्ठे

*५९--श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में जिला विकास संघ लिमिटेड, इटावा की ओर से कितने और कहां-कहां भट्ठे चल रहे हैं।

डावटर सम्पूर्णानन्द--जिला इटावा में जिला विकास संघ लिमिटेड, इटावा की ओर से ६ भट्ठे निम्नलिखित स्थानों में चल रहे हैं :--

(१) इटावा भट्ठा 'अ'
(२) इटावा भट्टा 'ब'
(३) इटावा भट्टा 'स'

(४) रूरूगंज
(५) भर्थना
(६) कुकावली।

उद्योग सहायता के लिये अलीगढ़ से प्रार्थना-पत्र

*६०--श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ शहर में पहली अप्रैल, सन् १९५७ से ३१ अगस्त, सन् १९५८ तक किस-किस उद्योग के निमित्त कितने-कितने प्रार्थना-पत्र सरकारी कर्ज के लिये आये और कितने-कितने स्वीकृत हुए ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सम्बन्धित सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३२७-३२८ पर।)

*६१--श्री अनन्तराम वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस-किस उद्योग के लिये कितना-कितना धन शहर के उद्योग वालों को मिला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सम्बन्धित सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३२७-३२८ पर।)

निम्नतम वेतन कानून लागू करने के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति

*६२--श्री सजीवन लाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में पास किये गये निम्नतम वेतन कानून (मिनिमम वेजेज ऐक्ट) को लागू करने के लिये कितने अधिकारी व कर्मचारी कहां-कहां पर नियुक्त हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३२९-३३०पर।)

औद्योगिक प्रशिक्षण शिक्षालय, इलाहाबाद का कथित प्रधानाचार्य

*६३--श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार को विदित है कि इलाहाबाद औद्योगिक प्रशिक्षण शिक्षालय के प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिये कोई विज्ञापन नहीं किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्रम विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण शिक्षालय, इलाहाबाद में प्रधानाचार्या (Lady Principal) का कोई पद नहीं है इसलिये विज्ञापन का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम पुनर्निर्माण अग्रगामी योजना की रूप रेखा

*६४--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार के लखनऊ स्थित प्लानिंग रिसर्च और ऐक्शन इन्स्टीट्यूट ने गांव के पुनःनिर्माण के लिये इटावा जिले में कोई पाइलेट प्रोजेक्ट शुरू किया है ? अगर हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ग्राम पुर्नर्निर्माण अग्रगामी योजना का संक्षिप्त विवरण तथा उसकी रूपरेखा माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३३१ पर।)

*६५--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सराकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस पाइलेट प्रोजेक्ट में अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रगति का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३३२ पर।)

लखीमपुर जिले में आबकारी की दुकानों की नीलामी में सालवेंसी सर्टिफिकेट न लेना

*६६--श्री मुहम्मद हुसैन तथा श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)--क्या यह सत्य है कि ५ मार्च, सन् १९५९ को जिला लखीमपुर, तहसील निघासन में पलिया-पड़ुआ तिरलोकापुर तथा पतिया में जो सरकारी इक्साइज की दुकानें नीलाम की गई थीं उनमें ठेकेदारों से सालवेन्सी सार्टीफिकेट नीलाम के समय में नहीं लिया गया था ? यदि हां, तो किस आधार पर और किसके आदेशानुसार ?

डाक्टर सीताराम--जी हां । यह नियमानुकूल था :

सीतापुर जिले में केन सेस के बकाया को वसूली के लिये आदेश

*६७--श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में सन् १९५७, १९५८ तथा १९ मार्च, १९५९ तक के कितने रुपये केन सेस के बकाया हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सीतापुर जिले में सन् १९५७-५८ तथा १९ मार्च, १९५९ तक केन सेस का कुल ६.५३ लाख रुपया बकाया था ।

*६८--श्री मूलचन्द--उक्त रुपये की वसूली के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सन् १९५८-५९ सीजन से पिछले बकाये की वसूली के लिये Notices of demand with penalty दिये जा चुके हैं तथा सीजन १९५८-५९ के गन्ना कर के तुरन्त भुगतान के लिये भी आदेश दिये जा चुके हैं ।

जिलाधीश, बाराबंकी का भगौती प्रसाद वर्मा, सदस्य, विधान सभा से न मिलना

*६९--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भगौतीप्रसाद वर्मा, सदस्य, विधान सभा दिनांक १९-३-५९ को जिलाधीश बाराबंकी से मिलने गये थे और उक्त जिलाधीश ने मिलने से इन्कार किया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां । जिलाधीश बाराबंकी १९-३-५९ को अस्वस्थ होने के कारण किसी से भी मिलने में असमर्थ रहे ।

रत्ना शुगर मिल्स लिमिटेड, शाहगंज का उत्पादन

*७०--कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--क्या सरकार जिला जौनपुर की शाहगंज चीनी मिल के बारे में यह सूचना देने की कृपा करेगी कि सन् १९५८-५९ के सीजन में कितना गन्ना पेरा गया तथा कितनी चीनी बनी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिला जौनपुर की रत्ना शुगर मिल्स लिमिटेड, शाहगंज ने सीजन १९५८-५९ में लगभग २८.२७ लाख मन गन्ना पेरा तथा उससे लगभग २.६८ लाख मन चीनी बनी ।

निलम्बित गजटेड अफसर

*७१--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने गजटेड अफसर १ वर्ष, २ वर्ष और ३ वर्ष से सस्पेण्डेड हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सूचना एकत्रित की जा रही है और इकट्ठा हो जाने पर उत्तर दिया जायगा ।

सार्वजनिक कार्यों में अनुदान देने के लिए कथित आदेश

*७२—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियोजन विभाग स सन् १९५८ ई० में कोई ऐसा आदेश भेजा गया है जिसमें सार्वजनिक कार्यों के लिये केवल ग्राम प्रधानों तथा सरपंचों के नाम से ही अनुदान देने को कहा गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। अनुदान गांव पंचायतों तथा रजिस्टर्ड स्कूल कमेटियों को दिया जाता है।

आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को सुविधाएं

*७३—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजाद हिन्द फौज के सैनिक जो उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा कर रहे हैं, उनकी पुरानी सर्विसेज वर्तमान सेवा अवधि में जोड़ी जा रही हैं ? क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार उनकी पुरानी सेवाओं क आधार पर उनको इन्क्रीमेंट देती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राज्य सेवाओं में नियुक्ति, वेतन, ज्येष्ठता आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को वे सभी सुविधायें प्रदान कर रखी हैं, जो युद्ध सेवा निवृत अभ्यर्थियों को प्राप्त हैं। राज्य सरकार इन लोगों को प्रायः वही सुविधायें दे रही है जो इनको केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हैं।

बदायूं जिले में गुड़ योजनान्तर्गत कार्य

*७४—श्री टीकाराम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में गुड़ स्कीम में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और सन् १९५८-५९ में किन-किन स्थानों पर उन्होंने गुड़ बनाने में सहायता दी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) चार।

(ख) बदायूं, दातागंज, आसफपुर और जगत क्षेत्रों म।

*७५—श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—[वांछित सचना एकत्र न हो सकने के कारण १३ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

बलिया जिले में उद्योगों के लिए सहायता

*७६—श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में १९५६-५७ में कितनी सहायता किन-किन उद्योग-धंधों को चलाने के निमित्त सरकार ने दी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३३३ पर।)

*७७-७८—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—[सहकारिता मंत्री से सम्बन्धित प्रथम सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ८८-८९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मिर्जापुर जिले में अवैध गांजा ले जाने वाली कारों का पकड़ा जाना

*७९—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले में मई, १९५९ और जून, १९५९ के प्रथम सप्ताह में कितनी मोटरकारें अवैध गांजा, भांग ले जाते हुये पकड़ी गईं और उनमें कितना गांजा, भांग पकड़ा गया ?

डाक्टर सीताराम—मिर्जापुर जिले में मई एवं जून, १९५९ के प्रथम सप्ताह में अवैध गांजा, भांग ले जाते हुए कोई मोटरकार नहीं पकड़ी गई, बल्कि मई, १९५९ के अन्तिम सप्ताह में तीन कारें अवैध गांजा ले जाते हुई पकड़ी गईं।

अल्मोड़ा को यात्रा-स्थल बनाने की व्यवस्था

*८०--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वह अल्मोड़ा को यात्रा स्थल (यात्रियों के लिये यात्रा का केन्द्र) बनाने के लिये क्या कर रही है या क्या-क्या करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार ने अल्मोड़ा को यात्रा-स्थल बनाने के लिए मार्ग एवं भवन निर्माण, खेमा लगवाना, Log Cabin, तथा प्रत्येक श्रेणी के यात्रियों के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो सकने की व्यवस्था की है।

*८१-८३--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बन्धित पांचवें मंगलवार १ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न सं० या १२-१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के बिक्री अयोग्य सामान को बेचने के लिये समिति की नियुक्ति

*८४--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि "गवर्नमेंट यू पी० हैन्डी क्राफ्ट्स शो रूम हरजरतगंज, लखनऊ" को और आकर्षक बनाने क लिये सरकार की ओर से कोई योजना कार्यान्वित की गई है? यदि हां, तो कुल कितना रुपया व्यय किया जा रहा है एवं उसकी क्या रूपरेखा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

*८५--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के Dead Stock (बिक्री अयोग्य सामान) के बारे में जो डिस्पोजल कमेटी बनाई गई है उसकी अब तक की क्या प्रगति है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस कमेटी में कितने और कौन-कौन मेम्बर हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--डिस्पोजल कमेटी ने अपनी बैठकों में उस माल का निरीक्षण किया जो निर्धारित मूल्य पर नहीं बिक रहा था और उसको बेंचने के लिये स्पेशल मैनेजर, यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स को उचित हिदायत दी। कमेटी की पहली और दूसरी बठक के दरम्यान सवा लाख रुपये के मूल्य का सामान बेंचा गया और अब ५९,००० रुपये के मूल्य का बिक्री अयोग्य सामान बाकी रह गया है। आशा है कि यह सामान कुछ कीमत में कमी करके और कुछ नीलाम करके शीघ्र बिक जायेगा।

इस कमेटी में निम्नलिखित चार मेम्बर हैं :

(१) श्री राजाराम शास्त्री, एम० एल० सी०
(२) श्री सैयद हामिद, संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग
(३) श्री इश्तियाक अली, अनु सचिव, वित्त विभाग
तथा (४) श्री वी० के० जोशी, संयुक्त उद्योग संचालक, सेंट्रल जोन, लखनऊ।

चीनी मिलों पर गन्ने का बकाया कर

*८६--श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कौन-कौन ऐसी चीनी मिलें हैं जिन पर गन्ने का कर अब तक बाकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रदेश की जिन चीनी मिलों पर गन्ने का कर बाकी है उनके नाम संलग्न तालिका में दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३३४–३३५ पर।)

*८७––श्री अमरनाथ––क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि अलग-अलग मिलों पर इस समय कितनी रकम बाकी है? और यह भी कि किन-किन वर्षों की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––विभिन्न चीनी मिलों पर १–७–५९ तक बाकी गन्ना कर का विवरण भी उपरोक्त तालिका में दिया हुआ है।

*८८––श्री लक्ष्मणराव कदम ––[स्थगित]।

"इंडिया प्रदर्शनी १९५८ में यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स का माल गायब होना"

*८९––श्री अब्दुल रऊफ लारी––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स द्वारा "इंडिया प्रदर्शनी १९५८" में कुल कितना धन व्यय किया गया है? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस प्रदर्शनी में यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स का कितना सामान चोरी चला गया है तथा इसके जिम्मेदार व्यक्तियों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द ––"इंडिया प्रदर्शनी १९५८" में गवर्नमेंट यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स की एक स्टाल स्थापित करने के लिये सरकार ने ३५,००० रु० व्यय करने की स्वीकृति दी थी। इस सम्बन्ध में २,००६ रुपये का व्यय हैण्डीक्राफ्ट्स बजट से हुआ है।

प्रदर्शनी समाप्त होने के बाद जांच के समय २,७६४.३७ रुपये के सामान की कमी मालूम हुई। कुछ व्यक्तियों ने यह भी कहा कि विभाग के कुछ कर्मचारियों ने यह सामान चोरी किया है। इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है और जो व्यक्ति जिम्मेदार ठहराये जायेंगे उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी।

आबकारी मद से आय

*९०––श्री गंगाप्रसादसिंह––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश में आबकारी मद से सरकारी खजाने में १९५६–५७, ५७–५८, और ५८–५९ में पृथक्-पृथक् आमदनी के रूप में कितना धन प्राप्त हुआ है?

डाक्टर सीताराम––इस प्रदेश में आबकारी मद से सरकारी खजाने में १९५६–५७ ५७–५८, और ५८–५९ में क्रमशः ५,८३,६२,५७३, ५,८३,४७,७२१ तथा ५,७४,२७,७२२ रुपयों की धनराशि प्राप्त हुई।

प्रतापगढ़ जिले में बेकारों की संख्या

*९१––श्री हरकेश बहादुर (जिला प्रतापगढ़)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले में बेकारों की संख्या कितनी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––जिला प्रतापगढ़ में कोई सेवायोजन कार्यालय स्थापित नहीं है। इलाहाबाद सेवायोजन कार्यालय के जीवित रजिस्टर पर जून, १९५९ के अन्त में प्रतापगढ़ जिले के ९०७ बेरोजगार व्यक्ति दर्ज थे।

*९२––श्री हरकेशबहादुर––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में बेकारों की संख्या कितनी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––जून, १९५९ के अन्त में १,५६,८३१ व्यक्ति प्रदेश के सेवायोजन कार्यालय के जीवित रजिस्टर पर दर्ज थे।

अतारांकित प्रश्न

जूता उद्योग में सहायता के लिए आगरे से प्रार्थना-पत्र

१––श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा से १९५८ में जूता के घरेलू उद्योग-धन्धों के कितने प्रार्थना-पत्र क्रमशः (अ) ऋण तथा (ब) अनुदान के लिये आये और उनमें से कितने मंजूर हुये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत जूते के घरेलू उद्योग धंधों हेतु आगरा से १९५८ में ऋण के लिये ३३ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से २८ स्वीकृत हुए।

उपरोक्त समय में अनुदान हेतु कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ।

ग्रामोद्योग के लिए राज्य सरकार को प्राप्त धन

२--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सन् १९५७-५८ और १९५८-५९ के वित्तीय वर्षों में ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु प्रत्येक वर्ष कितना धन ऋण अनुदान के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार को प्राप्त हुआ था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सन् १९५७-५८ में ९,८४,५५० रुपये का ऋण तथा ५,७०,५४५ रुपये का अनुदान मिला। सन् १९५८-५९ में १७,००,००० रुपये का ऋण तथा ८,२२,१६० रुपये का अनुदान मिला?

३--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७-५८ और १९५८-५९ के वित्तीय वर्षों में उक्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु धन का उपयोग किया जा चुका है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उक्त धनराशियों में से कुल ३०,३४,७१५ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

गन्ने का मूल्य बढ़ाने की प्रार्थना

४--श्री सजीवनलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना करेगी कि गन्ने का न्यूनतम मूल्य १ रुपया १२ आना मन गेट तथा आउट सेण्टर के अन्दर कर दिया जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गन्ने के मूल्य केन्द्रीय सरकार तय करती है, सरकार उत्तर प्रदेश की राय जो भी इस सम्बन्ध में है वह आगामी ज्वाइंट शुगर केन बोर्ड की बैठक में पेश कर दी जायगी।

चालू वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार गन्ने का मूल्य तय कर चुकी है अब किसी प्रकार की सलाह या प्रार्थना का मौका नहीं है।

प्रश्नों का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--मुझे ८८ नम्बर के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह स्थगित कर दिया गया है?

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ८ का उत्तर मेरे पास भी नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष--इसका उत्तर सरकार की तरफ से नहीं आया था और यह मुख्य मंत्री जी के विभाग का है। तो इसमें किसी दूसरे रोज उत्तर दिया जायगा। मैं दूसरे दिन के लिये इसको स्थगित कर दूं?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--मैंने यह दरख्वास्त की थी कि अभी सूचना नहीं है, इसलिये इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--वह शायद ३ रोज के पहले तक आया नहीं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बहरहाल, अगले दिन के लिए आप जरूर रख दें उसे।

श्री टीकाराम---अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नम्बर ८ का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष---वह आपके पास पहुंच जायगा ।

कार्यवृत्त में श्री मोतीलाल अवस्थी के परिवर्तित संशोधन के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता था कल की व्यवस्था के बारे में ?

श्री अध्यक्ष---पहले मैं कह दूं ।

कल सवेरे मैंने एक निर्णय दिया था श्री राजनारायण जी के संशोधन के ऊपर जोकि उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में उपस्थित करने के लिए दिया था और जिसे अवस्थी जी ने उपस्थित किया था । मुझसे आज राजनारायण जी से सवेरे उस विषय में बात हुई, जैसा मैंने उनसे कहा था कि आप बात कर सकते हैं, अगर मुझे कोई परिवर्तन करना हो तो मैं परिवर्तन करूंगा । तो जहां तक कार्यवृत्त में, यानी जर्नल में मैंने जो परिवर्तन शाब्दिक कर दिया था उसका सम्बन्ध है परसों की कार्यवाही में, उस सम्बन्ध में उनसे सहमत हो जाने के कारण उसमें मैं परिवर्तन करता हूं कि जर्नल में, जिस प्रकार से कि अवस्थी जी के संशोधन का प्रस्ताव उपस्थित किया था वही शब्द रहेंगे । उसका एक कारण और भी है कि हमारे यहां नियम यह है कि अगर मैं कोई परिवर्तन करूं तो उसमें नोट लिखा जाना चाहिए कि अध्यक्ष की आज्ञा से यह परिवर्तन किया गया । जर्नल में यह बात छपने से रह गयी । दूसरी चीज और भी हुई कि जिस लिए मैंने उसको रोका था वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कल की जो कार्य-सूची थी उसमें प्रस्ताव उसी शक्ल में छप गया था जिसमें पहले था । इन सब कारणों से और इस वजह से भी कि उसके बाद मैंने दूसरा निर्णय उस सम्बन्ध में दिया, मैं अब यह समझता हूं कि परसों की कार्यवाही में अवस्थी जी ने जिन शब्दों में अपना संशोधन रखा था उन्हीं शब्दों में कार्यवृत्त में वह रहेगा।

इस निर्णय के कारण कार्यवृत्त तो फिर से परसों का छापा जायगा और वह वितरित कर दिया जायगा । दूसरी चीज राजनारायण जी ने यह कही थी कि मैंने जो निर्णय इस विषय में दिया कि उनके संशोधन के दो अंश जिनसे परराष्ट्र नीति से सम्बन्ध है और केन्द्रीय विषय है, उनके ऊपर कोई इस समय सदन में विचार नहीं हो सकता, इसलिये उनके संसोधन से वह निकाल दिये जायं यह निर्णय बदल दिया जाय । मैंने काफी तौर से गौर फिर से किया और एक प्रश्न कल राजनारायण जी ने अध्यक्ष के सामने, यानी जिस वक्त उपाध्यक्ष यहां मौजूद थे और अध्यक्ष पदासीन थे, उनके सामने भी रखा था । मेरे सामने भी उन्होंने आज जिक्र किया और सब बातों पर विचार करके मैंने यह निर्णय किया है कि जो मेरा निर्णय हुआ था वह सही है । संशोधन में से वह दो आक्षेपार्ह हिस्से निकाल दिये जायंगे, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है और संविधान अगर अधिकार इस आदरणीय सदन को नहीं देता तो हम, कितनी ही हमारी इच्छा क्यों न हो, उस प्रश्न को बहस में नहीं ला सकते ।

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्णयों में विरोधाभास की दशा में प्रक्रिया

श्री अध्यक्ष---जहां तक यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या अध्यक्ष पदासीन उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता कोई फैसला देते हैं तो क्या उनके फैसलों को पुनर्विचार करके मैं संशोधित कर सकता हूं या नहीं । साधारणतया तो मैं यह प्रथा ही रखना उचित समझा हूं कि यथासम्भव जिसने पहले निर्णय दिया हो वही पुनर्विचार करके उसमें परिवर्तन करें तो अच्छा है, लेकिन परिस्थिति ऐसी भी पैदा हो सकती है जिसमें यह न हो सके । कल मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि राजनारायण जी भाषण देने वाले थे और यदि पुनर्विचार के लिये उपाध्यक्ष के पास वह जाते उसके पहले उनका भाषण हो जाता और उसमें जो चीज मैं समझता था कि संविधान के विरुद्ध उसकी बहस खड़ी

हो जाती और टीका-टिप्पणी हो जाती इसलिये मुझे इमरजेन्सी में संशोधित निर्णय देने की आवश्यकता पड़ी और इस तरह का अधिकार अध्यक्ष को सदैव रहता है। मैं मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के कुछ उद्धरण जो कि सफा २४९ पर मौजूद हैं, अध्यक्ष के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में और उनकी शक्ति के सम्बन्ध में, वह मैं पढ़ के सुना देता हूं जिससे आगे इस विषय में कोई शंका न रह सके। थोड़ा-सा उद्धरण मैं पढ़ता हूं जो कि इस सम्बन्ध में है:

"The Speaker is always ready to advise members of all parties who consult him privately whether upon any action which they propose to take in the House or upon any questions of order which are likely to arise in its proceedings. Such private Rulings of the Speaker generally settle the questions at issue but they may, if necessary, be supplemented by Rulings given from the Chair."

यानी अध्यक्ष अपने चैम्बर में भी फैसला ले सकते हैं अगर इस विषय में प्रश्न उनके सामने उठता है या कोई सदस्य उठाता है। कोई भी सदस्य किसी पार्टी का हो सलाह किसी विषय में अध्यक्ष से ले सकता है और उसके अनुसार काम हो सकता है। यदि अध्यक्ष यह समझे कि चैम्बर में दी हुई रूलिंग प्रकाश में आ जानी चाहिये तो वह अपने सदन में चेयर से रूलिंग देकर, जो बात चैम्बर में निर्णीत हो गई है, प्रकाश में ला सकता है जैसा कि आज मैंने राजनारायण जी से बात करने के बाद निर्णय चेम्बर में किया था और अब वह प्रकाश में ला दिया जिससे स्पष्ट हो जाय कि उक्त अन्तर्राष्ट्रीय नीति के विषय पर बहस नहीं होगी और वह चीज संशोधन में से हट जायगी और इसके साथ ही साथ परसों के कार्यवृत्त पर भी पुनर्विचार करके निर्णय दे दिया कि उक्त कार्यवृत्त में संशोधन मूल रूप में रहेगा। एक और उद्धरण यह है--

"The Speaker's Rulings whether given in public or in private constitute precedents by which subsequent Speakers, Members and Officers are guided."

इससे स्पष्ट है कि चाहे मैं प्राइवेट सलाह दूं चाहे यहां पर सदन में दूं, सब प्रिसीडेण्ट्स हो जाते हैं और सब्सीक्वैण्ट स्पीकर्स उससे गाइड होते हैं, यानी सभी स्पीकर्स। ऐसी अवस्था में जबकि मैं यहां मौजूद हूं और मेरे स्थान पर उपाध्यक्ष बैठें, कोई अधिष्ठाता बैठें तो यह तो स्पष्ट ही है कि वे उससे गाइड होंगे और यदि कोई उसमें परिवर्तन कराना चाहे जैसा कि सबको अधिकार है इस आदरणीय सदन के हर एक सदस्य को, तो मेरे चैम्बर में आकर मेरे मत को परिवर्तन कराने का प्रयत्न करें। वैसे अधिष्ठाता, उपाध्यक्ष और सभी को यह अधिकार है कि मेरे सामने आकर यह कहें कि यह आपने जो फैसला दिया है इस पर आप पुनर्विचार करें इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन जब आखिर में अध्यक्ष का फैसला हो गया तो फिर उसको कोई चैलेंज नहीं करता, नहीं तो फिर यहां पर कोई व्यवस्था कायम नहीं रह सकती है। एक रीजनेबिलनेस की भी बात है, इंटरप्रिटेशन रीजनेबिल होना चाहिये किसी बात का। ८-१० सदस्य अधिष्ठाता मनोनीत होते हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, हर एक अपना अपना फैसला दें तो एक दूसरे के शायद विरुद्ध पड़े, और जब तक कि वह अधिष्ठाता सदन में आकर न बैठे तब तक उसे पुनर्विचार करके बदल नहीं सकता। अगर ऐसा हो तो सदन में व्यवस्था कायम नहीं रहेगी। इसलिये नियमों का रीजनेबिल तरीके से इन्टरप्रेटेशन होता है। वह मैंने दे दिया। साधारणतया तो मैं यह चाहूंगा कि पुनर्विचार करना है तो जो व्यक्ति रूलिंग देते हैं वहीं करें। लेकिन जहां संविधान का संबंध आ जाता है और तात्कालिक निश्चय करना होता है वहां मैं अपनी दृष्टि से यह चीज ओझल नहीं रख सकता हूं कि संविधान के विपरीत बात चल रही हो और मैं उसे चलने दूं। संविधान सर्वोपरि है। उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना मेरा कर्त्तव्य हो जाता है। इसलिये मैंने यह फैसला दिया।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)--प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, मैं गलत न समझा जाऊं इसलिये जो रूलिंग आपने दी है वह शिरोधार्य है। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि अगर किसी मसले पर भारतीय संविधान में या हमारे रूल्स में स्पैसिफिक प्रावीजन है तो क्या मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस उसे ओवर राइट करेगी, भारतीय संविधान को

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

और हमारे रूल्स को। इंग्लैंड में संविधान अनरिटेन है, लिहाजा वहां की एक विशेष परिस्थिति है। भारत में संविधान रिटेन है और उसके मुताबिक हमने अपने रूल्स बनाये हैं।

श्री अध्यक्ष---आप अपने प्रश्न को स्पष्ट करें और मेरे कमरे में आकर बात करने की कृपा करें ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---यह कमरे की कोई चीज नहीं है, क्योंकि मैं आपकी किसी रूलिंग का रिवीजन नहीं चाहता हूं। मैं एक नया प्रश्न उठाता हूं। संविधान के आर्टिकिल १८० के अनुसार डिप्टी स्पीकर को या किसी अधिष्ठाता को वही अधिकार है जो कि स्पीकर को हैं। हमारे रूल्स १३ में भी वही परिस्थिति है कि डिप्टी स्पीकर, स्पीकर की अदम मौजूदगी में, स्पीकर के रूप में बैठता है और उसकी रूलिन्ग्स स्पीकर की रूलिन्ग्स मानी जावेंगी। मेरा कहना यह है कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में चाहे जो भी लिखा हो, भारत में उसके सिलसिले में बहुत सी गलतफहमी हो रही है कि वह भागवत गीता है या तुलसीदास जी की रामायण है, परन्तु यदि हमारे संविधान में कोई चीज नहीं है तभी हम इस मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से गाइड हो सकते हैं, लेकिन जब हमारे संविधान और रूल्स स्पष्ट हैं तो मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के लिये कोई स्थान नहीं है।

श्री अध्यक्ष---नया सवाल आप नहीं उठा रहे हैं, बल्कि टीका कर रहे हैं मेरे फैसले की। मैंने कभी नहीं कहा कि जो अध्यक्ष यहां बैठेगा वह अध्यक्ष की जगह पूरा अधिकार नहीं रखता है। उसकी रूलिंग को कोई क्वैश्चन नहीं कर सकता, लेकिन यह नियम में कहीं नहीं दिया है कि अध्यक्ष अपने फैसले को नहीं बदल सकता है। उपाध्यक्ष ने या अधिष्ठाता ने जो फैसले दिये उन सबकी व्यवस्था करने का काम जबकि नियमों में कोई तरीका नहीं दिया हुआ है और उनके रिवीजन के कोई रूल्स नहीं हैं, तो मेरा ही है और मैं उन पर जो फैसले दूंगा मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की प्रथा को लेकर, और जो उसके संबंध में प्रथा का मैं निर्णय करूंगा, वही निर्णय होगा। इसलिये मैंने एक फैसला कर दिया और उसके ऊपर अब क्वैश्चन नहीं हो सकता। अगर आपको इस विषय पर कोई बहस करनी है तो मेरे कमरे में आकर समझाइये और बतलाइये कि इस तरह से मेरे फैसले में गलती हो गई है, तो मैं उसे स्वीकार करने के लिये तैयार हूं।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)---मैं केवल एक वाक्य कहना चाहता हूं श्री अवधेशप्रताप के आक्षेप पर कि यदि इस सदन के अन्दर संविधान के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति रूलिंग दे दे तो वह आउट आफ आर्डर और जूरिस्डिक्शन के बाहर होगी, अनधिकार चेष्टा होगी..

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप उसका जबाव दे रहे हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप भी मेरे कमरे में आ जावें, ज्यादा अच्छा है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---थोड़ा-सा व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन् ने रूलिंग दे दी, वह शिरोधार्य है। संविधान के पार्ट ११ में रिलेशन बिटवीन दि यूनियन एंड दि स्टेट्स में २४६ और २४७ वगैरह जो हैं उनमें स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट अलग-अलग हैं। शायद श्रीमन् का इशारा इससे है। हम कोई कानून ऐसा नहीं बना सकते हैं जो यूनियन की लिस्ट में हो, लेकिन संविधान की धाराओं में यह कहीं नहीं है कि हम उनका जिक्र भी नहीं कर सकते। जहां तक गवर्नर के एड्रैस का सवाल है, हम उस पर कोई कानून तो बना नहीं रहे हैं, पर इस पर हमें जिक्र करने का तो अधिकार है।

श्री अध्यक्ष---मैंने फैसला दे दिया है कि राजनारायण जी के संशोधन में अन्तर्राष्ट्रीय नीति के बारे में प्रधान मंत्री का जो जिक्र आया था, उस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री की नीति के सम्बन्ध में आलोचना करना अवैध है। यह मैं निर्णय कर चुका हूं। आप मेरी रूलिंग को क्वैश्चन कर रहे हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। अगर आपको मेरी रूलिंग को क्वैश्चन करना है तो मेरे कमर में आइये और समझाइये।

संविधान में वर्णित अनर्हताओं का श्री कमलापति त्रिपाठी गृह मंत्री पर कथित आरोप

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद १९२ के मुताबिक एक प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं और यह संबंधित है १९१ से। हमारे पास अंग्रेजी का है, इसलिये मैं इसी से पढ़ता हूं:

"A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder, if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court, if he is an undischarged insolvent, if he is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State, or is under any acknowledgment of allegiance or adherence to a foreign State, if he is so disqualified by or under any law made by Parliament."

श्रीमन्, इस अनुच्छेद १९१ के ५ उपखंड हैं, मैं इस सवाल को प्रस्तुत कर रहा हूं उपखंड (ई) के अन्तर्गत। अनुच्छेद १९२ में यह कहा गया है—

"192. (1) If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final.

(2) Before giving any decision or any such question, the Governor shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion."

श्रीमन्, अनुच्छेद १९२ में लिखा हुआ ह कि अनुच्छेद १९१ के (ए) से लेकर (ई) के अन्दर अगर कोई डिसक्वालीफिकेशन एराइज करती है और अगर यह क्वेश्चन उत्पन्न हो जाता है तो यह क्वेश्चन गवर्नर को रिफर किया जायगा। तो जब मैं १९२ के अन्तर्गत यह सवाल उठा रहा हूं और वह यह है कि (ई) के अन्दर अगर कोई कानून बनाया हो पार्लियामेंट ने तो पार्लियामेंट ने इस संबंध में एक कानून बनाया है—रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट, १९५१। उसकी धारा ७—डी में यह दिया हुआ है—

7(*d*) If, whether by himself of by any person or body of persons in trust for him or for his benefit or on his account, he has any share or interest in a contract for the supply of goods to, or for the execution of any works or the performance of any services undertaken by, the appropriate Government;

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, यह जो संविधान की धारायें यहां प्रस्तुत की जा रही हैं गवर्नर के रिफरेन्स के लिये तो क्या ऐसा विषय इस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—उनको आगे कह तो लेने दीजिये।

श्री राजनारायण—संविधान की जो धाराएँ हैं, मैंने उनका अध्ययन किया है, उन्हीं के अनुसार यह प्रश्न मैंने आपकी सेवा में उठाया है। संविधान में यह कहीं नहीं लिखा हुआ कि यह प्रश्न कहां उठाया जाय। जब यह उठ जायगा तो मेटर गवर्नर को रिफर किया जायगा। इसके लिये इसमें कहीं भी वर्जित नहीं है। इसीलिये मैंने भारतीय संविधान की धारा १९२ के अन्तर्गत यह प्रश्न उठाया है।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न था, उसको आपने अच्छी तरह से सुना नहीं ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपाकर के बैठें, व्यवस्था का प्रश्न तब उठेगा जब यह मालूम हो जायगा कि प्रश्न क्या है ।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---आन ए प्वाइंट आफ इनफर्मेशन, सर । माननीय राजनारायण जी अपने रूल्स आफ बिजनेस की किस धारा के अन्तर्गत यह प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---उनको कहने दीजिये । आप मुझसे पूछते हैं लेकिन मुझे अभी यह पता ही नहीं है कि उनका प्रश्न क्या है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---अभी तो मेरी यह व्यवस्था है कि आप पहले मुझे उनकी बात सुनने दीजिये ।

श्री राजनारायण---माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद १९२ (१) के अन्दर यह प्रश्न उठाते हैं कि अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं के भागी श्री पंडित कमलापति त्रिपाठी जी हो गये हैं। अतः अब वे विधान सभाके सदस्य की हैसियत से यहां बैठने के योग्य नहीं रह गये हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें ।

श्री अध्यक्ष---मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां की प्रक्रिया नियमावली के किस नियम के अनुसार आप इस प्रश्न को उठा रहे हैं ?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हमारी जो प्रक्रिया नियमावली है इसके सेक्शन ५२ को देखा जाय ।

> "५२---अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर ध्यान दिलाना---(१) कोई सदस्य जो अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हो, ऐसे विषय की उस दिन के उपवेशन के प्रारम्भ से आध घंटे पूर्व जिस दिन वह विषय उठाना चाहता हो, द्विप्रतिक सूचना दे देगा। सचिव सूचना की एक प्रति सम्बन्धित मन्त्री को भेज देगा ।"

श्रीमन्, इस नियम की वह धारा मैं अभी जल्दी जल्दी नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन मुझे यह स्मरण है कि किसी लोक महत्व के प्रश्न को जो अविलम्बनीय हो, उस पर अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करके सदन में प्रश्न रखा जा सकता है और यह हमारा वैधानिक अधिकार है कि विधान से सम्बन्धित प्रश्न किसी भी समय अध्यक्ष की आज्ञा से उठाया जा सकता है। यह प्रश्न जिस समय भी हमारे दिमाग में आया, यह एक वैधानिक प्रश्न हो गया। श्रीमन्, जब कोई सदस्य अनर्हता के अन्दर आ गया तो क्या वह सदन में बैठ सकता है, इसीलिए मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है और अगर यह देखा जाय सेक्शन ५३, जिस में दिया हुआ है---"अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर थोड़े समय के लिए चर्चा उठाने की सूचना। ५३---अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य उठाये जाने वाले विषय का स्पष्टतया तथा सुतथ्यतया उल्लेख कर सचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकेगा।" अब इसके अन्दर हम ने सचिव को सूचना दे दी कि आज हम इस प्रश्न को सदन में उठायेंगे प्रक्रिया नियमावली के नियम ५७ के अन्तर्गत। और सचिव को सूचना देने के बाद ही मैं

आप की आज्ञा से ही इस प्रश्न को उठा रहा हूं और आप से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि विधानतः इस पर जो उचित कार्यवाही हो, वह आप करें। क्योंकि अब आप यह समझ गये कि श्री कमलापति त्रिपाठी अनर्ह हो गये हैं . . .

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं मान्यवर, हमारे संविधान में इस बारे में एक निश्चित विधान है। उस विधान के विरुद्ध और यहां की प्रक्रिया नियमावली के नियम के विरुद्ध यह प्रश्न यहां रखा गया है। श्री राज नारायण जी ने कोई भी नियम इस सम्बन्ध में आप के सामने नहीं रखा जिस के अन्तर्गत यह प्रश्न यहां उठाया जा सके। इसलिए यह रूल के विरुद्ध तो है ही, इसके अलावा इस से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न भी पैदा होता है। इस लिए मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करूं कि परसों भी श्री राजनारायण जी ने यह प्रश्न उठाया था और वे जान बूझ कर श्री कमलापति त्रिपाठी के विरुद्ध इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जिसे मैं समझता हूं कि यह इस सदन का अपमान है। इसलिए आज भी मैं इस प्रश्न को उठाने की अनुज्ञा चाहता हूं कि सदन इस पर उचित कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष---मैं अभी इसके बारे में अनुज्ञा नहीं देता हूं। पहले इस विषय में निश्चय हो जाय कि क्या संविधान के अनुसार इस प्रश्न को जिस में यह दिया हुआ है डिसक्वालिफिकेशन के बारे में और जिसका फैसला राज्यपाल कर सकते हैं, वह प्रश्न उठाया जा सकता है या नहीं। इस बारे में अन्य सदस्य भी कोई अपनी राय देना चाहते हों तो उसे देना उचित होगा।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---मान्यवर, संविधान में और रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट में एक विधि निश्चित है ऐसे प्रश्न के सम्बन्ध में, जब कि चुनाव के लिए नामिनेशन्स हों, उस समय आपत्ति द्वारा अथवा चुनाव के बाद चुनाव याचिका द्वारा यह प्रश्न उठाया जा सकता है। यदि ऐसी अनर्हता बाद में उत्पन्न हो जाय। तो गवर्नर से निवेदन करने के लिए, कोई व्यक्ति पेटीशन दे सकता है। इस सदन में उस विषय की चर्चा नहीं की जा सकती।

उस पर इस सदन में बहस करने का कोई नियम हमारी नियमावली में नहीं है। ऐसी स्थिति में यह केवल इस इरादे से लाया गया है कि किसी माननीय सदस्य के प्रति अवांछनीय लांछन लगाकर जनता की दृष्टि में उस के यश को घटाया जाय अथवा अपकीर्ति फैलायी जाय। मैं समझता हूं कि यह सदन के अधिकारों की अवहेलना है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि आप मुझे विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करने की आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष---अभी आप अपने को वैधानिक प्रश्न पर ही सीमित रखें।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मेरा कहना यही है कि यह हमारे संविधान के अन्तर्गत नहीं आता।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम २० के उपनियम (३) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह कहता है कि---

"Provided that notwithstanding the fact that a day has been allotted for the discussion on the Governor's address other business of a formal nature may be transacted on such a day before the House commences or continues the discussion on the address."

तो इस के अनुसार मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न आज उपस्थित नहीं हो सकता, क्योंकि आज का दिन माननीय राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में निश्चित है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---मान्यवर, दो प्रकार के वैधानिक प्रश्न इस सम्बन्ध में उठाये गये हैं। एक तो यह कि माननीय समाजवादी दल के नेता को इस सदन के अथवा संविधान के किस नियम के अनुसार इस प्रश्न को उठाने का अधिकार है, दूसरे यह जो मैं पेश कर रहा हूं कि यदि ऐसा प्रश्न उठे तो क्या मान्यवर को अधिकार है कि उस पर कोई कार्यवाही कर सकें या निर्णय दे सकें। मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐसा प्रश्न उठ सकता है और संविधान के आर्टिकिल १९३ में साफ साफ लिखा है, आप आज्ञा दें, तो मैं उस का रिलेवेन्ट हिस्सा पढ़ दूं कि ---

"If a person sits or votes as a member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State before he has complied with the requirements of Article 188, or when he knows that he is not qualified for membership thereof."

इस में उसकी पर्सनल नालेज कोई नहीं है। नेता समाजवादी दल के अनुसार इस सदन के एक माननीय सदस्य जो यहां उपस्थित हैं वह डिसक्वालिफाइड हैं सदन में बैठने के लिए उन का यह अपना खयाल है। इस संविधान की धारा में लिखा है कि अगर ऐसा आदमी बैठेगा तो उस पर ५०० रुपया रोज जुर्माना होगा। किसी भी माननीय सदस्य को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि अगर कोई ऐसा सज्जन इस सदन में बैठा है जो डिसक्वालिफाई हो गया है, अगर उस की राय ऐसी है तो वह मान्यवर का ध्यान उस तरफ दिला सकता है आर्टिकिल १९३ के अन्तर्गत। माननीय सदस्यों का यह कर्त्तव्य है कि वह मान्यवर का ध्यान इस तरफ दिलाये। जहां तक यह प्रश्न है कि मान्यवर क्या कर सकते हैं उस सम्बन्ध में माननीय समाजवादी दल के नेता ने जो धारा १९१ की आड़ ली और धारा १९२ भी पढ़ दी तो वह तो उनके खिलाफ ही जाती है, क्योंकि कभी ऐसा प्रश्न उठे तो उस पर निर्णय देने का अधिकार न मान्यवर को है और न सदन को ही है। कभी ऐसी बात पैदा हो तो मैं मान्यवर से यह निवेदन करूंगा कि उस का ठीक प्रोसीजर यह होगा कि वह माननीय राज्यपाल के यहां दरख्वास्त पेश करें और उस पर संविधान के अनुसार जब तक राज्यपाल की ओर से कार्यवाही न हो तब तक उस प्रश्न पर निर्णय नहीं हो सकता।

मेरा नम्र निवेदन यह है कि यह उठ सकता है, लेकिन इस पर इतना ही निर्णय हो सकता है कि यह हाउस या मान्यवर, इस में कोई फैसला नहीं कर सकते हैं। जिन साहब को इस की चिन्ता हो वह राज्यपाल महोदय की सेवा में अपनी दरख्वास्त पेश करें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---श्रीमन्, माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने जिस नियम का उद्धरण दिया उस से स्पष्ट है कि कुछ ऐसे विषय हैं जो कि इस सदन में उस वक्त कोई सदस्य कहे या उनकी ओर आप का ध्यान दिलाये जब कि संगतयुक्त हो, लेकिन अभी जिसका निर्णय ही नहीं हुआ कि अनर्हता है या नहीं उस प्रश्न को यदि कोई उठाता है तो सदन का अपमान करता है।

*समाज कल्याण मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---श्रीमन्, मैं केवल दो चीजें आप के द्वारा सदन के सामने रक्खूंगा। एक तो यह कि ऐसा प्रश्न हो सकता है जिस में कि कोई आदमी डिस्क्वालिफाइड हो किन्हीं कारणों से। दूसरा प्रश्न यह है कि वह डिसक्वालिफाइड हो तो उसके सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है। माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने एक बात कही, लेकिन यदि कांस्टीटचूशन का आर्टिकिल १९२ पढ़ लिया जाय तो यह बहुत स्पष्ट हो सकता है कि उस का प्रोसीजर क्या है। यह जो प्रोसीजर मेरे मित्र राजनारायण जी ने लिया वह तो कतई प्रोसीजर है नहीं। मैं आप की आज्ञा से आर्टिकिल १९२ पढ़ देता हूं---

"(1) If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications men-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

tioned in clause (1) of article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final."

मैं इसमें जोर देता हूं केवल इन शब्दों पर कि "the question shall be referred of the decision for the Governer" और इस में भी अधिक जोर देता हूं शब्द "shall" पर। इस में शब्द "may" नहीं है। इसके पश्चात् यह जो उप-धारा (२) है :--

"(2) Before giving any decision on any such question, the Governor shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion."

इस में भी "shall" लिखा हुआ है। दोनों स्थानों पर "shall" है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी दशाओं में क्या किया जा सकता है इस की एक स्पष्ट विधि है। जब वह विधि मौजूद है तो यहां पर इस क्वेश्चन को उठाया जा सकता है यह बिलकुल एक ऐसी बात है जो किसी प्रकार भी संगत नहीं है। श्री त्रिलोकीसिंह जी ने एक प्रश्न उठाया कि कोई आदमी यदि डिस्क्वालीफाइड होता है और सदन में बैठता है तो उस पर कुछ लायबिलिटी आ सकती है। मेरा निवेदन उस के सम्बन्ध में यह है कि--नियम १८८ का तो कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि उस में तो यदि किसी व्यक्ति ने शपथ नहीं ली है और आकर बैठता है तो कुछ पेनाल्टी लग सकती है--अगर और किसी कारण से डिस्क्वालिफाइड हो जाय तो यह उसका कर्त्तव्य है कि वह देखे कि डिस्क्वालिफाइड है या नहीं। यदि वह समझता है कि डिस्क्वालिफाइड नहीं है तो उसके बारे में किसी प्रकार से यह कहना कि यह व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड है और इसके लिए कुछ किया जाय, ठीक नहीं है, जब कि इस के लिए प्रोसीजर लेड डाउन है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, जब मैं खड़ा हुआ था प्वाइन्ट आफ इन्फार्मेशन पर तो मैंने यह जानने की कोशिश की थी कि किस धारा के अन्तर्गत इस प्रश्न को यहां उठाने की चेष्टा की गयी है। इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद मान्यवर, यह कहा गया श्री त्रिलोकीसिंह जी की तरफ से, कि धारा १९३ में यह लिखा हुआ है कि कोई आदमी जो डिस्क्वालिफाइड हो वह सदन में बैठे तो उस के सम्बन्ध में ध्यान आपका आकर्षित किया जा सकता है। तो प्रश्न जिस पर कि सदन विचार कर रहा है वह इतना ही है जो कि राजनारायण जी ने उठाया, उस को बढ़ाने की अनुमति देना उचित है या नहीं, यह आप को निश्चय करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो प्रश्न है वह विधि के मुताबिक है या नहीं, इसका उत्तर तो उन्हें देना ही चाहिए। और अगर वह नहीं दे सकते तो वहां पर उनकी बात खत्म हो जाती है। माननीय राजनारायण जी से आपने नियम पूछा तो जैसा अंग्रेजी में कहते हैं " he Fumbled for rules" उन्होंने नियम ५२ पढ़ा और नियम ५३ का एक हिस्सा पढ़ा। अर्जी जो सचिव को दी जायेगी उस में कितनी-कितनी बातें लिखी हुई हैं, वे सब पूरी हैं या नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। इसलिए यह प्रश्न उठ ही नहीं सकता। अन्तिम बात यह कहनी है कि आर्टिकिल १९३, आर्टिकिल १९२ का सब्सिक्वेंट है। जब अनुच्छेद १९२ के मुताबिक कोई बात इस्टैब्लिश हो जाय तब ही अनुच्छेद १९३ लागू होता है। तो चूंकि पहली बात इस्टैब्लिश नहीं हुई है इसलिए अनुच्छेद १९३ लागू ही नहीं होता।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि कभी-कभी अपनी गलत वकालत से अपना केस चौपट हो जाता है। मैं माननीय त्रिलोकीसिंह जी से सहमत हूं कि आर्टिकिल १९२ राजनारायण जी के हक में नहीं है। अब रहा माननीय नेता विरोधी दल ने आर्टिकिल १९३ का प्रश्न उठाया। इस में दो चीजें हैं। एक क्वालीफाई न होना और एक डिसक्वालिफाई होना। अगर कोई मेम्बर या मन्त्री जी समझते हैं कि मैं क्वालिफाई नहीं हूं तो यह उनकी जिम्मेदारी है और डिसक्वालीफाई होना एक दूसरी चीज है। अब डिसक्वालीफाई वे कैसे हो सकते हैं? या तो एलेक्शन ट्रिब्यूनल से हों या गवर्नर महोदय, आर्टिकिल १९२ में दी हुई फारमेलीटीज आबजर्व करने के बाद उन्हें डिसक्वालीफाई कर दें। आर्टिकिल १९३ में

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

डिसक्वालीफाई तब तक नहीं समझे जायेंगे जब तक डिसक्वालीफिकेशन उनके ऊपर नहीं लगायी जाती है। आर्टिकिल १९२ का जो प्रश्न है तो मैं उनकी मदद करने की इच्छा रखते हुए भी नहीं कर सकता।

श्रीरामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--आर्टिकिल १९२ के सम्बन्ध में थोड़ा अर्ज करना है। माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी और त्रिलोकीसिंह जी ने यह कहा कि माननीय राजनारायण जी का केस बिगड़ता है। मैं आपका ध्यान "शैल रिफर" की ओर दिलाना चाहता हूं जिस को माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने कहा है। अगर राजनारायण जी सीधे पेटीशन देते तो पेटीशन लाज की जाती है, अपील प्रीफर की जाती है। लेकिन "रिफर" करने का मतलब ही यह है कि कोई अथारिटी होगी जो गवर्नर के यहां "रिफर" करेगी। इस लिए "रिफर" शब्द का मतलब यह है कि कोई ऐसी अथारिटी के सामने ले जायेंगे जो यह मामला गवर्नर के पास भेजे और इस दृष्टि से आप अथारिटी हैं। इस लिए जो शब्द पेटीशन या अपील दाखिल करने के लिए आते हैं जैसे फाइल करना, लाज करना, प्रीफर करना यह शब्द तो यहां रखे नहीं गये हैं। यहां तो शब्द "रिफर" है। इस लिए यह मामला यहां उठाना उचित है और आप सक्षम हैं कि आप इस मामले को गवर्नर के यहां भेंजे ।

श्री अध्यक्ष--मैं अपने फैसले को अभी स्थगित रखता हूं और मैंने बहस सुन ली। जो सज्जन कुछ और कहना चाहते हैं इस मामले में वह मुझसे मेरी चेम्बर में कह सकते हैं। अब ज्यादा समय इस पर और नहीं देना चाहता। प्रश्न सिर्फ राजनारायण जी का यह है कि वह अध्यक्ष को और इस सदन को उपयोग में लाना चाहते हैं। आर्टिकिल १९२ की कार्यवाही के लिए स्पष्ट बात यह है। वह समझते हैं प्रोसीजर जो उस में दिया हुआ है अगर प्रश्न उपस्थित हो जाय किसी सदस्य के सम्बन्ध में तो वह राज्यपाल निर्णय करेंगे ही। लेकिन वह समझते हैं कि प्रोसीजर यह होना चाहिए कि वह प्रश्न यहां सदन में एराइज हो सकता है, उनका यह मन है। और वे मुझे उपयोग में लाना चाहते हैं उसी प्रोसीजर में जिस में मैं यहां से मामले को श्री राज्यपाल को रिफर कर दूं। यह प्रश्न स्पष्ट है। तो इस मामले में मैंने बहस सुन ली, और भी कुछ लोग कहना चाहें, मुझसे मेरे कमरे में कह सकते हैं। फिर मैं विचार करके जो निर्णय होगा इस सम्बन्ध में, कि क्या सदन द्वारा इसका प्रोसीजर प्रारम्भ किया जा सकता है या नहीं, इसका फैसला कल दूंगा। तो उस से पहले मुझ से मिल कर जो लोग चाहें अपनी राय दे सकते हैं। अब इसके ऊपर और चर्चा नहीं होगी।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, एक निवेदन कर सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं।

श्री राजनारायण--इस सम्बन्ध में नहीं। आप की दिक्कत आसान हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--मैं इस विषय में और इजाजत नहीं देना चाहता।

२ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न ७ से सम्बंधित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के शोधन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--अब दिनांक २ अप्रैल, १९५९ को विधान सभा के सदस्य श्री गोविन्द सिंह बिष्ट के तारांकित प्रश्न संख्या ७ से सम्बन्धित माननीय सदस्य तथा श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री द्वारा शोधन वक्तव्य होगा।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--मैं कल दूंगा।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९*

स्वायत्त शासन मंत्री(श्री विचित्रनारायण शर्मा)--मुझे एक प्रार्थना करनी है। मैं उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९, को पुरः स्थापित करने के लिए सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९ को पुरः स्थापित करने के लिए सदन अनुज्ञा देता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मैं, श्रीमन् की आज्ञा से, उत्तर प्रदेश जिला परिषद्, विधेयक, १९५९ को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--अब श्री जगदीशशरण अग्रवाल के प्रस्ताव पर भाषण शुरू होंगे।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जगदीश शरण अग्रवाल जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है उस में निम्नलिखत संशोधन उपस्थित करता हूं:--

किन्तु सदन को खेद है कि राज्यपाल ने निम्न बातों के लिये सरकार की भर्त्सना नहीं की--

"(१) राज्य के अभावग्रस्त पूर्वी जिलों में सस्ते गल्ले की दुकानें अब तक नहीं खोली गईं, यद्यपि उन जिलों में अभाव की स्थिति है।

(२) गोरखपुर विश्वविद्यालय में सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारिणी नें विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में जातिवाद तथा कुनबापरस्ती को प्रश्रय दिया है।

श्री अध्यक्ष--आप संशोधन के वाक्य सब पढ़िये नहीं। यह मान लिया गया है कि आप न पढ़ दिया है। आप अपना भाषण जारी करें।

श्री मदन पांडेय--राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रवाल जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है उस में मैंने जो संशोधन पेश किया था उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उसी के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि सदन मेरे उस संशोधन को स्वीकार करे।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में विकास योजनाओं की सफलताओं की तरफ सर्वप्रथम हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया और इस सिलसिले में उन्होंने भविष्य के लिये हम लोगों को बड़ी-बड़ी आशाएँ बधाई हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि दो पंचवर्षीय योजनाएँ करीब-करीब समाप्त होने को आ रही हैं। कल कई माननीय सदस्यों ने यह सही बताया था कि पर कैपिटा इनकम हमारी घटती जा रही है। १९५०-५१ में--जिसके तुरन्त बाद ही विकास योजनाएँ आरम्भ हुई थीं--हमारी पर कैपिटा इनकम २५३.०४ थी, लेकिन ५७-५८ में वह २३०.४१ रह गयी, इसलिये उस सफलता का एक बड़ा बढ़िया नमूना तो यह आपके सामने है। राज्य की सम्पूर्ण आमदनी के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से सन् १९५०-५१ में कुल आमदनी १,५९९करोड़ रुपये थी जो सन् १९५७-५८ में घट कर १,५६७करोड़ ही रह गयी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विकास योजनाओं की सफलताओं के सम्बन्ध में जो दावे किये जाते

---

*छापा नहीं गया।

†२९ जुलाई, १९५९ की कार्यवाही से।

[श्री मदन पांडेय]

हैं वे केवल सन्देहास्पद ही नहीं हैं, बल्कि निश्चित रूप से उनमें ऐसी गुंजायश है कि हम उन्हें कन्डेम करें। जिस प्रकार उसमें भ्रष्टाचार वगैरह होता है अगर उसको रोकने का शीघ्र प्रयत्न नहीं किया गया, नियमावलियों, कानूनों या उनकी प्रक्रिया के सम्बन्ध में परिवर्तन नहीं किये गये तो न मालूम ये हमको कहां से कहां ले जायंगे।

विकास योजनाओं में हमें स्वर्ग तक ले जाने की जितनी बातें कही जाती हैं उनको आप अलग छोड़िये, प्रकृति ने पानी मुफ्त दिया है, लेकिन पीने के लिये स्वच्छ पानी की व्यवस्था देहातों में आज तक नहीं हो पायी है। मैं माननीय नियोजन मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि भावी योजनाओं में सर्वप्रथम इस बात को प्राथमिकता दी जाय कि कोई भी गांव ऐसा न रहे जिसमें पीने के लिये स्वच्छ पानी न हो। उदाहरण के लिये मैं अपने क्षेत्र के दो, एक गांवों को बताना चाहता हूं, पूरे प्रान्त की तो मुझे जानकारी नहीं है, उसको और सदस्य बतायेंगे, लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां दो गांवों में लोग चोंगढ़ा से खोद कर पानी पीते हैं। इस-लिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि वह इसके लिये शीघ्र ही कोई न कोई व्यवस्था करे।

दूसरी बात जिसकी ओर मुझे सरकार का ध्यान आकर्षित करना है वह है खाद्य समस्या। इस बारे में अन्य माननीय सदस्यों ने भी खाद्य मंत्री का और सरकार का ध्यान इस सदन में और बाहर भी आकर्षित किया है। हम लोगों ने भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर और अन्य तरीकों से सरकार का ध्यान आकर्षित किया ह लकिन अभी तक कोई उल्लेखनीय सफलता मिली हो ऐसा नहीं है। जैसा आज कल सरकार का आदेश है उसके अनुसार प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में अनाज के आवागमन पर रोक लगी हुई है लेकिन वास्तविकता यह है कि गल्ले पर तो रोक नहीं लग पाती, मगर उस जिले में जहां से दूसरे जिले को अनाज बराबर जाया करता था वहां ६ रुपये मन की कीमत बढ़ जाती है और वह पैसा पुलिस या अन्य अधिकारी जो उसको रोकने के लिये नियुक्त किये गये हैं उनकी जेब में चला जाता है। इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, लेकिन कोई एफैक्टिव कदम नहीं उठाया गया। हम लोगों ने एक प्रस्ताव किया था कि गोरखपुर, देवरिया और बस्ती को एक यूनिट बना दिया जाय और इन जिलों में अनाज के आवागमन पर कोई रोक न लगाई जाय, लेकिन माननीय खाद्य मंत्री जी ने बताया कि वे देवरिया और गोरखपुर को तो एक यूनिट मान लेंगे मगर बस्ती उसमें शामिल नहीं करेंगे। बहरहाल, इससे भी कम से कम दो ही जिलों के बीच में जो लूट हो रही थी वह बन्द होगी। मैं समझता हूं कि अगर इस चीज का अनुकरण और मामलों में भी किया जाय तो अच्छा होगा और जिस प्रकार खाद्य समस्या को हल करने के लिये रफी साहब के जमाने में डेफिसिट और सरप्लस एरियाज को मिला कर एक-एक जोन बनाये गये थे और उनमें अन्न के आवागमन पर रोक नहीं थी उसी प्रकार किया जाय तो बहुत कुछ समस्या का हल हो सकता है।

इसके अलावा वसूलियों में जो कुछ हो रहा है उसके लिये जितना कम कहा जाय उतना अच्छा है। नौगढ़, गोरखपुर, फरेंदा और नौतनवां के उन हिस्सों में जहां प्रोक्योरमेंट हो रहा है अगर कोई भी मिनिस्टर साहब कष्ट कर वहां जाकर देखें तो उनको पता लग जायगा। व्यापारियों ने स्वयं मेरे सामने मंत्री जी को सब हाल बताया था, लेकिन कोई एफेक्टिव कदम नहीं उठाया गया। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

सरकारी दुकानों के बारे में अभी-अभी हमें मालूम हुआ कि अभावग्रस्त क्षेत्रों में जितनी दुकानें पारसाल थीं उनमें कमी की गयी है। कल माननीय गेंदासिंह जी ने बतलाया था कि जो मौजूदा दुकानें हैं उनको किस तरह से बगैर किसी खर्चे के चलाया जा सकता था परन्तु जानबूझ कर उन्हें बन्द किया गया। आज ३० जुलाई हो गई है और लोगों की बुवाई समाप्त हो गई है। लोगों के घरों में जो अनाज था उसको उन्होंने खेतों में छिटक दिया है, उनके पास खाने के लिये अनाज की कमी पड़ रही है और दुगना दाम देकर दुकानों से गल्ला खरीदना

पड़ रहा है। सस्ते गल्ले की दुकानें खोली नहीं गई हैं जिससे किसानों को बड़ी भारी परेशानी हो रही है। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि दुकानें जल्द से जल्द खोली जायं और गल्ले देने का काम शीघ्र चालू किया जाय।

अब की बार जो योजना राशन के लिये बनाई जा रही है उस में आटा दिया जा रहा है। यह मेरी समझ में नहीं आता है कि इस प्रथा का अनुसरण क्यों किया जा रहा है? पहले जो आटा बंटता था उसके सम्बन्ध में गलत चीजों के मिश्रण की शिकायतें कई स्थानों से प्राप्त हुई थीं। देश के कई भागों से जो आटा बांटा गया था उसके खाने से मृत्यु हो जाने की सूचनायें अखबारों में आई थीं। उनको मंत्रियों ने और माननीय सदस्यों ने भी समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा। अब जो आटा दिया जायगा इसमें मिश्रण की कोई सम्भावना नहीं होगी यह कैसे कहा जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आटा के बजाय कोई अन्न ही दिया जाय जिसे गांव वाले पीस कर या उबाल कर उसका उपयोग कर सकें।

चीनी के बारे में जितना कम कहा जाय थोड़ा है। आज एक रुपये तीन आने और सवा रुपये सेर चीनी बिक रही है। खाद्य मंत्री ने एलान किया है कि साढ़े पन्द्रह आने सेर बिकवायेंगे। हम इसका स्वागत करते हैं। कहा बार-बार जाता है, लेकिन कहां तक पूरा होता है यह हम सभी समझ सकते हैं। इतना हम कह सकते हैं कि अगर यह रुपया मिल मालिकों की जेबों में गया है तो जो प्रस्ताव इस सदन ने किसानों को १ रुपये १२ आने मन गन्ने का दाम दिलाने का पारित किया है, उसको फिर से कार्यान्वित करने के लिये मिल मालिकों तथा केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाला जाय। इसी तरह से मजदूरों की मांगों को बोनस वगैरह के बारे में भी इन मिल-मालिकों से पूरी कराने का प्रयत्न कराया जाय।

आज जो मिल मालिकों की तरफ सेंट्रल ड्यूटी तथा केन सेस और किसानों का लाखों रुपया बकाया है उसको दिलाया जाय। जो मिल मालिक लाखों रुपया कमा रहे हैं उनके साथ रियायत क्यों की जा रही है। किसानों पर तो वसूली में डंडे बरसाये जाते हैं और जबर्दस्ती रुपया वसूल किया जाता है लेकिन मिल मालिकों से क्यों नहीं रुपया वसूल किया जाता है। मैं इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान दिलाता हूं कि इस चीज को रोका जाय।

सिंचाई के सम्बन्ध में मैंने नारायणी कैनाल के बारे में बार-बार ध्यान दिलाया था और लाखों की गड़बड़ी की तरफ संकेत किया या जो योजना बनाई गई है उसकी उपयोगिता की संदिग्धता के बारे में भी ध्यान दिलाया था लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। आडीटर की रिपोर्ट से मालूम होता है कि ४७ लाख की योजना पर एक करोड़ रुपया जो खर्च हुआ है उसमें लाखों का गोलमाल है। इसके लिये एक जांच कमेटी बिठाई जाय और जो अधिकारी अपराधी हों उनको दंडित किया जाय। यह मेरी मांग है।

सीलिंग के सम्बन्ध में २६ अप्रैल को मुख्य मंत्री जी का एलान हुआ था कि हम सीलिंग करेंगे, उस दिन एक पत्रकार ने पूछा था कि आपने इतने दिन पहले एलान कर दिया है तो जो लोग फर्जी बयनामे वगैरह करा लेंगे उसके लिये आप क्या करेंगे। उन्होंने इसका जवाब दिया था कि हो सकता है कि हम इसको रिट्रासपेक्टिव अफेक्ट से चालू करें, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं हुई और लाखों रुपया भूतपूर्व जमींदारों की जेब में जा रहा है। फिर किसान उसी तरह से परेशान होंगे जिस तरह से कि कुछ साल पहले वापसी के मुकदमें २६५ के मुताबिक चले थे और उनमें किसानों को परेशानी हुई थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार यह स्पष्ट ऐलान करे कि जो कानून सीलिंग के सम्बन्ध में बनाने जा रहे हैं वह फलां तारीख से लागू होगा और वह रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो किसानों को नुकसान होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने अमेंडमेंट को पेश करता हूं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल के सम्बोधन में बुन्देलखंड क्षेत्र के प्रति की गयी उपेक्षा की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले कई वर्षों से बुन्दलखंड क्षेत्र के निवासी माताटीला विद्युत् योजना स आशा लगाये

[श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी]

हुए थे, लेकिन इस सम्बोधन में या बजट में कहीं भी माताटीला विद्युत् योजना का जिक्र नहीं है। यही नहीं झांसी शहर में जो बिजली है उससे भी शहर वाले लूटे जा रहे हैं। नौ आने प्रति यूनिट मैं समझता हूं कि प्रदेश में सब से अधिक रेट बिजली का झांसी में है। ललितपुर, मऊरानीपुर, बुन्देलखंड के बड़े-बड़े व्यापारिक नगर सब इस विद्युत योजना की तरफ आशा लगाये हुए थे। तरह-तरह के उद्योग खुलते, उससे लोगों को रोजगार मिलता, गरीबों को रोजी मिलती, लेकिन विदेशी मुद्रा के अभाव का प्रकोप सरकार की ओर से बुन्देलखंड पर ही हुआ है।

यह सब को विदित है कि बुन्देलखंड के निवासी अपने परिश्रम से न केवल अपने खाने भर को गल्ला उत्पन्न कर लेते हैं, बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी गल्ला देते हैं, लेकिन इस क्षेत्र की दूसरी तस्वीर भी हैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। ललितपुर सब-डिवीजन में वह हिस्सा भी है जहां पर वर्ष भर में ३०–४० दिन तक ही गरीबों को गल्ला खाने को मिलता था वहां हजारों परिवारों को गल्ला काफी दिन तक खाने को नहीं मिलता। वे बेर और महुआ पर गुजर-बसर करते हैं। उनके पास कोई रोजगार व धंधा नहीं है। वह मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें? उस क्षेत्र में कोई उद्योग धंधा स्थापित करने की चर्चा भी सरकार की तरफ से नहीं है। वहां पर सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाओं को चालू किया जा सकता है। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पिछड़े क्षेत्रों में अनेक योजनाएं चालू करने के लिए भारत सरकार की ओर से जो २ करोड़ रुपया मिला है, राज्यपाल महोदय के सम्भाषण में जो जिक्र किया गया है उसमें पश्चिमी जिलों की पानी की निकासी की योजना भी शामिल करदी गई है।

मुझे पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत यह है कि पिछड़े क्षेत्रों के नाम पर जो भारत सरकार से रुपया मिल रहा है वह हमारे ऊपर ही खर्च होना चाहिए––बुन्देलखंड और पूर्वी पहाड़ी ही जिले जो पिछड़े क्षेत्र कहे जाते हैं। निश्चित रूप से पश्चिमी जिले पिछड़े क्षेत्र नहीं माने जाते। इसलिए जो दो करोड़ रुपया मिला है वह पिछड़े क्षेत्रों पर ही खर्च होना चाहिए। वह पिछड़े क्षेत्रों के नाम पर ही मांगा गया था और मिला है उन्हीं पर खर्च होना चाहिए। वहां पर सिंचाई के लिए बहुत से काम पिछले वर्षों में किये गये हैं, लेकिन उनका क्या हाल है?

माताटीला बांध बन चुका है। पांच-छः वर्ष हो गये वहां के डूबे हुए गांवों के निवासियों को, आज तक मुआवजा नहीं मिला है। वे एक एक कौड़ी को परेशान हैं। यही नहीं कि उनको मुआवजा नहीं मिला है माताटीला बांध के पानी से सचने के लिए जो नहरें बनायी गयी हैं उनमें अनेकों सूखी पड़ी हैं। अगर कहीं पानी जा रहा है तो किसान जब मांगता है तो पानी नहीं मिल पाता, नहरें टूटी पड़ी हैं। रास्ते और खेत बरबाद हो रहे हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई होती नहीं। ललितपुर बांध, उस सब-डिवीजन में बना हुआ है। उस बांध से करीब २५-३० मील नहरें बनी हुई हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें से १ मील में भी पानी नहीं चढ़ता है। उसको अब फिर से ठीक करने की योजना की जा रही है। इस तरह से तमाम अपव्यय हो रहा है। ललितपुर बांध पर ७ लाख रुपया खर्च करके साइफन लगाया गया था, लेकिन वहां साइफन काम नहीं कर रहेहैं और बाढ़ के दिनों में ललितपुर नगर को बड़ा भारी खतरा पैदा हो जाता है। न सिर्फ सिंचाई का यह हाल है बल्कि सड़कों और पुलों की भी हमारे यहां ऐसी ही हालत है।

एक नौट घाट पुल वहां बनाने को है जिसके लिये ८ लाख रुपया केन्द्रीय सरकार देने की घोषणा कर चुकी है, ४ लाख मध्य प्रदेश की सरकार देने की घोषणा कर चुकी है और हमारी सरकार भी ढाई लाख रुपया उसके रपटा के लिए रख चुकी थी, फिर ऊंचा रपटा बनाने का तय किया था अब ऊंचा पुल बनना है, लेकिन आज तक न उसका कहीं रपटा है, न पुल का कहीं नामो-

निशान है। उस पुल का कितना महत्त्व है इसका पता इसी से लगाया जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार अपना-अपना हिस्सा दे रही हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हो रहा है।

आज बुन्देलखंड की वह हालत है कि कोई उसको पूछने वाला नहीं है। यमुना और बेतवा ने उसकी ऐसी दशा बना रखी है कि जिसे कुछ कहा नहीं जा सकता। सबसे पहला पुल उस स्थान पर, उस एरिया में बनना चाहिए था जो कि जिले का केन्द्र स्थान हम्मीरपुर है वह बरसात के दिनों में टापू की तरह हो जाता है। कालपी के पुल के लिये पिछले वर्षों में कहा गया था और उसके बनाने की योजना थी लेकिन पता नहीं कि वह पुल सरकार कब तक बनवायेगी। बुन्देलखंड की यह उपेक्षा, यह अवहेलना पिछले वर्षों में की गई है कि उससे बुन्देलखंड वाले बहुत परेशान हैं।

मैं अपने जिले झांसी की बात कहना चाहता हूं। झांसी में सन् १९४७ से लेकर पिछले साल सन् १९५८ तक कुल ३ मील सड़क बनी है। सन् १९४७ में ३९७ मील सड़क थी और सन् १९५८ में वह ४०० मील हुई जबकि झांसी डिवीजन का हेडक्वार्टर है। अंग्रेजी सल्तनत में उसके ऊपर बड़े-बड़े जुल्म हुये हैं। वहां के राजों महाराजों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने यह सड़कें बनवाई थीं, जिससे उनकी फौजें वहां पहुंच सकें। उन्हीं सड़कों के द्वारा हमारे ऊपर इतने अत्याचार और जुल्म हुए हैं, लेकिन यह सरकार जब से आई है तब से ११, १२ सालों के अन्दर कुल तीन मील सड़क उसने वहां बनवायी है, यह भी हमारे ऊपर इस सरकार का अन्याय, जुल्म और अत्याचार है।

यही नहीं, वन विभाग की ओर से भी हमारे ऊपर बहुत से अत्याचार हो रहे हैं। बुन्देलखंड में बहुत से काफी वन है। जमींदारों के पास जो परती जमीन थी और ऊबड़-खाबड़ थी, उन जंगलों को ग्राम सभाओं के जमाने में अंगूठा लगवा कर के तमाम जमीनों को वन विभाग में ले लिया गया है। आज नतीजा यह हो गया है कि किसान अपने मवेशी दरवाजे से बाहर नहीं निकाल सकते। वन विभाग की खूंटियां जगह-जगह गड़ी हुई हैं। उनके फारेस्ट गार्ड कर्मचारी रिश्वत लेते हैं, उनसे घी और गल्ले की वसूली करते हैं। जो उनको रोकने की कोशिश करते हैं उनको मुकदमेबाजी में फंसाया जाता है।

सहकारिता के बारे में बहुत कुछ कहा गया। उसके लिए हमने नागपुर में प्रस्ताव पास किया है। सारे देश में हम इस आन्दोलन को सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन उसकी आज क्या दशा है कि कर्जे की वसूली में न केवल पुरुषों के साथ मारपीट की जाती है, उनको मुर्गा बनाया जाता है, बल्कि स्त्रियां भी वहां मुर्गी बनाई गई हैं, यह एक शर्मनाक हालत है।

हमारे यहां तालबेहट में एक मदन सिंह इन्टर कालेज है, जिसका मैं संस्थापक हूं और १२ वर्षों से जिसका मैं मैनेजर भी हूं। २७ जुलाई को एकाएक वहां के इंस्पेक्टर वहां पहुंचते हैं और उस संस्था के जन्म से लेकर के आज तक के सारे रेकर्ड्स लेकर चले जाते हैं। उसका क्या कारण है, यह किसी को मालूम नहीं। मैंने शिक्षा संचालक से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनको कुछ पता नहीं है। मालूम हुआ है कि कोई जौहरी साहब फाइनेंस के डिप्टी डाइरेक्टर साहब हैं, उनको कोई शिकायत उससे है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं इन्साफ चाहता हूं। जब इस तरह से विधायकों के साथ बर्ताव किया जायगा, उनको मुकदमेबाजी में फंसाया जायगा, तो किस प्रकार कोई भी काम चल सकता है। अगर कोई शिकायत थी, तो प्रबन्ध समिति से या मुझसे पूछा जाता, लेकिन पता नहीं मेरे अलावा प्रबन्ध समिति के किस अपराध के फलस्वरूप यह घृणित काम किया गया। मैं निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर कुछ और ही भावना है। मैंने ३० अगस्त के लिये घोषणा की थी कि प्रबन्ध समिति का चुनाव होगा, लेकिन २७ जुलाई को कब्जा किया जा रहा है। मेरे हटाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अगर मेरी तरफ से कोई ज्यादती प्रमाणित हो और मैं किसी तरह से कानून की गिरफ्त में

[श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी]

भी न आ सकूं या और कोई ऐसी बात हो तो भी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं वहां से ही आसानी से हटने के लिये तैयार हूं, बल्कि विधान सभा से भी हटने के लिये तैयार हूं और जो कड़ी सजा हो उसको भी झेलने के लिये तैयार हूं।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी (जिला हमीरपुर)---अध्यक्ष महोदय, जिस दिन यहां पर राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ उसको बड़े गौर से सुना और उस पर जो बधाई का प्रस्ताव आया उसको भी बड़े गौर से सुना, लेकिन मैं जो आशा और उम्मीद रखती थी वह उनके किसी सुझावों में दिखाई नहीं दी जैसा कि पूर्वी जिलों के बारे में मैं रोज सुनती हूं कि वहां पर गल्ले की समस्या के लिये जनता बहुत परेशान और व्याकुल रहती है उसके लिये राज्यपाल जी ने कोई सुझाव नहीं रखा। इसलिये पहले वहां की समस्या हल करना सरकार का कर्त्तव्य है, क्योंकि जहां पर जन संख्या ज्यादा है और गल्ले की कमी है वहां पर सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि ऐसे कोई सुझाव रखे ताकि वहां की जनता का उपकार हो। जब तक उनके लिये यहां कोई पुष्ट सुझाव नहीं रखे जायेंगे तब तक वहां की बेकारी और भुखमरी की समस्या हल नहीं हो सकती है।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूं माननीय सदन में ऐसा कोई सदस्य या सदस्या नहीं है जिसने वहां जाकर न देखा हो। सब जानते है कि वह ऐसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सभी उस समय यह कहते थे और बड़े सुझाव देते थे कि वहां पर जमुना और बेतवा का पुल बनेगा, वहां की सड़कों को ठीक किया जायगा। जहां किसी गांव में कुए नहीं हैं वहां पर कुएँ बनाये जायंगे, लेकिन मान्यवर दुख की बात है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर सरकार की नाराजगी है तो वह मेरे ऊपर होनी चाहिए और मैं उसको सहर्ष स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। जो भी सजा देनी हो वह सरकार को मुझ दनी चाहिए, लेकिन यह सरकार तो जनता को प्रिय है और जनता की मालिक है। जनता की उसको ऐसे परवरिश करना है जैसे कि बच्चे का पालनपोषण किया जाता है। मान्यवर, मैं बहुत ही आशा और उम्मीद रखती हू कि सरकार से कोई न कोई उस क्षेत्र की उन्नति के बारे में सुझाव आयेगा, लेकिन जब सुझाव नहीं आता है तो मुझे बेचैनी हो जाती है। जब ये सब लोग वहां पर गये थे तो वहां पर यह सुझाव दिया गया था कि सरकार उनके ऊपर कृपा करेगी और हमारी तकलीफों को दूर करेगी, लेकिन वहां पर हो क्या रहा है।

(इस समय १ बजकर १४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मी नारायण बंसल, पीठासीन हुए।)

वहां पर जनता के लिये ऐसे साधन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो जनता के लिये मुआफिक बैठे। वहां पर उसी चुनाव के सिलसिले में बहुत अन्याय हो रहा है। दिन-दहाड़े आंखे निकाल ली गईं जिसका मुकदमा आज अदालत में चल रहा है। सरकार को मालूम होगा ही। मान्यवर, जो पुलिस की वहां पर जबर्दस्ती हो रही है आज उस क्षेत्र में मुझे उसके कहने में बहुत ही दुख होता है। मान्यवर, वहां पर हर तरह की परेशानियां है और कोई सुनने ला वाला नहीं। थानेदार या सरकारी कर्मचारी जो वहां जाते हैं वे गांव के दो चार गुंडों से मिल जाते हैं और उसी आधार पर अपना काम करते हैं। जो सज्जन हैं वे पिसते रहते हैं। मान्यवर, मुझे आशा है कि जो खुराफात है सरकार उनको शीघ्र दूर करेगी।

अभी एक महीने का वाकया है कि हुसैना गांव से खड़ेही के लिये एक औरत बैलगाड़ी से जा रही थी। जब वह बैलगाड़ी जंगल में पहुँची तो उसे डाकुओं ने घेर लिया। डकैती पड़ी और जो भी जेवरात और सोना चांदी उसके पास था वह सब छीन लिया गया। जो गाड़ीवान था उसने एक लाठी निकाल कर एक डाकू की खोपड़ी में मारी जिससे वह कुछ

जख्मी हो गया, लेकिन उसके बाद गाड़ीवान को उन लोगों ने जोरों से खदेड़ा और वह बेचारा अपनी जान बचा कर जंगल में छिप गया। जब डाकू चले गये माल लेकर तो गाड़ीवान गाड़ी के पास आया और थाने में जा कर उसने शोरगुल मचाया और रिपोर्ट की गयी। जो डाकू था वह गांव के नाई के पास गया और बाल बनवाने के बाद उस ने कहा कि रात में बरसात में आ रहा था, गिर पड़ा इसलिये जख्मी हो गया हूं, लेकिन जब रिपोर्ट की गयी और तमाम जनता ने उथल पुथल की तो थानेदार को पता चला कि यह बात छिपने वाली नहीं है और इसलिये उन्होंने उसको बुला कर उसकी खूब मरम्मत की। मान्यवर, यह तो हुआ कि उसके जेवर व सोना चांदी सब मिल गया, लेकिन उसको छोड़ दिया गया। मान्यवर, जब जुर्म करने वालों को सजा नहीं मिलेगी तो सुधार कैसे होगा ? श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सरकार और मंत्री जी से यह प्रार्थना करती हूं कि पुलिस क अधिकारियों को ऐसे आदेश दिये जायं कि कोई पक्षपात न हो।

मैं देखा करती हूं कि हर गांव में पार्टीबन्दी है। अधिकारी एक पार्टी से मिल जाते हैं और दूसरी को पीसते हैं। तो जब तक मंत्री जी इस ओर ध्यान नहीं देंगे, सुधार होने वाला नहीं है। मैं केवल मौदहा अथवा हमीरपुर की ही बात नहीं कह रही हूं।

खाद्य समस्या के लिये जैसा कि मंत्री जी ने कहा, सरकार चिंतित है। मैं यह बताना चाहती हूं कि हमारे बुन्देलखंड के जो चार जिले हैं इन्होंने सरकारी स्टाक को आधे से ज्यादा गल्ला दिया है। मान्यवर, जब बुन्देलखंड सरकार को हर तरह से मदद करने के लिये तैयार है और गल्ला भी ज्यादा दे रहा है तो वहां बंधी, बंधे और नहरों पर काफी ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि वहां के किसान और वहां की जनता सरकार को और अधिक सहायता दे। इसी आशा पर मैं सरकार की किसी बात को काटने के लिये खड़ी नहीं हुई, बल्कि सरकार का ध्यान अपने यहां की गरीब जनता की ओर दिलाना चाहती हूं।

कृषि उप-मंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)---अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो विधान मंडल के समक्ष अपना संबोधन दिया है उसके लिये हम अत्यन्त आभारी हैं और उसके लिये कृतज्ञतापूर्ण उनको धन्यवाद देते हैं। किसी भी राज्यपाल महोदय का संबोधन जब कि सदन के सम्मुख होता है तो वह इस बात का परिचायक होता है कि गत वर्षों में प्रदेश की सरकार ने क्या क्या कार्य किये हैं और उसके अन्दर जो चतुर्मुखी प्रगति हमने की है अपने प्रान्त के अन्दर और इसके अतिरिक्त जो इस सत्र के अन्दर हम कार्य करने जा रहे हैं और जो विधायन संबंधी हम कार्य कर रहे हैं और जन-कल्याणकारी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो बातें हम करने जा रहे हैं उनकी रूपरेखा राज्यपाल महोदय के संबोधन में होती है। यह परम्परा जनतंत्रात्मक इसलिए है कि हम चाहते है कि जो कार्य हमने पिछली बार किये हैं उन सब को हम सदन के संमुख रखें और सदन और खासतौर से विरोधी पक्ष हमको यह बताये कि हमने इन कार्यों में कितनी गलतियां की है, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और आइंदा जो हम काम करने जा रहे हैं उनमें उनसे क्रियात्मक रूप से सुझाव पा सकें।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रयोजन हमारा राज्यपाल महोदय के संबोधन द्वारा इन सब चीजों को लाने का है उसमें हम सब यह आशा करते हैं कि हमारे सामने ऐसे सुझाव आयेंगे जिनको सरकार मान करके अपने प्रदेश को प्रगति की ओर ले जा सकेगी। जहां जनतन्त्र में हमारे अधिकार है वहां कर्त्तव्य भी हैं और विशेष कर विरोधी दल के लिए जहाँ उनको अधिकार है कि वह अंकुश के रूप में हमारे ऊपर काम कर सकें ताकि हम गलती न कर सकें वहां उनका कर्त्तव्य भी होता है कि इस प्रकार के सुझाव दें जिनसे प्रदेश को लाभ हो सके। राज्यपाल महोदय ने अपने संशोधन में कहा है कि आज हमारे जनतन्त्र का ढांचा अपनी शैशवावस्था में है। शैशवावस्था में हमको ऐसी परम्पराएँ बनानी है और जनतन्त्र को आगे बढ़ाना है जिससे हमारे देश और प्रदेश की उन्नति हो सके, लेकिन मुझे खेद यह है कि आज

[श्री काली शरण अग्रवाल]

जो जनतंत्र का रूप और खासतौर से जो हमारे विरोधी दल ने रुख अख्तियार किया है वह उससे मेल नहीं खाता जो जनतन्त्र का ढांचा कि हमने दूसरे देशों से प्राप्त किया है और अपनी प्राचीन परम्पराओं के अनुकूल है। कोई भी बात हो, सरकार की तरफ से कितनी ही अच्छी योजना आये उसकी टीकाटिप्पणी अवश्य होती है। जिन-जिन देशों में जनतंत्र होता है वहां पर एक बड़ा भारी उत्तरदायित्व हमारे विरोधी दल के ऊपर होता है और हमारे विधायकों के ऊपर भी होता है कि वह रचनात्मक सुझाव हमको दें, लेकिन यहां आये दिन जिस प्रकार से कार्य स्थगन प्रस्ताव आते रहते हैं जिनको कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं उन देशों में जहां जनतंत्र काफी प्रगति कर चुका है।

हम देखते हैं कि कितनी ही योजनाएं आयें उनकी टीका-टिप्पणी होती है। हम यह भी देखते हैं कि चाहे उन योजनाओं को कार्यान्वित करने में कितनी ही ईमानदारी से काम क्यों न किया जाय उनके ऊपर बड़ी भारी टीका टिप्पणी होती है। मैं समझने में बिलकुल ही असमर्थ हूं कि जो कुछ भी सरकार की ओर से किया जाता है उसकी कुछ टीका-टिप्पणी के अतिरिक्त हमको कोई दूसरा सुझाव क्यों नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार का एक सालाना तमाशा सा हुआ करता है। शब्द "तमाशा" मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि यदि हमको थोड़ी-सी दाद भी मिले कि सरकार ने इन कामों को उचित रूप से किया है तो हमको आगे के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। मैं आपके द्वारा सदन को बतलाना चाहता हूं कि जो सरकार का कार्य होता है उसकी नुक्ताचीनी तो आप कीजिये, यह बहुत आवश्यक है, लेकिन सही तौर पर हमको बतलाइये कि हम कहां पर गलती करते हैं। होता यह है कि जब हमें बार बार सारी बातों में दोषी ठहराया जाता है तो सरकार के कार्य करने वाले चाहे कर्मचारी हों या मंत्रिमंडल के सदस्य हों या इधर या उधर के बैठने वाले सदस्य हों, तो हमारी खाल इतनी मोटी हो जाती है कि साधारण चीजों पर जितनी तत्परता से ध्यान देना चाहिए उतना हम नहीं दे सकते। तो मैं एक निवेदन यह करूंगा कि जैसा राज्यपाल महोदय ने कहा है कि आज जनतंत्र और अधिनायकवाद के बीच का जो रास्ता है उसमें से हमको गुजरना पड़ेगा। मैं यह भी कहूंगा कि अगर विरोधी पक्ष ने जनतन्त्र के पोषण हेतु सही काम नहीं किया तो यह संभव है कि हमारे देश में भी उसी प्रकार की प्रणाली जोकि दूसरे एशिया के देशों और दूसरे देशों में आ रही है भगवान् न करे ऐसा हो वह यहां आ जाय। मैं सदन के सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि जो हमने कार्य किये हैं गतवर्ष में या उसके बाद उस पर हमको गौरव और गर्व है।

जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उस समय से हमारे यहां प्रथम पंचवर्षीय योजना आयी और आज हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष से गुजर रहे हैं और गत वर्षों में जो कार्य किये गये हैं वे सराहनीय हैं। उनसे सारे ग्रामों का नकशा बदल गया है। मैं उन सारी छोटी छोटी बातों को नहीं बतलाना चाहता और न आंकड़े ही प्रस्तुत करना चाहता हूं जिनके द्वारा हमारे प्रदेश में उन्नति हुई है। हमने आज देखा है कि कृषि के क्षेत्र में हमने बहुत उन्नति की है।

गत वर्ष जब हमारे सामने जो एक संकट आया अतिवृष्टि के कारण और उस समय खास तौर से अन्न की बहुत बड़ी कमी पड़ी और भाव नित्यप्रति बढ़ने लगे और उस समय जब कि विरोधी दल को सरकार की सहायता करनी चाहिये थी, विरोधी पक्षों के सभी साथियों ने सरकार पर चतुर्मुखी आक्रमण किया, सरकार के विरूद्ध चारों ओर से सत्याग्रह किया गया। ला ऐन्ड आर्डरकी समस्या हमारे सामने आयी और अराजकता फैलाने वाली सारी बातें हुई, लेकिन फिर भी गर्व की बात है कि सरकार ने किसी को भूखों नहीं मरने दिया और प्रदेश की सुरक्षा कायम रखी। जब हमने देखा कि अन्न की कमी हुई है, एक परेशानी ग्रामीणों और नगरवासियों के सामने आयी तो यथासंभव जहां तक हो सकता था हमने प्रयत्न किया जिसे ग्रामीण और शहर के रहने वाले सारे लोग जानते हैं। ऐसी जर्जर अवस्था में जब कि दूसरी फसल आने को थी हमने रबी अभियान शुरू किया। आज बड़ी भारी टीका टिप्पणी रबी और खरीफ अभियान के ऊपर की गई है। आपको अधिकार है कि किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करें, लेकिन

मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इन सारी चीजों में पोलीटिकल कैपिटल निकालने की बात होती है तो वह अच्छी चीज नहीं है जनतन्त्र के लिये ।

मुझे एक कहानी सिनेमा की याद आ गई । शायद डाक्टर सम्पत जो सिनेमा का पात्र था उसका किस्सा है । कलकत्ते में किसी एक रिक्शे वाले की मृत्यु अपने आप किसी एक्सीडेन्ट से हो गई । कई राजनीतिक दल के आदमी वहां इकठ्ठा हो गये और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट और असेम्बली में यह प्रश्न उठायेंगे वह प्रश्न उठायेंगे । दूसरे दल वालों ने कहा कि यह तो अन्याय हो रहा है, एक रिक्शे वाले की मृत्यु हो गई और तीसरे दल वालों ने कहा कि आज गरीब आदमियों की कोई पूंछ नहीं रह गयी है, बड़े आदमी सब जगह पूछे जाते हैं । इससे हुआ यह कि तीन दिनों तक रिक्शा वाले की लाश पड़ी रही घर वालों ने कहा कि आप सब कुछ कीजिये, पार्लियामेंट के अन्दर सवाल उठाइये, असेम्बली के अन्दर भाषण दीजिये, लेकिन इसकी लाश तो हमको वापिस कर दीजिये ताकि इसकी अन्त्येष्ठि क्रिया कर सकें। आज यह स्थिति हो गई है कि चारों ओर पोलीटिकल कैपिटल पैदा की जा रही है, राजनैतिक व्यापार चलाया जा रहा है । मेरी समझ में नहीं आता कि इस वातावरण में हम किस तरह से प्रगति की ओर अग्रसर हो सकेंगे लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी सरकार कटिबद्ध होकर जो कार्य कर रही है और जो उसने किया है विभिन्न दिशाओं में उस पर हमें गर्व है।

आज बहुत सी सड़कें बनी हैं, बहुत-सी श्रमदान से बनवाई गई हैं, कच्ची पक्की और तीन मील के अन्दर स्कूल खोले गये हैं । आज गांवों में पंचायतघर और स्कूल नजर आते हैं । तकावी की व्यवस्था की गई है, कृषि में सुधार किया गया है, वाचनालय और पुस्तकालय खोले गये है और चिकित्सा का पूरा प्रबन्ध किया गया है ।

समाज कल्याण की दिशा में हमने बहुतसे अशक्त लोगों को आश्रय दिया है । बहुत सी माताओं, बहनों और दूसरे भाइयों को आश्रय देने का प्रयत्न किया है । यह हम मानते हैं कि सरकार ने कुछ किया है वह उतना न हो सका हो जितना कि उसको करना चाहिए था, लेकिन हमारे जो सीमित साधन थे उनको देखते हुए हमने अपने कर्त्तव्यों को पालन करने का प्रयत्न किया है। यह संभव है कि उसमें कुछ खामियां और गलतियां हों, यह संभव है कि हमारे कर्मचारियों द्वारा उसमें कुछ भ्रष्टाचार हुआ हो लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं अपने विरोधी दलों के साथियों से तथा सदन के दूसरे सदस्यों से कि वे इस बात को भी सोचें कि आज जो राष्ट्रनिर्माण के कार्य हो रहे हैं, उनमें सहायता करने का उनका भी कुछ फर्ज है और उन्हें कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए, केवल टीका टिप्पणी करने से, एक दूसरे को भला-बुरा कहने से न तो भ्रष्टाचार ही दूर हो सकता है और न कोई राष्ट्रीय समस्या ही हल हो सकती है । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो राष्ट्रनिर्माण के कार्य हो रहे हैं, हमें उनको मिल कर करना चाहिए, उसमें अपना योग देना चाहिए। अपने अपने विचारों को सामने रखते हुए, कम से कम निर्माण के कार्यों में गलतियां न निकाल कर, अगर हम सहयोग दें तो हमारे देश और प्रदेश का बड़ा भारी कल्याण हो सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं । जो भी काम हो रहे हैं उनके बहुत से आंकड़े प्रस्तुत किये जा सकते हैं, लेकिन उन सब को आपके सामने रखना इस समय इसलिये बेकार होगा, क्योंकि आप उन को भलीभांति जानते हैं । जहां हमारे सामने बहुत सी खराबियां हैं वहां कुछ अच्छे अच्छे काम भी हैं । आप जरा उनकी ओर भी तो देखिये ।

मिस मेयो नाम की एक महिला अमेरिका से भारतवर्ष तशरीफ लाई थी । उन्होंने भारत के जीवन को, उसके सामाजिक ढांचे को कुछ इस प्रकार से अंकित किया कि उससे लोगों में बड़ा भारी रोष पैदा हो गया । महात्मा गांधी जी ने इस लिये उनको ड्रेन इंस्पेक्टर के नाम से सम्बोधित किया । इसलिये हमने जिस भव्य भवन की नींव डाली है आप उस भव्य भवन को भी देखिये,लेकिन अगर आप केवल नालियों को ही देखेंगे तो हमारी समस्या हल नहीं हो सकती हमने जो काम पिछले दिनों किये हैं, जो हमारे विभिन्न कार्यकलाप रहे हैं उनकी ओर भी आप देखिये और जिनका राज्यपाल महोदय ने संक्षेप में विवरण दिया है आप उन पर विचार

[श्री कालीचरण अग्रवाल]

करें तो विचार करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सरकार ने उन्नति की और लगातार वह उन्नति करती जा रही है। एक बात अवश्य है। हो सकता है उनमें कुछ खामियां हों, कहीं हम गिरे हों, लेकिन उसके साथ ही साथ हमने मंजिल भी तय की है। हम चले हैं, चल कर गिरे हैं, गिर कर उठे हैं और उठ कर आगे बढ़े हैं। यह संभव है कि हमने गलतियां की हों, लेकिन उनके बावजूद भी हम आगे बढ़े हैं और भविष्य में भी आगे बढ़ते जायेंगे, उस वक्त तक जब तक कि हम अपने लक्ष्य पर न पहुंच जायं।

जब हम आजाद हुए तो हमने राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त की थी और अब हम सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। पहले हमारी लड़ाई विदेशी सत्ता के खिलाफ थी, लेकिन इस समय हमारी लड़ाई भुखमरी और गरीबी के खिलाफ है, बीमारी के खिलाफ और उन सारी चीजों के खिलाफ है जो अवान्छनीय हैं, जिनको हम अपने देश से मिटाना चाहते हैं। यह सही है कि पहली लड़ाई में बहुत से आदमी हमारे साथ चलते थे, हमारी प्रशंसा करते थे, लेकिन आज हम जो कार्य करना चाहते हैं उसमें हमें प्रशंसा के बजाय गालियां मिलती हैं, बजाय दाद के ऐसे वातावरण में हमें काम करना पड़ता है जिसमें हमें बुराई और भलाई मिलती है लेकिन उससे हमें उत्तेजित न होना चाहिए और अपने सही रास्ते पर चलते रहना है। सारी गलतियों को सुनते हुए, टीका टिप्पणियों को सुनते हुए भी हमने यह तय किया है कि हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जायंगे क्योंकि हमारे ऊपर जो उत्तरदायित्व है उसको हमें निभाना है। और हमसे अगर खामियां और गलतियां होती हैं तो मैं आपसे और सदन के सदस्यों से आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमें उन खामियों को दूर करने में मदद करें और साथ ही साथ हमें इस तरह के सुझाव दें जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिल सके।

अब मैं, राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन द्वारा जिस दूसरी दिशा में हमारा मार्ग प्रदर्शन किया है उस तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। अभी हमारा सत्र प्रारम्भ हुआ है और आगामी सत्र तक हम जो कार्य करने जा रहे हैं वे क्या क्या कार्य हैं।

श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। बोलने के लिये १० मिनट का समय ही मुकर्रर हुआ था फिर माननीय सदस्य अभी तक बोल ही रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स के लिये २० मिनट का समय मुकर्रर है।

श्री कालीचरण अग्रवाल---तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारा राज्य जो एक वैलफेयर स्टेट है और जहां हम समाजवादी ढांचे को लाना चाहते हैं उसके अन्तर्गत हम क्या-क्या कार्य करना चाहते हैं। मैं कई दिनों से सुन रहा हूं, पुलिस की बड़ी भारी टीका टिप्पणी हो रही है। यह कहा गया है कि बड़ा भारी भ्रष्टाचार है, और भी बड़ी बड़ी बातें सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भी कही गयीं। साथ ही साथ क्या यह कल्पना की जा सकती है कि दूसरी ओर से जितनी भी बातें कही जाती हैं वे सब सही हैं, वे सबलोग दूध के धोये हैं। यह सोचने की बात है कि आखिर जो ये पुलिस कर्मचारी हैं या दूसरे सरकारी कर्मचारी हैं या विधायक हैं या जो दूसरे दूसरे क्षेत्र में काम करते हैं वे आते कहां से हैं। यह तो केवल हमारे समाज के एक दर्पण हैं। यह सही है कि हमारे समाज का नैतिक स्तर गिर गया है और इसके लिये केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। समाज के सुधारकों का यह कर्त्तव्य है कि वे समाज के स्तर को ऊंचा करें। महात्मा बुद्ध, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी दयानन्द, महात्मा गांधी आदि ऐसे समाज सुधारक हो गये हैं जिन्होंने समाज के स्तर को ऊंचा करने में राज्य से कोई मदद नहीं ली। इसलिये विरोधी दल का खासतौर से यह दायित्व है कि वह समाज के नैतिक स्तर को ऊंचा करने में हर तरह से मदद करें। यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि हम समाज के अन्दर ऐसा वातावरण

पैदा करें कि लोगों का नैतिक स्तर आप से आप ऊंचा हो जाय । अगर हम चौबीसों घंटे भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार की रट लगाये रहें तो इससे यह समस्या हल नहीं हो सकती है ।

अब मैं कृषि के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं जिसका हमारे यहां बड़ा महत्व है । हमारे देश की ७६ प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है और करीब ९० परसेंट लोग गांवों में रहते हैं । जहां ७६ प्रतिशत आदमियों या ९० प्रतिशत आदमियों का भला न हो वह प्रदेश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है । आज हम देखते हैं कि हमारी आबादी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। १.८५ प्रतिशत या २ प्रतिशत के करीब आबादी बढ़ रही है और इस शताब्दी के अन्त तक यहां की आबादी ९० करोड़ हो जायगी । उसके लियें हमको पहले से ही कोई इन्तजाम करना पड़ेगा । सारे देश में औद्योगीकरण तो हम कर नहीं सकते जिससे वे सब लोग उसमें खप सकें । चूंकि पहले बड़े बड़े देशों के पास दूसरे देशों में अपनी अपनी कालोनीज थीं जहां पर वे अपनी चीजें खपा सकते थे, लेकिन हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम अपनी चीजें कहां खपा पायेंगे । आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम अपनी पैदावार को बढ़ावें और उस पैदावार को बढ़ाने के लिये जो चीज हम करने जा रहे हैं वह यह है कि जोत की हम एक उच्चतम सीमा निर्धारित कर दें क्योंकि बहुत सी जमीं में अभी ऐसी पड़ी हुई हैं जो खेती के अन्दर नहीं लाई गई हैं । क्योंकि जो बड़े बड़े फार्म वाले हैं वे यह जानते हैं कि यदि हमने दूसरों से अपनी खेती करायी तो वह जमीन हाथ से निकल जायगी । इस तरह से हम अपने प्रोडक्शन को दुगुना करने जा रहे हैं । अन्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिये हम सहकारिता के जरिये खेती करने को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि जो हमारी आगे होने वाली सन्तान हैं उनका तथा अपना भी पेट भर सकें । इसीलिये हमने सीमा निर्धारित करने की बात सोची है और कृषि को सहकारिता के आधार पर ही चलाना चाहते हैं । सहकारिता के बारे में बहुत सी गलत बातें कही जा सकती हैं, कोई सरकारी खेती की बात करता है, कोई किसी खेती की बात करता है, माननीय पालीवाल जी ने ग्राम राज्य की बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कहीं,लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जब हम सहकारिता की पालिसी को अपनाते हैं तो क्यों उसका विरोध किया जाता है । हम नारों से काम नहीं करते, जब हमें दिखाई देता है कि जनता का हित किसी चीज में है तो हम वास्तव में जनता के कल्याण के कार्य करते हैं। हम किसानों की समस्याओं को समझते हैं और उन के हित का ध्यान रखते हैं । हम नारे या टीका टि पणी से काम नहीं करते अगर ऐसा करें तो राष्ट्र का जो बड़ा काम है वह नहीं हो सकता और न किसी प्रकार का निर्माण का काम हो सकता है । आज हमारे सामने इस प्रकार की परिस्थिति है। हमारा देश और प्रदेश एक इस प्रकार का मोड़ ले रहा है ऐसे समय में हम सब को चाहिये कि हम ठंडे दिल से और दिल पर हाथ रख कर समस्याओं को समझें। दलगत भावनाओं से प्रेरित होकर हम काम न करें और राजनीतिक पूंजी बनाने की फिक्र न करें और व्यर्थ की टीका टिप्पणी न करें। हम आज अपने देश में भारत माता के भव्य मंन्दिर का निर्माण कर रहे हैं उसमें हमें स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति की स्थापना करना चाहिये। हम उस भव्य निर्माण में लग हैं। ऐसे समय में हमें और हमारे सभी साथियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, ४२ मिनट हो चुके, हमारे ऊपर जरा खयाल करें, दो दिन से मैं नहीं बोल पाया आज तीसरे दिन बोल रहा हूं । इस का कारण तो सब ही समझते हैं, अध्यक्ष महोदय की रूलिंग आज हो गई तब अब मैं बोलने की हिम्मत कर पाया हूं । अभी मैं सम्मानित सदस्य का भाषण सुन रहा था । भारत माता का भव्य मन्दिर क्या है ? मन्दिर एक भवन होता है, बिल्डिंग होती है, उसकी ऊपर से रंगाई भी होती है, सोने चांदी के कलश भी होते हैं, मगर उसमें मूर्तियां कैसी प्रतिष्ठित हों यह एक प्रश्न है । मैं आपके द्वारा श्रीमन्, निवेदन करूंगा कि मन्दिर के केवल ऊपरी आवरण को न देखा जाय बल्कि वहां देखा यह जाय कि मूर्ति किसकी स्थापित है । रावण की है, कंस की है, कुम्भकरण की है, सुरसा की है या किस की स्थापित है ?

श्री अधिष्ठाता---जिस का मन्दिर होता है उसी की मूर्ति स्थापित होती है।

श्री राजनारायण--बाहरी आवरण में वह भारतमाता का भव्य मन्दिर अवश्य होगा, लेकिन भ्रष्ट लोग उसमें शासक प्रतिष्ठित हो गये हैं। महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में बहुत सी बातें कही हैं, समय की कमी से बहुत सी बातों का जिक्र मैं न कर सकूंगा लेकिन कोशिश करूंगा कि कुछ जरूरी बातों का जिक्र कर दूं। १२ साल के बाद भी माननीय राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में लिखा है कि हमारे देश में लोकतंत्र अभी शैशवावस्था में है। भिन्न भिन्न राज्यपालों ने पिछले सालों में कई सम्बोधन किये हैं, किसी में जनतंत्र को अभी शैशवावस्था में, किसी में प्रौढ़ावस्था में, किसी में बाल्यावस्था में कहा है, आखिर यह जनतंत्र की शैशवावस्था कब तक रहेगी ? १२ साल हो गये, मसल है '१२ साल का पुत्ता हुआ तो हुआ नहीं हुआ कुत्त।" १२ साल बीत गये और अभी बचपन ही है, माननीय विचित्र नारायण जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वह हमें ध्यान से सुनें। यह शैशवावस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी किस की है ? जिस देश में जिसका राज्य है भाषा भी उसी की होना चाहिये या राज्य जनता का होगा तो भाषा साम्राज्य शाही होगी ? क्या कोई भी दुनिया की नजीर दी जा सकती है कि जनतंत्र सफल हुआ हो बिना जनता की भाषा के। जब जनतंत्र है तो जनता की भाषा होना चाहिये। अंग्रेजी हमारे देश की जनता की भाषा नहीं है। आज भी पढ़े लिखे लोगों में डेढ़ प्रतिशत से अधिक लोगों को अंग्रेजी की जानकारी नहीं है। जब तक यहां अंग्रेजी विद्यमान है तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। मैं एक ही वाक्य में कहूंगा कि माननीय राज्यपाल ने जो कहा कि हमारे यहां जनतंत्र अभी शैशवावस्था में है तो उस का सब से बड़ा प्रधान कारण वही है। और उनके द्वारा संचालित सरकार है जो सरकार आज अपने देश में और प्रदेश में जनता की भाषा का प्रयोग सार्वजनिक कामों में और सरकारी कामों में नहीं करती बल्कि शामन्ती और साम्राज्य-शाही भाषा का प्रयोग करती है, अंग्रेजी---गुलामी की भाषा---का प्रयोग करती है वह जनतंत्र कैसे विकसित करेगी ?

श्रीमन्, फौजी तानाशाही की बात उन्होंने कही है। कोई भी जनतंत्र का पक्षपाती फौजी तानाशाही पसन्द नहीं करता है। फौजी तानाशाही का विरोध होना चाहिये और जमकर होना चाहिये। लेकिन फौजी तानाशाही आती कैसे है ? जब शासन भ्रष्ट हो जाता है, व्यभिचारी हो जाता है, दुराचारी हो जाता है, तब फौजी शासन आने की गुंजायश होती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे इस प्रदेश में सरकार ने संविधान की हत्या नहीं की है ? श्रीमन्, समय नहीं है वरना एक-एक उदाहरण प्रस्तुत करता। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के बहुमूल्य हिस्से को स्वतंत्रता संग्राम में लगा दिया उसी राममनोहर लोहिया को लखनऊ जेल में कुर्सी से बांधा गया। जिस मजिस्ट्रेट ने बांधा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यह सरकार क्या जनतंत्र को चला सकती है ? आज सोशलिस्ट पार्टी के हजारों व्यक्तियों के ऊपर मुकदमें चल रहे हैं, हमारे ऊपर भी चल रहा है। १२ सितम्बर सन् १९५८ को खाद्य आन्दोलन के संबंध में गिरफ्तार हुआ था। किस ढंग से गिरफ्तारी हुई थी यह आपको और सदन को मालूम ही है। वह खाद्य आन्दोलन समाप्त हो गया। आज तक मुकदमेबाजी हो रही है। बराबर तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है। कौन तारीख डलवा रहा है ? कौन इशारा करता है मजिस्ट्रेट को कि इस ढंग से मुकदमा चलाओ ? क्या एक्जीक्यूटिव और जूडिशियरी सेपरेट हुई है, अलग हुई है ? मान लीजिये श्रीमन्, किसी मामले में माननीय गृहमंत्री जी संलग्न हों, उनकी चर्चा हो, उनका स्वार्थ हो तो कोई भी मैजिस्ट्रेट चाहे वह जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के नाम पर काम करता हो, क्या निष्पक्ष होकर कार्यवाही करेगा ? वह जुडीशियल मैजिस्ट्रेट कलेक्टर के मातहत है, ए० डी० एम० के मातहत है, गृह मंत्री के मातहत है। गृहमंत्री इसी घमंड में कहते हैं कि मैं १०-१० मुकदमे चलवा सकता हूं। यह क्या है ? क्या ऐसा शासन ऐसे मंत्री जनतन्त्र को विकसित होने का अवसर दे सकते हैं ? यह जनतंत्र की हत्या करेंगे, कुचलेगें।

हमारे पड़ोस में, पाकिस्तान में फौजी शासन हुआ। मगर फौजी शासन होने के बाद वहां की जनता की ओर से उसका विरोध होना चाहिये था, जनतांत्रिक चेतना होनी चाहिये थी। वह नहीं हुआ, क्योंकि वहां के शासक भ्रष्टाचारी थे, जनता उनसे परेशान थी, वह त्राण चाहती थी।

यही कारण है कि पाकिस्तान में फौजी शासन हुआ, लेकिन जनता की ओर से विरोध नहीं हुआ । मैं चाहता हूं कि हमारा देश और प्रदेश ऐसी स्थिति में न रहें । जब भी यह फौजी शासन हो की प्रवृत्ति हो उसके पूर्व एक स्थिति यह भी आ सकती है कि पार्टी की तानाशाही हो जाय और उसके नाम पर एक व्यक्ति की तानाशाही हो जाय ।

माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री जवाहरलाल नेहरू का वर्णन किया है । मैं उनकी किसी पालिसी के बारे में नहीं कहना चाहता हूं । मगर आज हमारे देश में यह प्रवृत्ति चल रही है कि पूरी पार्टी का विरोध करो, पूरे मंत्रिमंडल का विरोध करो, परन्तु मंत्रियों से छांटकर जवाहरलाल नेहरू को लेकर आगे रखो । क्योंकि भारत सरकार नहीं कहा जायगा, केन्द्रीय सरकार नहीं कहा जायेगा, केवल नेहरू जी कहा जायगा.। यह दिखाने के लिये कि "जवाहरलाल इज दि सुप्रीम अथारिटी " (जवाहरलाल ही सर्वशक्ति सम्पन्न है) । क्या मनोवृत्ति है ! आ सकता है वह दिन जब कि जवाहरलाल जी के मष्तिष्क में यह बात आवे कि अब हम सर्वोपरि हो गये हैं, जनता में यह बात आ गई है कि सब भ्रष्टाचारी हैं, केवल एक व्यक्ति है जो सारे देश को संभाल सकता है । ऐसी स्थिति में तानाशाही व्यवस्था जन्म लेती है । क्या हो रहा है वह पार्टी जिस पार्टी में ....

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय ने बड़े स्पष्ट श दों में व्यवस्था दी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति का यहां पर इस सिलसिले में जिक्र नहीं होगा । तो मैं दो बातों की व्यवस्था चाहता हूं । उनकी नीति का और अगर नीति नहीं तो किसी व्यक्ति का जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में इस तरह की चर्चा करना क्या उचित होगा ?

श्री अधिष्ठाता--मैं यह व्यवस्था देता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने जो अपनी रूलिंग दी है वह यह है कि किसी फारेन पालिसी पर जिक्र नहीं होगा । यहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क व्यक्तित्व पर कोई जिक्र नहीं हो रहा है । माननीय राजनारायण जी उस प्रवृत्ति का जिक्र कर रहे हैं कि पार्टी किस तरफ जा रही है। इसलिये जहां तक उनकी स्पीच का सम्बन्ध है में वह न्याय संगत हैं ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह समय निकाल दिया जाय ।

तो मैं कह रहा हूं प्रवृत्ति देखी जाय । आज कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं । वह एक खत लिखती हैं चेयरमैन आफ फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स एन्ड इंडस्ट्री ।

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य श्रीमती इन्दिरा गांधी का जिक्र न करें ।

श्री राजनारायण--मैं कांग्रेस की अध्यक्षा कह रहा हूं। वह चेयरमैन फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स को एक खत लिखती हैं कि २ लाख रुपया तुमने हमारे ट्रस्ट को देने को कहा था, अब बताओ दोगे या नहीं । तुमने एक प्रदर्शनी की थी जिसमें सरकारी टैक्स नहीं लगा था । अब दोगे या नहीं, अन्त में लिखा गया था कि तुम जो कुछ भी दोगे मैं अपने पिता को जो रकम मिलेगी उसके बारे में बताऊंगी....

श्री अधिष्ठाता--मैं माननीय सदस्य को फिर चेतावनी देना चाहता हूं । वह ऐसे किसी व्यक्ति या संस्था के सम्बन्ध में चर्चा नहीं कर सकते जिसको यहां उत्तर देने का अवसर ही प्राप्त न हो । आप अपना भाषण महामना राज्यपाल के अभिभाषण से ही सम्बन्धित रखें ।

श्री राजनारायण--गणतंत्र और तानाशाही का जिक्र किया गया है । तानाशाही प्रवृत्ति का यहां पर जिक्र होना चाहिये, क्योंकि एक ही व्यक्ति में जब सारी शक्ति सन्निहित हो जायगी या उसी व्यक्ति के परिवार में सारी शक्ति सन्निहित हो जायगी तभी तानाशाही आती है । एटली की बेटी एक अध्यापिका थी, वह प्रधान मंत्री हुआ मगर उसकी बेटी अध्यापिका ही रह गई ।

[श्री राजनारायण]

हिटलर का भाई रेस्तरां में काम करता था वह वहीं रहा। स्तालिन को भी देखें। वह अपनी बेटी को बहुत मानता था मगर उसको उसने किसी कमेटी का मेम्बर नहीं बनाया। तो यह मैंने प्रसंगवश कह दिया।

यहां पर कोआपरेटिव की बड़ी चर्चा हुई। हमारे माननीय सदस्य ने भी कोआपरेटिव की चर्चा की। कोआपरेटिव क्या है अगर इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा तो समय बहुत लगगा। अगर आप थोड़ा समय दें तो मैं चर्चा कर दूं। तानाशाही व्यवस्था, पूंजीशाही व्यवस्था इन दोनों व्यवस्थाओं को खत्म करके कोआपरेटिव व्यवस्था स्थान ग्रहण कर सकती है। सहकारी आन्दोलन होना चाहिये, प्रफुल्लित होना चाहिये, विकसित होना चाहिये। यह एक जनतांत्रिक प्रणाली का बढ़िया साधन बनाया जा सकता है। मगर क्या जिस ढंग से सहकारी आन्दोलन आज के रिजीम में चल रहा है वह सहकारी आन्दोलन कहा जा सकता है? श्रीमन्, हमारे पास बनारस की कोआपरेटिव फेडरेशन के सेक्रेटरी ने जो चिट्ठी भेजी है परेशान है वहां की फेडरेशन। उसके बकायेदारों की लिस्ट भेजी है। इसमें वहां की कांग्रेस पार्टी का कोई भी पदाधिकारी ऐसा नहीं है जो न हो। सभापति से लेकर मंत्री तक तथा माननीय कमलापति त्रिपाठी तक हैं। श्री कमलापति त्रिपाठी पर ५,००० रु० के करीब बकाया १९५४ से चला आ रहा है। जो वहां के सेक्रेटरी ने लिस्ट भेजी है। डिफरेंसेज इन यूनियन ओपनिंग बैलेंस। ५५,००० रु० का डिफरेंस यूनियन के ओपनिंग बैलेंस में है। यह रुपया कहां गया? अनेक बार यहां कहा गया इसको रोको। बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन का एक अध्यक्ष १० साल से बराबर चला आ रहा है जो माननीय कमलापति त्रिपाठी जी का लाडला है। उनका नाम है ऋषि नारायण शास्त्री। नियमावली में है अगर कोआपरेटिव का पैसा किसी पर बकाया रहता है तो वह फेडरेशन का पदाधिकारी नहीं रह सकता। ऋषि नारायण शास्त्री के नाम जो लिस्ट आई है, उसमें करीब चार सौ रुपये बकाया है।

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य व्यक्तिगत आक्षेप न करें।

श्री राजनारायण--फेडरेशन के चेयरमैन के नाम जो लिस्ट आई है उसमें १०-१० साल से ४०० रुपये की रकम बकाया पड़ी हुई है। एक नियम है कि अगर एक आदमी एक यूनियन से कर्जा ले तो जब तक उस कर्जे की अदायगी नहीं हो जाती तब तक वह दूसरे यूनियन से कर्जा नहीं ले सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो जिला परिषद् के भी सदस्य हैं वे कई यूनियनों से रुपया कर्ज लेते रहते हैं बिना रुपये को पे किये हुये। तो यह कोआपरेटिव यूनियन को विकसित करने की प्रणाली है या उसकी हत्या करने की प्रणाली है, पहले इसकी सफाई की जाय।

मैं आपसे निवेदन करूं, कहा जाता है कि भ्रष्टाचार नहीं है लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि भ्रष्टाचार है और जबरदस्त है। यों तो मैं आपको बतलाऊं मकानों का एसेसमेंट आप वाराणसी की लिस्ट लेकर देखें। हमारे भी मकान है। गरीबों के मकान हैं और माननीय गृह मंत्री के भी मकान हैं। अभी उनका एक नया मकान बना है। यह सर्टिफाइड कापी उसकी मेरे सामने है। मकान चूंकि अंडर कांस्ट्रक्शन है इसलिये ५ साल के लिये एसेसमेंट कर दिया गया ३०० रुपये एनुअल वैल्यू, जिस पर मकान का किराया तथा वाटर टैक्स मिला कर ४३ रुपये आता है। यह मकान जिसमें माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं अगर दूसरे गरीब आदमी का होता तो उसका एसेसमेंट १० गुना, २० गुना ज्यादा हुआ होता।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)--मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस कदर किसी भी आदमी पर लांछन लगाना जब तक कि उसका सबूत न हो क्या यह उचित है, चाहे वह सदन का सदस्य ही क्यों न हो?

श्री अधिष्ठाता--उनके पास सर्टिफाइड कापी है । माननीय सदस्य को मैं पहले ही कह चुका हूं कि वे व्यक्तिगत आक्षेप न लगायें । अगर वे व्यक्तिगत आक्षेप लगायेंगे तो मैं उनको रोकूंगा । वे इस वक्त आक्षेप नहीं लगा रहे हैं ।

श्री राजदेव उपाध्याय--लेकिन वे उसे नहीं मान रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--जहां-जहां उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप लगाया मैंने उनको रोक दिया था ।

श्री राजनारायण--मैं चाहता हूं कि इस सदन की एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाय। मिर्जापुर में जमीन ली गयी। गृह मंत्री के एक रिश्तेदार हैं। वह जमीन साधारणतया १५ हजार रुपये की बिकती लेकिन ४ हजार रुपये में वह लिवाई गयी।

श्री अधिष्ठाता--मैं माननीय सदस्य से कई बार कह चुका हूं कि वे व्यक्तिगत आक्षेप न करें ।

श्री राजनारायण--मैंने अमेंडमेन्ट दिया है भ्रष्टाचार को रोकने के लिये, सरकार उसे रोकने में असमर्थ हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता--आप ऐसे व्यक्ति पर आक्षेप नहीं लगा सकते जो इस सदन का सदस्य नहीं है और उसको जवाब देने का हक नहीं है ।

श्री राजनारायण--अधिष्ठाता महोदय, मैं उनको कहने नहीं जा रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता--आप मंत्रियों के सम्बन्ध में उनका पर्सनल जो व्यवहार है उसकी निस्बत नहीं कह सकते। लेकिन जो पब्लिक डयूटी है उसकी निस्बत अगर कोई ब्रीच है तो आप अवश्य कह सकते हैं।

श्री राजनारायण--मैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दिखाने को तैयार हूं। हम स्वयं ही रिप्रेजेन्टेशन देने जा रहे हैं। उन रूलिंग्स में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने इस बात को माना है कि विधान सभा के जो सदस्य होते हैं उनकी सेवा के भाव और स्वार्थ के भाव से प्रेरित जो कार्य हैं वे अलग-अलग रहें । मैं प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे मौका दें यह सिद्ध करने का कि भ्रष्टाचार क्यों विकराल गति से बढ़ता जा रहा है उसे स्पष्ट करूं । मैं मानता हूं कि--'सर्वस्य कारणम् कालः राजा कालस्य कारणम्'। सब परिस्थितियों का कारण काल है लेकिन राजा उन परिस्थितियों का कारण होता है। जो राज पुरुष हैं, जिनके हाथ में शक्ति विद्यमान है अगर वे स्वयं ही भ्रष्टाचारी हैं तो वे भ्रष्टाचार को कैसे रोक सकते हैं। यहां तो जितना बड़ा मंत्री है वह उतना ही बड़ा भ्रष्टाचारी है । गल्ला वितरण को ही ले लीजिये। हमने बार-बार पैरिटी (संतुलन तथा समता) के सिद्धान्त को अपनाने पर जोर दिया। मगर क्या पैरिटी के सिद्धान्त को माना गया है? गल्ले की कीमतों के सम्बन्ध में बराबर यह सरकार पैरिटी की बात कहती रही है लेकिन उसकी बराबर उपेक्षा की जा रही है । कीमतें बराबर बढ़ती चली जा रही हैं। हमारे माननीय कृषि मंत्री महोदय जब वाराणसी गये थे तो व्यापारी आये थे, मैं भी उस समय उपस्थित था मैंने उनको पूरी नीति बतलाई लेकिन सुनने के बाद भी उन्होंने उपेक्षा की ।

अधिष्ठाता महोदय, जरा खयाल कीजियेगा । १० मिनट प्वाइंट आफ आर्डर्स में चले गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता--आपके दो मिनट रह गये हैं ।

श्री राजनारायण--मैं आपको बताऊं। रोडवेज की व्यवस्था अपर्याप्त है। आप वाराणसी की रोडवेज को देखें, ८ हजार रुपया अभी तक बाकी पड़ा है। कांग्रेस पार्टी को उप-निर्वाचन के सम्बन्ध में जो रोडवेज की गाड़ियां दी गयी थीं उस समय का यह बकाया पड़ा है और

[श्री राजनारायण]

वहां के मैनेजर कहते हैं कि आप भी मिनिस्टर हो जायंगे तो आप के ऊपर भी बकाया पड़ा रहेगा । वहां के मैनेजर एक मंत्री के रिश्तेदार होते हैं । इसी प्रकार श्रीमन्, आप देखेंगे कि डकैतियां बढ़ती जा रही हैं और पुलिस का संगठन ढीला पड़ रहा है । अनुसूचित जातियों की कोई परवाह नहीं की जा रही है । उनके लिये १८ फी सदी रिजर्वेशन की बात कही जाती है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी विभाग में ढाई या तीन फी सदी से अधिक स्थान उनको मिल पाये हैं ? रिट पेटीशन की बात लीजिये । कौन रिट पेटीशन दायर करता है ? आज विरोधी दल के लोग ही अधिक रिट पेटीशन दायर करते हैं । लेकिन एक अध्यादेश के जरिये रिट पेटीशन की फीस बढ़ा कर ५० रुपये कर दी गयी क्योंकि न इनके पास रुपया रहे और न रिट पेटीशन में जा पायें । क्या यह न्याय को सस्ता करने की बात है ? कैसे भ्रष्टाचार रुक पायेगा । एक फर्म है जिसका नाम है हिन्दुस्तान कमर्शियल कार्पोरेशन, उसमें यहां के गृह मंत्री के लड़के डायरेक्टर हैं । उसको १,८५,००,९८० रुपये का ठेका दिया गया .....

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य से फिर कहना चाहता हूं कि वे व्यक्तिगत आक्षेप न करें । जो मंत्री के पब्लिक फंकशन्स है उन्हीं पर आप कह सकते हैं ।

श्री राजनारायण—मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं । इसमें मंत्री के पद का दुरुपयोग किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता—लेकिन मंत्री के लड़के ने क्या किया, उससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री राजनारायण—मैं वह नहीं कह रहा हूं । तो यह जो हिन्दुस्तान कमर्शियल कार्पोरेशन है, इसमें मंत्री महोदय ने खुद २३ नवम्बर, १९५२ को २५० शेयर खरीदे ।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—श्रीमन् मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं । पिछले दिन अध्यक्ष महोदय ने इस प्रश्न पर रूलिंग दी थी कि यह मामला सब-जुडिस है तो क्या राजनारायण जी को इस बारे में कहने की आज्ञा मिल सकती है ?

श्री अधिष्ठाता—मेरे पास कोई ऐसा मैटिरियल नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि यह मामला सब-जुडिस है और न अध्यक्ष महोदय की इस मामले में कोई रूलिंग है । इसलिये मैं आपके प्वाइंट आफ आर्डर को रूल आउट करता हूं । माननीय राजनारायण जी अपने भाषण को जारी रखें ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमारा समय फिर बढ़ा दिया जाय । मेरे पास पूरी लिस्ट है १,८५,००,९८० रुपये इस फर्म को दिये गये हैं और २३ नवम्बर, १९५२ को बाकायदा श्री कमलापति जी शेयर होल्डर रहे हैं । इसके बाद जब वे मिनिस्टर की हैसियत से काम करने लगे तो सन् १९५४ से १९५७ तक जो रुपया दिया गया उसकी रकम होती है ६,४३,९३५ रुपये और ये वहां शेयरहोल्डर रहे हैं । ऐसी हालत में कैसे भ्रष्टाचार रुक पायेगा । कमलापति जी स्योरिटीज भी हुए हैं ।

श्री रामेश्वर प्रसाद—मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—आप उसको लिख कर दे दें । राजनारायण जी आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मदन मोहन (जिला फैजाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजनारायण जी ने प्रश्न किया कि वह भव्य मंदिर जिसका चित्र माननीय कालीचरण जी ने सदन को

समक्ष उपस्थित किया उसमें मूर्ति किसकी है। श्रीमन्, लाखों वर्ष हुये जब इस किस्म का एक प्रश्न उठा था और उसके सम्बन्ध में तुलसीदास जी ने लिखा है :—

"जाकी रही भावना जैसी।
तिन देखी प्रभु मूरति तैसी।"

अगर कंस के पुजारी हो तो कंस की मूर्ति विराजमान मिलेगी। अगर रावण के पुजारी हैं तो रावण की मूर्ति मौजूद दिखेगी और अगर महिषासुर के पुजारी हैं तो वह असुर मौजूद होगा। तो उस मंदिर में किसकी मूर्ति है यह आपकी आंख पर मुनहसिर है। अपनी आंख टटोलिये और मालूम कीजिये कि कहीं उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि प्रभु की मूर्ति कोआप राक्षस की मूर्ति के भांति देख रहे हैं। केवल इतना ही मुझे इस सबंध में कहना है।

दूसरी बात जो हमारे सामने उपस्थित की गई है वह बड़े महत्व की है। मेरा ऐसा विचार है कि इस नव निर्मित सदन में जितने सम्बोधन प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें यह सम्बोधन कदाचित् श्रेष्ठतम है। इसमें सरकार ने जो अतीत में काम किये हैं केवल उन्हीं का वर्णन नहीं किया है अपितु प्रत्येक क्षेत्र में जो कार्य गवर्नमेन्ट करने जा रही है उनका स्पष्ट किन्तु संक्षेप में वर्णन किया है। किन्तु श्रीमन्, महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की थी और उसको हम भुला नहीं सकते हैं कि इस सदन के अन्दर और सदन के द्वारा बाहर, माननीय राज्यपाल चेतावनी देते कि आज जो भारत के पूर्व, पश्चिम और उत्तर में घटनायें घट रही हैं, वह हमे प्रभावित कर सकती हैं। चीन का व्यवहार जो तिब्बत से हुआ, रूस का व्यवहार हंगरी से हुआ और जो स्थिति लेबनान, ईराक और ईरान में उपस्थित हुई यदि उन्होंने उसका संक्षेप में संकेत किया है, तो इस कारण से कि हम समझें कि जनतंत्र जो आज भारत और उसके अन्दर इस राज्य में है वह ठीक व्यवहृत हो रहा है।

श्रीमन्, मैं कोई नीतिज्ञ नहीं हूं और न नीति निपुण ही हूं। किन्तु जो मेरा विचार है उसे अत्यन्त नम्रता के साथ विरोधी दल से कहना चाहता हूं। माननीय राजनारायण जी ने लोहिया जी के संबंध में एक उदाहरण उपस्थित करते हुए कहा कि सामन्तवाद यहां स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा कि तानाशाही यहां स्थापित हो रही है। निश्चय श्रीमन्, जनतंत्र उसी जगह पनप सकता है जहां पर विधि और कानून को अक्षुण्ण रखा जाता है। जहां पर समाज में कानून के प्रति आदर न हो, जिस समाज में, किसी भी व्यक्ति को किसी समुदाय द्वारा कानून के प्रति विद्रोह करने की प्रेरणा दी जाती हो, उस समाज में जनतंत्र कदापि पनप नहीं सकता है। विरोधी दल के लोग यह समझते हैं कि अपने सिद्धान्त को मनवाने के लिये, अपनी मांगों को स्वीकार कराने के लिये, उन्हें डायरेक्ट ऐक्शन यानी सीधी कार्यवाही करने का अधिकार है। मेरा नम्र निवेदन है कि सीधी कार्यवाही उसी स्थिति में उपादेय समझी जा सकती है जब कि सत्तारूढ़ दल निश्चित कर ले कि अपने गुट को प्रबल करने के लिये हम दूसरी पार्टी वालों को हानि पहुंचायगें (विरोधी दलों द्वारा व्यवधान)। श्रीमन्, मैं जानता हूं कि दिल पर जब चोट लगती है तो आदमी कराहता है और कराहना स्वाभाविक है मैं इसको बुरा नहीं मानता। परन्तु निश्चय ही अगर आप विशाल जन समुदाय को यह समझा सकें, उनके सामने यह सिद्ध कर सकें, कि तुम्हारे मौलिक अधिकारों पर आघात हो रहा है और इस नीति से हो रहा है कि दूसरी पार्टियों को सत्तारूढ़ पार्टी निर्बल करें और सत्तारूढ़ पार्टी इस नीति को अंगीकर करके स्वयं प्रबल बनना चाहती है तभी डाइरेक्ट ऐक्शन आप ले सकते हैं अन्यथा नहीं ले सकते हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता कि हममें व्यक्तिगत दुर्बलताएं हैं। मैं मानता हूं कि उन दुर्बलताओं के कारण हम कुछ गलत काम कर सकते है किन्तु निश्चय ही, यह सत्तारूढ़ पार्टी की नीति नहीं है। हमने कभी भी जो बात व्यक्तिगत रूप से गलत हुई उसकी सराहना नहीं की। अगर यह बात सही है तो मेरा विनम्र निवेदन यह है कि डाइरेक्ट ऐक्शन जो लिया जाता है, इससे सिवाय इसके कि कानून के प्रति साधारण जनसमुदाय में, एक गलत भावना पैदा हो और कोई परिणाम इससे निकलता नहीं। इससे जनतंत्र और लोकतन्त्र का संरक्षण नहीं हो सकता। वह लोग

[श्री मदन मोहन]

जो कानून तोड़ने के लिए तैयार हैं, जिनके हृदय में दूसरे के अधिकारों का जरा-सा भी आदर नहीं वह लोग सदन में या सदन के बाहर यह नहीं कह सकते कि उनके साथ अनुचित तानाशाही का व्यवहार हुआ और जनतन्त्र का पददलन।

एक बात उन्होंने और कही जिसका अर्थ यह था कि एग्जिक्यूटिव और जुडीशियरी जब तक अलग नहीं होती तब तक राज्य सत्ता का प्रभाव उनके अफसरों पर रहता है और उनका अधिकारी वर्ग अनुचित रूप से व्यवहार करता है। श्रीमन्, आज इस सदन के समक्ष दो प्रश्न किये गये और उन प्रश्नों के सिलसिले में हाईकोर्ट के निर्णयों से उद्धरण भी दिये गये, जिनमें सरकारी कर्मचारियों पर कठोर कटाक्ष किये गये हैं। जुलाई मास के इलाहाबाद ला जर्नल को पढ़ते हुए एक रूलिंग पढ़ी जिसका एक वाक्य इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। हाई कोर्ट कहता है :

"We feel sure, however, that if law is administered by the Government with an evil eye and an unequal hand' or for an oblique or unworthy purpose the arms of this Court will be long enough to reach it and to strike down such abuses with a heavy hand."

जिस देश में, जिस राष्ट्र में ऐसे हाई कोर्ट के जज हों, जिस देश में हाई कोर्ट कभी संकोच न करे, और जहां पर जज देखे कि जनता के अधिकारों का अपहरण हो रहा वहां पर वह निर्भीक हस्तक्षेप करे। तो श्रीमन् वहां जुडीशियरी और एग्जिक्यूटिव को अलहदा करने का क्या प्रश्न उठता है। एक व्यर्थ की पुकार है। हमारे संविधान ने पर्याप्त रूप से ऐसे प्रतिबन्ध रखे हैं जो हमारा व हमारे अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। ईश्वर की दया से हमारे देश में ऐसे आदमी हैं जो हाई कोर्ट में बैठ कर गवर्नमेन्ट का खयाल न करके उनकी आलोचना कर सकते हैं। वहां क्या प्रश्न उत्पन्न होता है जुडीशियरी और एग्जिक्यूटिव को अलग करने का ?

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। जो आपनेयहां से कहा थी वही कि "वी कंडेम्न व्हाट वी प्रैक्टिस"। हम उसी व्यवहार की निन्दा करते हैं जिसको हम स्वयं मौका पड़ने पर करते हैं। भ्रष्टाचार की आलोचना और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जब इस सदन में उल्लेख करते हैं, तो माननीय सदस्य यह भूल जाते हैं कि जब उनकी बारी आती है तो वह वही करते हैं जिसकी निन्दा इस सदन में करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि इसी कारण से माननीय राज्यपाल ने सम्बोधन के अन्तिम पैरा में लिखा है, और कितने सुन्दर शब्दों में लिखा है—"कि हम आशा करें कि आप सदैव गम्भीरता, दूरदर्शिता, निःस्वार्थ, उत्साह और सार्वजनिक कर्त्तव्यों के प्रति निष्ठा रखेंगे"। हमें इसको भूलना नहीं है। श्रीमन्, यदि हम सब इसको स्वयं अपने जीवन में परिणत करें और अपनी कांस्टीट्यूएंसी में लोगों को इसके अनुकूल करें तो मुझे विश्वास है कि यह शिकायत दूर होगी। धन्यवाद।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन पर प्रस्तुत धन्यावाद के प्रस्ताव में माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं कुछ शब्द निवेदन करना चाहता हूं। महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन को सुनकर मुझे बड़ी निराशा हुई कि एक बड़ी भयावह स्थिति जिससे कि सारा जनतंत्र खतरे के मुंह पर खड़ा है उस स्थिति की ओर तथा उस समस्या के निवारण का कोई भी सुझाव, कोई भी तरीका महामान्य राज्यपाल ने नहीं रखा। मान्यवर, वह स्थिति यह है कि किसी भी जनतंत्र में या किसी भी व्यवस्था की बात मैं करता हूं जब सर्वसाधारण या जनता का विश्वास यह हो जाय कि वह अरक्षित है, उसकी रक्षा नहीं हो सकती। न्याय प्राप्त करने के जितने साधन हैं तथा जितने दरवाजे हैं सब खटखटाने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है तो यह एक बड़ी भयावह स्थिति हो जाती है, जिसकी तरफ मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उदाहरण मेरे पास बहुत हैं। मुसीबत के मारे हुए, सताये हुये लोग चाहे वह शासन के किसी पुर्जे के जरिये सताये हुए हों, चाहे वह समाज

के कुछ उन तत्वों द्वारा सताये गए हों जो आज तक लोगों को दबाकर के रखते रहे हैं। ऐसे सताये हुए व्यक्ति जब नीचे से लेकर ऊपर तक हुकूमत के सारे दरवाजे खटखटाने के बाद भी न्याय प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उनके मन में क्या स्थिति पैदा होती होगी उसका अन्दाजा हम और आप और सभी माननीय सदस्य लगा सकते हैं। ऐसे-ऐसे मामले हैं जबकि गुंडों के जरिये और भूतपूर्व जमींदारों के जरिये या साधन-सम्पन्न लोगों के जरिये निस्सहाय लोग तथा गरीब किसान खेतों से बेदखल करने के लिए मारे-पीटे जाते हैं उनकी कोई रक्षा नहीं होती। एक और समस्या आज सारे प्रदेश के अन्दर विद्यमान है और वह ऐसी है कि उस पर अगर रोक नहीं लगाई जायगी तो भीषण परिस्थिति पैदा हो जायगी। आज गरीबों को खेतों से बेदखल करने के लिए उनके ऊपर कहीं कलकत्ते से, कहीं बम्बई, से कहीं और जगहों से गलत-गलत मुकद्दमे चलाये जा रहे हैं। उसमें सारे परिवार को लिखा दिया जाता है ताकि सब मुलजिम बनकर के कलकत्ते और बम्बई दौड़ते फिरें सिर्फ इस नीयत से कि वह परेशान होकर के खेत छोड़ दें। यह एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर इस हुकूमत को विचार करना पड़ेगा और कोई इन्तजाम तुरन्त करना पड़ेगा।

मान्यवर, भ्रष्टाचार शासन के हर विभाग में है। भ्रष्टाचार का नाम लेना महापाप है और माननीय मुख्य मन्त्री जी के कथनानुसार जितना ही उसका नाम लिया जायगा उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा और इसलिए मैं भ्रष्टाचार का नाम नहीं लेता हूं और शायद इसी कारण से महामान्य राज्यपाल ने भी शासन के हर विभाग से भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कोई बात नहीं कही है।

मान्यवर, जहां तक शान्ति और व्यवस्था का सवाल है उसके बारे में माननीय नेता विरोधी दल ने तथा और माननीय सदस्यों ने बहुत काफी जिक्र किया है। मैं मिसाल के तौर पर आजमगढ़ का एक ऐसा मामला सदन के सामने रखना चाहता हूं जिससे अन्दाजा लग सकता है कि आज शासन व्यवस्था और शान्ति व्यवस्था क्या है और मामूली हैसियत वाला व्यक्ति भी अपने को किस हालत में पाता है। माननीय झारखंडे राय जी ने मऊ के पत्रकार का मामला यहां पर पेश किया है। यह बिलकुल स्पष्ट है और मैं भी चुनौती देता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि कोई भी जांच इस किस्म की जरूर की जाय कि मऊ के पत्रकार को किसकी साजिश से पीटा गया। मुबारकपुर में जो दंगे कराये गये हैं वह किसकी साजिश से कराये गये हैं। आज आजमगढ़ जिले के अन्दर और शहर के अन्दर सारी घटनायें पुलिस अधिकारियों और वहां के अन्य अधिकारियों की साजिश से हो रही हैं। यह निहायत शर्मनाक बात है। जो इसके विरुद्ध आवाज उठाता है उसको भी भुगतना पड़ता है। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। मेरे मकान में पुलिस की साजिश से दो बार चोरी कराई गई है। वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। शहर के अन्दर दिनदहाड़े लूट होती है। दो-तीन घटनायें ऐसी हो गई हैं जो सरकारी अफसर और पुलिस के अफसरों के इशारे पर हुई हैं। जो आदमी अपना काम नेकनीयती से करना चाहता है उसके खिलाफ भी साजिश की जाती है जिसका उदाहरण मैं आपके सामने उपस्थित करूं। आजमगढ़ में सिविल सर्जन के मकान में भीषण चोरी कराई गई है, लेकिन कोई मुकदमा नहीं चलाया गया और न किसी मुलजिम का पता लगाया गया, यह बड़े आश्चर्य की बात है। मान्यवर, सब को जानकर ताज्जुब होगा कि पुलिस गार्ड की मौजूदगी में यह चोरी हुई है। वहां पर ४ गार्ड तैनात थे, लेकिन फिर भी सिविल सर्जन के घर पर चोरी होती है। उनकी बात जाने दीजिये, जो सेठ सहूकार हैं और कोतवाली के थाने के पास ही उनको लूटा जाता है। उन के मुलजिम के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया।

श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि आजकल अफसरशाही की मनोवृत्ति बहुत बढ़ती चली जाती है जो बहुत ही घातक है हमारे जनतंत्र की सफलता के लिये। उसके निराकरण के लिये माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कोई सुझाव नहीं दिया है। आज जनता की भावना का या जनप्रतिनिधियों की भावना का या उनके विचारों का तनिक भी आदर नहीं है।

(इस समय २ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

[श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव]

मैं सरकारी अफसरों या अन्य कर्मचारियों के विषय में विवरण में नहीं जाना चाहता लेकिन केवल इतना कहूंगा कि यह अफसरशाही जिस कदर आज इस सरकार पर हावी है वह हमारे इस जनतंत्र के लिये एक कलंक का टीका है। यह अफसरशाही नीचे से ऊपर तक सारी हुकूमत के पुर्जे को इस कदर जकड़े हुये हैं कि मुख्य मंत्री या अन्य मंत्री अपनी इच्छानुसार कोई काम करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। इसके लिये भी कोई उपाय या निराकरण माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है।

सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बहुत दिनों से इस सदन में चर्चा है और उसके विषय में माननीय राजनारायण भी कुछ कहने के लिये बाध्य होते हैं कि रोज उसकी चर्चा इस माननीय सदन में करें। मान्यवर, देहात की एक मसल है कि--"सांच को आंच क्या"। मेरी राय है और मैं यह मांग करता हूं कि सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप का, चाहे वह प्रथम पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में हो या दूसरी पंचवर्षीय योजना के, जांच की जाय। मैं यह निवेदन करता हूं कि चाहे वह निराधार ही हो, लेकिन उसकी जांच के लिये एक इन्क्वायरी कमीशन मुकर्रर हो जिसमें हाईकोर्ट का एक जज हो। इससे सारा मामला साफ हो जायगा जैसा कि हमने कहा कि "सांच को आंच क्या"। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मैं यह निवेदन करता हूं कि जब जन साधारण को यह बात मालूम होगी कि मुख्य मंत्री जी ने अपने एक मंत्री विशेष के विरुद्ध जांच अपने हाथ में ली है तो फौरन शंका होती है कि कहां तक न्याय हो पायेगा। इसलिये मैं यह मांग करता हूं कि एक कमीशन जांच के लिये मुकर्रर किया जाय जो सिंचाई विभाग के व्यापक भ्रष्टाचार की जांच करे, जिसकी चर्चा इस सदन में और बाहर भी प्रान्त के कोने-कोने में बराबर हो रही है। वह जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दे। जो जिम्मेदार पाया जायगा उसको सजा भुगतने का अवसर हो।

मान्यवर, बेकारी के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। आज सारे देश में और खास कर इस प्रदेश की बात मैं करना चाहता हूं और जो मूल सिद्धान्त की बात है। जब आदमी को काम करके पेट भरने का अवसर मिलता है तो कोई भी व्यक्ति हरगिज जानवर का काम करने को तैयार नहीं होता। इस कांग्रेस की हुकूमत में जानवर का काम करने वाले आदमियों की तादाद दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली गयी है। मैं रिक्शा चालकों की बात कह रहा हूं और इस के लिये एक मिसाल देता हूं। सन् १९५५ में आजमगढ़ नगरपालिका में ३००-३५० रिक्शे थे, आज १९५९ में वहां लगभग १,५०० रिक्शे हैं और लगभग ३,००० रिक्शा चालक हैं और उनकी तादाद बराबर बढ़ रही है। आज आप उनको रोजी देने में असमर्थ हैं तो उनकी रोजी छीनने का आप कतई अधिकार नहीं रखते। रिक्शा चलाना अमानुषिक और छोटा काम है यह रिक्शा चलाने वाले भी जानते हैं, लेकिन उनको कोई आल्टरनेटिव इम्प्लायमेंट दिये बिना यदि आप उनकी रोजी पर हाथ उठायेंगे तो परिणाम ठीक न होगा।

मान्यवर, एक बात के लिये मुझे बड़ा दुख हुआ और उसका जिक्र महामहिम राज्यपाल ने अपने संबोधन में कतई नहीं किया। यह विषय हमारे अध्यापकगण का है। बहुत दिनों से उनकी मांग है और वह विधान के अनुकूल भी है कि एक ही तरह का काम करने वाले व्यक्तियों को समान वेतन और समान प्रकार की सुविधायें मिलनी चाहिये। सरकारी स्कूलों में और गैर सरकारी स्कूलों में जो अध्यापकों का वेतन हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है और बहुत दिनों से यह मांग है कि इस वेतन की डिस्पैरिटी को समाप्त किया जाय। इसको कोई व्यवस्था, कोई निराकरण महामहिम राज्यपाल के संबोधन में नहीं आया।

अंत में सीलिंग की बात मैं कहना चाहता हूं। सीलिंग का कानून--"लैंड टु दि टिलर" के सिद्धान्त पर लागू किया जा रहा है। जो खेत पर काम करता है उसको खेत मिले पर जो व्यवस्था की जा रही है उससे कदापि इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के संबोधन के विषय में बोलने का अवसर दिया। राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में जिन बातों का उल्लेख किया है उनमें उनकी एक मुख्य बात यह है कि खाद्य समस्या पर उन्होंने संतोष प्रकट किया है। मैं यह बात भली प्रकार अनुभव कर रहा हूं और पिछली बार भी देखा कि जहां तक खाद्य समस्या का संबंध है गत वर्ष, जब इतनी तेजी हुई और हमारे प्रदेश में तरह-तरह के सत्याग्रह हुए, लोगों ने अनशन किये और उससे प्रदेश में ऐसी ऊंची-नीची परिस्थिति पैदा हुई कि जिस पर देश के तमाम लोगों को एक प्रकार से चिन्ता हुई, उस समय भी आज की अपेक्षा हालत अधिक बुरी नहीं थी। भले ही सरकार ने इस बात का प्रयास किया और अनाज इकट्ठा कर लिया सरकारी तौर पर, लेकिन आज की तारीख में भी हमारे प्रदेश में गल्ले का वही भाव है जो गत वर्ष था। इस संबंध में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि ६ जून, १९५७ को हमारे प्रदेश में १५ रुपये २३ पैसे गेहूं का भाव था और ६ जून, १९५८ को यह २० रुपये का भाव हुआ। इसी प्रकार १२ जुलाई, १९५८ को २१ रुपये ३३ पैसे का भाव था और ३१ जुलाई, १९५८ को यह २० रुपये ६४ पैसे का भाव था। आज ३० जुलाई को फर्रुखाबाद में २१ रुपये के लगभग मंडी में गेहूं का भाव है। हापुड़ की मंडी में भी आज यह भाव १९.५० रुपये के करीब है। ये आंकड़े मैंने इसलिए पेश किये कि आज हम जुलाई में चल रहे हैं और खाद्य की स्थिति लगभग वही होती जा रही है जो पिछले साल थी। मैं आपके द्वारा सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह अपनी खाद्य की स्थिति को जरा गम्भीरता पूर्वक सोचने और उस पर निर्णय करने की ओर ध्यान दे। कहीं ऐसा न हो, जैसा कि गत वर्ष हुआ था। हमने सवा सेर और १ सेर छः छटांक का गेहूं खरीदा और हमारे प्रदेश के लोगों ने खाद्य के सम्बन्ध में अत्यन्त चिन्ता का अनुभव किया।

माननीय राज्यपाल महोदय ने कृषि को प्रधानता देने की ओर संकेत किया है। कृषि तो हमारे देश की मुख्य समस्या है। खरीफ और रबी का आन्दोलन किया गया और राज्यपाल महोदय ने इस बात का संकेत भी किया है कि जहां तक ग्रामीण जनता का नेतृत्व प्राप्त करने की बात है हमें उस ओर प्रयास करना चाहिए। मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि रबी या खरीफ आन्दोलन में जनता के नेतृत्व की बात तो केवल कहने वाली बात है, वह कहीं नहीं है। यह तो अफसरान के नाम पर आन्दोलन होते हैं और उन्हीं तक सीमित रहते हैं। यही नहीं, अफसरान के अलावा जो गांव के एजेंट हैं या गिने चुने मुख्य लोग हैं या गांव सभा के कुछ लोग हैं, मतलब यह कि जो आज सरकारी मैशीनरी के येन-केन-प्रकारेण पुर्जे बने हुए हैं उन्हीं के द्वारा हमारे आन्दोलन संचालित किये जाते हैं। कागजों पर कितने ही अच्छे आंकड़े हमारे सामने आयें कि हमारी उपज अच्छी थी, हमारा काम आगे बढ़ा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सब आंकड़े कागजों पर ही रह जाते हैं और काम की जगह पर काम नहीं दिखाई देता। मैं आपके द्वारा खाद्य मंत्री से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि गिरते हुए भाव को रोका जाय तो इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार बड़ी तेजी से सफलता प्राप्त कर लेती है, लेकिन सारी सरकारी मशीनरी, सारा खाद्य विभाग इस बात में चिपट जाय कि चढ़ते हुए भावों को रोकने का प्रयास करे तो उसमें सरकार असफल रहा करती है। यही कारण है कि हम अपने लक्ष्य की ओर सही सही नहीं पहुंच पाते हैं।

सिंचाई की तरफ राज्यपाल महोदय ने संकेत किया है। इस सम्बन्ध में मुझे आपसे एक निवेदन करना है कि सिंचाई का कार्य तो वास्तव में कुछ आगे बढ़ा है, लेकिन राज्यपाल महोदय अपने सम्बोधन में इस बात को छोड़ दिया है कि जो बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र हैं जहां पर हमारी सरकार उनके सुधार के लिए करोड़ों रुपया दूसरे मदों में खर्च करती है वहां उन क्षेत्रों में कभी सिंचाई की ओर ध्यान नहीं गया है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस ओर भी हमें अपना ध्यान देना चाहिए।

पशुधन की ओर भी खास तौर से हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। पशुधन के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि जो शहरी क्षेत्र हैं उसके आस-पास

[श्री रामकृष्ण सारस्वत]

की खेती में शहर के पशु जो आवारा रहते हैं वह बराबर जाकर उनको नष्ट करते हैं। श्रीमन्, मैंने अपनी आंखों से अनेकों बार देखा है, काश्तकारों की खेतियां जब नष्ट होती हैं, जब शहर से झुंड के झुंड जानवर जाकर उन्हें नष्ट करते हैं। मैंने उनके घर में इस तरह का विलाप देखा और सुना जैसे मालूम होता था कि किसी जवान बच्चे की मृत्यु हो गई हो। यहां पर कृषि मन्त्री महोदय मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं आपके द्वारा उन तक निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस ओर विशेष ध्यान दें। जहां तक पशु सुधार, नस्ल सुधारने की बात है वहां पर वह ऐसे पशुओं द्वारा खेती को नष्ट होने से बचाने का भी प्रयास करें तो शायद बहुत कुछ मात्रा में खेती द्वारा गल्ले की उपज बढ़ सकती है, लेकिन जहां तक मैंने देखा और समझा न तो कोई इसके लिये सुझाव लाया गया और न सरकार की तरफ से कोई आदेश भेजे गये और न कोई रोकथाम ही की गयी। मेरा निवेदन है कि इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

आज मंहगाई की समस्या है। इस सदन के बहुत से साथी चीनी के बारे में बातें कह चुके हैं इसलिये मैं फिर उन्हीं बातों को दोहरा कर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता।

इमारती सामान के मिलने में असुविधा की बात कही गई। आज हालत यह है कि शहरों में मकान बनाने की वस्तुयें नहीं मिल रही हैं। यह हर एक को मालूम है कि आज लोहे का परमिट कितनी दिक्कत और परेशानी से मिलता है। ईंट का जहां तक सम्बन्ध है वह आज भी ४५–५० रु० हजार के भाव पर बिक रही है। इसीलिये शहरों में मकानों के बनाने में कठिनाई होती है।

मुझे एक निवेदन औद्योगीकरण के बारे में भी करना है। सरकार को छोटे और बड़े उद्योग धन्धों की तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिये। मेरे एक मित्र ने उद्योग धंधा करने के लिये एक प्रार्थना-पत्र ऋण के लिये दिया था। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने भी उस कार्यालय में जाने की कोशिश की और अधिकारियों से भी अनुरोध किया लेकिन एक हजार रुपया तक उनका खर्चा हो गया, डेढ़ वर्ष तक उन्होंने उस कार्यालय की खाक छानी तब उन्हें १५ हजार रुपये का ऋण सरकार की तरफ से मिल सका। यह ऐसे कार्यालयों में बढ़े हुये भ्रष्टाचार को सुधारने के लिये भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये।

बेकारी की समस्या का जहां तक सवाल है उसके लिये सिर्फ इम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज खोल देने से ही इस समस्या का हल नहीं हो सकता। सदन में बैठे हुये सदस्य, चाहे इस पक्ष के या उस पक्ष के, सभी अनुभव करते हैं कि बेकारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके लिये मैं विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि सरकार प्रयास करे। छोटे और बड़े उद्योग धंधे हमारे प्रदेश में खोले जायं जिससे बेकारी की समस्या शीघ्रातिशीघ्र दूर हो सके।

मद्य निषेध के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह थोड़े से जिलों में है और उनके पड़ोसी जिलों में नहीं है। मिसाल के तौर पर शराब लखनऊ में बिकती है और उन्नाव में बन्द है। लखनऊ से उन्नाव में चोरी से जाती है और बिकती है। उन्नाव में चोरी से जितनी शराब खींची जाती है और खूब बिकती है उसे सभी लोग जानते हैं।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं कहना चाहता। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब तक इस सम्बन्ध में शिक्षा और दीक्षा देने की व्यवस्था सरकारी तौर पर नहीं की जाती है और हमारी मनोवृत्ति उसको खत्म करने की नहीं बनती, तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते।

श्री उपाध्याय—आपका समय समाप्त।

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, समय थोड़ा है इसलिये मैं ज्यादा तफसील में न जाकर बहुत जरूरी जरूरी बातें अर्ज करूंगा । पहले तो यह बहुत अच्छा होता कि राज्यपाल महोदय अन्तर्राष्ट्रीय बातों का जिक्र अपने अभिभाषण में न करते । चूंकि प्रजातांत्रिक पद्धति यह है कि जो बात गवर्नर साहब कहते हैं दैट इज ओपेन फार डिस्कशन । ऐसा कभी नहीं होता कि जो गवर्नर साहब कह गये या और कोई राजप्रमुख कहे उस पर डिस्कशन न हो । इस सम्बन्ध में मुझे आपसे एक निवेदन करना है कि सिंचाई का कार्य तो वास्तव में कुछ आगे बढ़ा है लेकिन राज्यपाल महोदय अपने सम्बोधन में इस बात को छोड़ देते हैं कि जो बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र हैं, जहां पर हमारी सरकार उनके सुधार के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है वहां उन क्षेत्रों में कभी सिंचाई की ओर हमारा ध्यान नहीं गया है । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस ओर भी हमें अपना ध्यान देना चाहिए ।

पशुधन की ओर भी खास तौर से हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है । पशुधन के सम्बन्ध में मुझे आप से यह निवेदन करना है कि जो शहरी क्षेत्र हैं उसके आस-पास की खेती में शहर के पशु जो आवारा रहते हैं वह बराबर जाकर उनको नष्ट करते हैं । श्रीमन्, मैंने अपनी आंखों से अनेकों बार देखा है कि उन काश्तकारों की खेतियां जब नष्ट होती हैं, जब शहर के झुंड के झुंड जानवर जाकर उन्हें नष्ट करते हैं ।

अच्छी परिपाटी तो यह भी थी कि उन बातों का जिक्र ही न किया जाता । लेकिन जो हो चुका सो हो चुका । अब मैं इतना जरूर कहूंगा कि किसी भी अन्तराष्ट्रीय मामले में हमारे लिये अभिमान की बात नहीं है । न हम गोआ का सवाल हल कर पाये, न हम काश्मीर का मसला हल कर पाये, और न हम . . .

श्री उपाध्यक्ष—अगर आप यह समझते हों कि आप बोलते चले जावें तो उसके लिए और भी उपाय हैं । आप कृपया उस संबंध में चर्चा न करें ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर । मैं मौजूद तो नहीं था लेकिन श्रीमन्, आपने माननीय राजनारायण जी के प्रश्न पर अपनी रूलिंग रिजर्व कर रखी थी और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उसी गलतफहमी में बोल रहे हैं । उसे आप स्पष्ट कर दें तो परिस्थिति साफ हो जाय ।

श्री यशपालसिंह—मुझे अफसोस है कि हमारे मुख्यमंत्री या माल मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं । किसानों के मुताल्लिक जो कुछ कहना था उन्हीं से कहना था । लेकिन रेस्पांसिबिल गवर्नमेंट है, हमारे दूसरे मिनिस्टर साहबान हैं । मैं उन्हीं को मुखातिब करने की कोशिश करूंगा कि मेरी बातों का वह थोड़ा बहुत जवाब दे दें ।

हमारी सरकार का दावा है कि सोशलिस्टिक स्टेट बनाई जा रही है । फिर बन्दूक और रिवाल्वर के लाइसेंस देने के वक्त यह क्यों पूछा जाता है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, आमदनी क्या है, कितना इन्कमटैक्स मालगुजारी देते हो । अगर सोशलिस्टिक स्टेट में कोई हैसियत है तो वह काबलियत या कलेक्टर की है कि वे कितने ऊंचे हैं । वे बातें नहीं पूछी जाती हैं और न मनुष्य की हेल्थ के बारे में पूछा जाता है इसके लिये गवर्नर महोदय ने अपने ऐड्रेस में एक शब्द भी नहीं कहा है । गृह मंत्री जी बैठे हुये हैं, मैं उनतक अपनी यह आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि समाज में धन के ऊपर लाइसेंस नहीं दिये जाने चाहियें । आज हालत यह है कि कांग्रेसी बजीरों के कृपापात्र चाहे कितने ही चरित्रहीन क्यों न हों वे लाइसेंस ले सकते हैं लेकिन गरीब आदमी का चरित्र चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, वह कितना ही बहादुर या स्वस्थ क्यों न हो, उसे लाइसेंस नहीं दिया जाता है । लाइसेंस उनको दिये जाते

[श्री यशपाल सिंह]

हैं जो मूंग की दाल भी नहीं पचा सकते हैं। हथियारों के लाइसेंस उन्हें दिये जाते हैं जिन्हें हार्ट की बीमारी है। इसके संबंध में गवर्नर महोदय ने अपने ऐड्रेस में एक शब्द भी नहीं कहा है।

मेरी दूसरी दरख्वास्त यह है कि यह गवर्नमेंट खोखली है। यह मेरा सबसे बड़ा प्वाइंट है। मेरा दावा है कि ट्रेजरी बेंचेज के अगर किसी एक शख्स के पास भी इसका जवाब होगा तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। खेती के स्टैटिस्टक्स के बारे में माना जाता है कि इसके आदादोशुमार यूं ही १० फीसदी अन्दाजे से होते हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि यह सरकार आज कितनी दीवालिया है, इस प्रदेश की ३२ तहसीलों की, जहां चकबन्दी हो रही है, कोई स्टैटिस्टिक्स सरकार के पास नहीं हैं। चार साल से ताला लगा हुआ है, यह पता नहीं है कि क्या पैदावार हो रही है और क्या फसल बोई जायगी। मेरे जिले के एक गांव जड़ोंदा पड़दा में दो लाख रुपये साल की फसल पैदा होती थी लेकिन जिस दिन से चकबन्दी की लानत वहां आई है उससे वहां सिर्फ २० हजार रुपये की पैदा रह गई है।

इसी तरह प्रदेश के हजारों गांव तबाह हो रहे हैं। इस प्रकार प्रदेश का धन-धान्य कहां से बढ़ सकता है? ऐसा संसार का कोई कानून नहीं है कि मैं सुधार न कराना चाहूं और जबरदस्ती मेरा सुधार किया जाय। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। लेकिन चकबन्दी के लिये उसूल बना दिया गया है कि देहात के लोग चाहें या न चाहें वह जरूर की जायगी। कितने काश्तकारों ने आकर सरकार से दरख्वास्त की कि हमारी चकबन्दी कर दो, एक नहीं की। हां, दस हजार किसानों का प्रदर्शन इसी हाल के सामने हमने देखा है जिन्होंने कहा है कि चकबन्दी को वापिस लिया जाय। लेकिन काश्तकार को खत्म करने के लिये जबरदस्ती चकबन्दी लादी जा रही है। चकबन्दी सरकार ने काश्तकार के लिये नहीं की है बल्कि अपनी गरज से की है, वजीरों के रिश्तेदारों को उसमें अफसर लगाने के लिये की है। फिर आप काश्तकार से ५ रुपया फी एकड़ टैक्स क्यों ले रहे हैं? पहले उसे उजाड़ा गया और फिर उजाड़ने की फीस भी उसी से ली जाती है। एक शायर ने कहा है :—

अजीब माजरा है कि बरोजे ईद कुरबां,
वही जिबह भी करे और वही ले सवाब उल्टा!

सरकार का यह अन्धेर चल नहीं सकता। पिछले दिनों जिस समय यह ऐलान किया गया था कि चकबन्दी बन्द की जायगी उस वक्त किसानों के घरों में घी के चिराग रौशन हुये थे, लोग फूले नहीं समाते थे। लेकिन २० दिन बाद यही चकबन्दी हमारे ऊपर फिर लाद दी गई।

कहते हैं कि खरीफ आन्दोलन चल रहा है, रबी आन्दोलन चल रहा है। ये कैसे चलेंगे जब कि किसान के लिये पानी, खाद और बीज का इन्तजाम नहीं है? इन्हीं लम्बी गर्मियों में एक तरफ हमने देखा कि हमारे हजारों मवेशी बगैर पानी के अन्धे होकर मर गये और दूसरी तरफ कहते हैं कि रबी आन्दोलन चलेगा। वह कागज पर ही चल रहा है। किसान के पास न खाद है, न बीज है और न कोई दूसरा साधन है। मजदूरों को देखिये कि बीड़ी बनाने के कारखानों में चले जा रहे हैं। एक तरफ फसल बोने का मौसम है, दूसरी तरफ मजदूर सिगरेट फैक्ट्री में जा रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि चकबन्दी के काले कानून को एक कलम बन्द किया जाय और काश्तकार को राहत दी जाय, कोआपरेटिव सोसाइटीज के जिम्मे चकबन्दी का काम छोड़ा जाय, वे चाहें तो करें, न चाहें तो न करें। लेकिन जबरदस्ती किसी चीज को नहीं लादना चाहिये।

एक बात यह भी है कि गांवों में चोरियों और डकैतियों के लिये कोई इन्तजाम नहीं हुआ है। खुले आम दिन दहाड़े डाके पड़ते हैं। रिवाल्वर और बन्दूकों के लाइसेंस, जैसा मैंने पहले कहा, उन्हें दिये जाते हैं जिन्हें हार्ट अटैक की बीमारी होती है और जो

मूंग की दाल भी हजम नहीं कर सकते। तगड़े आदमियों को हथियार छूने तक भी नहीं दिये जाते हैं। मैं आपसे विनम्र शब्दों में अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे भी शौक था कि मैं हथियार लेकर चलूं और शेरों का शिकार करूं। लेकिन भगवान ने मुझे शक्ति दी कि मैं खाली हाथों भी शेर का शिकार कर सकता हूं।

प्रदेश में हथियार देने का जो तरीका है वह धन के बुनियाद के ऊपर है। इससे समाज में डिस्पैरिटी क्रियेट की जाती है। मेरी खुद्दारी का तकाजा है कि मैं आगे कोई हथियार न रक्खूं। जब तक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक बालिग नागरिक को हथियार रखने की आजादी न होगी तब तक मैं कोई हथियार न रक्खूंगा। लाइसेंस वापस करता हूं।

श्री तेजबहादुर सिंह (जिला आजमगढ़)—राज्यपाल के सम्बोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उस की बहस मैंने सुनी। बहुत सारी बातें कही गईं। मगर दोनों तरफ से कुछ बातें मान ली गई हैं, जैसे हमारे प्रदेश की खाद्य-समस्या बड़ी खराब है। पिछले दिनों इस संबंध में आन्दोलन भी किया गया था और सरकार को यह पता चल गया था कि आन्दोलनकारियों में कितना बल है, वे कितनी ताकत सरकार के समक्ष दिखा सकते हैं।

खाद्य समस्या खराब है, उसको दुरुस्त किया जाय, यह कांग्रेस के लोग भी चाहेंगे और जो विरोधी लोग हैं वह भी चाहेंगे क्योंकि खाने के मामले में सब का दृष्टिकोण एक-सा है। मैं सन् ५२ से यहां बैठ रहा हूं, मैंने देखा है खाद्य समस्या पर जब कभी यहां बातचीत हुई, तो सरकार की तरफ से यह कहा गया कि खाद्य की हालत बहुत अच्छी है, घबड़ाने की बात नहीं है। मगर देखा यह गया कि खाने की हालत रोज-बरोज खराब होती गयी। खाद्य समस्या को सरकार हल न कर सकी। उसका नतीजा यह हुआ कि पारसाल इस प्रदेश में इतना बड़ा आन्दोलन हुआ और कितना नुकसान उसमें हुआ। वह सब ने देखा। विरोधीदल की ओर से बहुत से सुझाव दिये गये कि खाद्यान्न की समस्या कैसे हल की जायगी, उसको ध्यान में रख कर यह भी कहा गया और बार-बार इसको दोहराया गया कि जमीन की समस्या को हल कीजिये तो खाद्य की समस्या भी हल हो जायगी।

नागपुर में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया, उससे लोगों को बड़ी-बड़ी आशायें बंधीं। अन्य दल ने उस प्रस्ताव को चाहे स्वीकार किया हो या न किया हो लेकिन जिस दल की ओर से मैं बोल रहा हूं उसने कहा कि कांग्रेस दल को अब बुद्धि आयी और अब वह कुछ काम करने के लिये तैयार हो रहा है। उसने उसको स्वीकार कर लिया और उस पर प्रसन्नता प्रकट की। यद्यपि कांग्रेस दल इस सदन में बार-बार इस बात से इन्कार करता रहा और कहता रहा कि हदबंदी से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मुझे याद है कि जब कभी इधर से इस बारे में कोई बात कही गयी तो माननीय मंत्री जी ने सदैव ही उसका मखौल उड़ाया। मगर हमने उसका स्वागत किया लेकिन उधर सिर दर्द बढ़ गया। सिर दर्द इतना बढ़ा कि बहुत से लोग जो इससे फायदा उठा रहे थे वे भी इसका विरोध करने लगे। कहीं रंगा साहब, कहीं मुंशी साहब, और इसी तरह के बहुत से लोग जो कांग्रेस के ही थे, इसका विरोध करने लगे। हम लोगों को संदेह होने लगा कि जो यह प्रस्ताव कांग्रेस ने मंजूर किया था वह दयानतदारी से मंजूर नहीं किया। तब हमने आन्दोलन किया। अब उसका नतीजा यह हुआ कि नैनीताल में बैठ कर ठंडे दिमाग से जो फैसले किये गये हैं, वह जो भी हुए हों लेकिन अखबारों में जो कुछ आया, उसने एक निराशा पैदा कर दी है। आपने ४० और ६४ एकड़ की बात कही है। यह बात सही है कि आपने नागपुर प्रस्ताव को मंजूर तो किया है लेकिन उसको आप फेल करना चाहते हैं और फेल उसको इस तरह से नहीं करना चाहते हैं कि उसको मानें नहीं लेकिन ऐसा करना चाहते हैं कि उस प्रस्ताव का मतलब ही खत्म हो जाय। जिस दल ने

[श्री तेजबहादुर सिंह]

इस प्रस्ताव को पास किया है, उस दल के लोगों को मजाज हासिल नहीं है कि उसका विरोध करें। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि सीलिंग ४० से ६४ एकड़ तक की की जा रही है। इस प्रकार से आप जिन को जमीन देना चाहते हैं, जिनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उनको किसी प्रकार भी लाभ नहीं मिल सकता है। जैसा कि हमारे दल की ओर से सुझाव पेश किया गया कि आप प्रदेश भर की स्थिति को ध्यान में रख कर जगह ब जगह १२ से २० एकड़ तक की हदबंदी करें तो शायद आप उन लोगों को जमीन दे सकेंगे जिनकी सहायता आप करना चाहते हैं। और हदबन्दी तो इसलिये करना चाहते हैं कि खेत ऐसे लोगों के हाथों में जायं जो मेहनत से कमायें और ज्यादा से ज्यादा अन्न पैदा करें जिससे मुल्क की खाद्य स्थिति ठीक हो। जो उस दल की ओर से फैसला है वह कतई इस बात का सबूत नहीं है कि वे किसानों को कोई फायदा पहुंचाने का इरादा रखते हैं।

दूसरी चीज उसी नागपुर प्रस्ताव में यह कही गयी है कि हम खाद्य की स्थिति को सुधारने के लिये कोआपरेटिव फार्मिग चाहते हैं। यहां कोआपरेटिव का एक विभाग है जिसका कार्य प्रदेश भर में फैला हुआ है। अगर आप उसी के आधार पर, उसी के भरोसे कोआपरेटिव फार्मिग करना चाहते हैं तो मुझे सन्देह है कि आप उसमें सफल हो सकेंगे। उस विभाग में चाहे सभी ईमानदार लोग हों, चाहे बेईमान लोग भी हों, मैं तो उस बहस में नहीं जाता, मगर जो कार्य हो रहे हैं उनमें हमको निराशा ही मिलेगी, उस भरोसे वे कार्य नहीं हो सकेंगे और कोआपरेटिव फार्मिग जिसका स्वप्न कांग्रेस दल के लोग देख रहे हैं उसमें वे सफल नहीं हो सकेंगे। आप छोटी-छोटी बातों को देख लीजिये। कोआपरेशन के सिद्धान्त का आप अध्ययन करें तो निश्चित आप एक दूसरी बात भी सोचेंगे कि इसमें जो अधिकार है वह इकट्ठा नहीं किया जाता, वह अधिकार तो सब लोगों में बंट जाता है और मिल-जुल कर काम करने की एक प्रवृत्ति पैदा की जाती है। मगर आप यहां कोआपरेटिव विभाग के कार्य को देखें तो आप पायेंगे कि रजिस्ट्रार महोदय के हाथ सारी ताकत रखी जा रही है और अब तो यह भी देखता हूं कि इन सब के ऊपर रजिस्ट्रार भी नाममात्र को ही है बल्कि उसके यहां से भी यह ताकत उठ कर उस मिनिस्टर के हाथ में चली गयी जो उस विभाग से सम्बन्धित है। आज यह हालत है कि प्रदेश में कोई कोआपरेटिव सम्मेलन हो, ये सम्मेलन साल-साल भर पर हुआ करते हैं, आज किसी जिले में कोआपरेटिव सम्मेलन बुलाना हो तो उस विभाग के मंत्री से पूछ कर ही वह बुलाया जा सकता है। नहीं तो वह भी सम्भव नहीं है। आप चाहे कार्यकर्त्ता हों, आपको एलेक्शन का टिकट लेना हो तो आप मंत्री जी के चौखटे पर हजार बार सिजदा करें, तब भी वे अनुमति नहीं देंगे .....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप यह विषयान्तर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अन्दरूनी बातों की चर्चा आप यहां नहीं कर सकते।

श्री तेजबहादुर सिंह—मैं कांग्रेस की अन्दरूनी बातें नहीं कहता, मैं तो सरकार की बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—टिकट वाली बात तो अन्दरूनी ही है।

श्री तेज बहादुर सिंह—तो अगर आप उस तरह से किसी एक आदमी के हाथ में अधिकार देकर कोआपरेटिव आन्दोलन को सफल बनाना चाहते हैं तो उससे कोआपरेटिव आन्दोलन व कोआपरेटिव फार्मिग सफल नहीं हो सकेगी। मेरा यह सुझाव है कि आपने इस विभाग की सारी ताकत जो एक दो आदमियों के हाथों में सौंप रखी है उसका विकेन्द्रीकरण कीजिये। शेयर मनी हम दें, पैसे हम दें मगर इसका प्रबन्ध सुपरवाइजर, इन्सपेक्टर या

रजिस्ट्रार महोदय करें । यह तो अजीब-सी बात है कि आप प्रबन्ध करें, आप मोटे हों और हम शिकायत भी नहीं कर सकते हैं । यह सारी बदअमनी इस विभाग में फैली हुई है, बावजूद इसके मुमकिन है कि उसमें अच्छे लोग हों जो विभाग का काम अच्छी तरह से करते हों । तब भी मेरा यह सुझाव है कि कोआपरेटिव का काम नान आफिशियल्स के हाथ में जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त ।

गृह मंत्री(श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के विषय में जो विवाद होता है । सरकार की कार्य प्रणाली, उसकी गति विधि, जो कुछ कार्य वह कर रही हो उस सबके विषय में विचार व्यक्त किये जा सकते हैं। साथ ही साथ जिन विषयों की ओर महामान्य राज्यपाल ने विशेष रूप से संकेत किया है उस पर आदरणीय सदन का मत जानने की चेष्टा की जाती है। महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के सामान्यतः २ अंग होते हैं---एक अंग तो वह होता है कि जो पुराने कार्य होते हैं उनका उसमें कुछ उल्लेख होत है और दूसरा अंग वह होता है जो कार्य सरकार आगे करना चाहती है, उनकी तरफ इशारा होता है । पुरानी बातों का भी टीका हो सकती है, होती भी है और होनी भी चाहिये, पर विशेष जोर डाला जाता है, एमफेसिस दिया जाना चाहिये उन बातों पर कि भविष्य में जो काम होने वाले हैं और उसके विषय में सदन का मत हमें मालूम होना चाहिये ।

मुझे खेद है कि ३ दिन के भाषणों में विशेष रूप से उन बातों की चर्चा कम की गई जिनको आगे करना है, उसकी बड़ी आवश्यकता थी। वही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह ऐसे प्रश्न हैं कि जिनसे एक दो नहीं लाखों करोड़ों, आदमियों की जिन्दगी का सम्बन्ध है, एक पूरे समाज की व्यवस्था बदली जा सकती है, मालूम नहीं उसका भविष्य में क्या रूप होगा, उससे कहां तक लाभ होगा, कहां तक गड़बड़ी होगी, पक्ष और विपक्ष में बहुत-सी बातें कही जा सकती हैं। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आदरणीय सदन में कुछ विशेष चर्चा होनी चाहिये थी। सीलिंग क कायम किया जाना, कोआपरेटिव फार्मिंग को ले आने की कोशिश करना, एक जिला परिषद् बना कर उसे बहुत से अधिकार प्रदान करना---यह सब ऐसे प्रश्न थे कि जिन पर हमें कुछ सदन की राय मिलनी चाहिये थी। साथ ही साथ एक और बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर माननीय राज्यपाल ने संकेत किया कि एक पुलिस कमीशन की स्थापना की जायगी। उसके विषय में कुछ सुझाव आते कि कमीशन का टर्म आफ रिफ्रेंस क्या हो, कौन-कौन उसमें रहें, कैसे जांच हो, क्या पर्सनल हो, किन-किन बातों का, किस प्रकार की खोज का भार कमीशन पर डाला जाय, इस सब पर विचार होना चाहिये था। परन्तु खेद है इन सब बातों पर विचार बहुत कम हुआ । हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने अवश्य ही कुछ जिक्र किया लेकिन विशेषरूप से आज की तात्कालिक समस्याओं की चर्चा और टीका-टिप्पणी ही अधिक की गई। यह बड़े गम्भीर प्रश्न हैं, और इनके विषय में केवल इस सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है । आज यह सरकार कोई कानून बना देगी, कल दूसरी सरकार आ सकती है, परन्तु जो विषय एक बार रखे जाते हैं, उल्टे भी जाते हैं लेकिन उनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर वर्षों तक बना रहता है। यह प्रश्न ऐसे थे कि जिन पर सदन गम्भीरतापूर्वक अपने विचार व्यक्त करता परन्तु किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि हम एक बड़ा भारी कदम उठाने जा रहे हैं। इन नई व्यवस्थाओं से हमारे प्रदेश के सारे जन जीवन का स्वरूप पूरी तरह से परिवर्तित हो सकता है ।

हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, यहां बहुत अधिक व्यवसाय या उद्योग नहीं हैं। जब तक हम कृषि प्रधान देश के रहने वाले हैं तब तक हमारी एक रूरल एकोनामी है। वैसे इतने शहर और प्रदेशों में न होंगे परन्तु फिर भी काम धन्धे, उद्योग और व्यवसाय न होने के कारण हैं। थोड़े बहुत शुगर के हों, कुछ कपड़े के हों। इनको छोड़ कर प्रायः हमारे जीवन की सारी व्यवस्था गांवों की कमाई पर और उसकी आर्थिक नीति पर अवलम्बित है। आप देखें कि जो प्रश्न इस वक्त आने वाले हैं उनका संबंध ग्रामीण जीवन से है। हमारी जो आर्थिक

श्री कमलापति त्रिपाठी]

और सामाजिक व्यवस्था है ग्रामों में उसको ऊपर से नीचे तक परिवर्तित कर देने की चेष्टा है और इस लक्ष्य के साथ है कि इससे हमारी बहुत-सी समस्याएं हल हो सकेंगी। कोआपरेटिव फार्मिंग के द्वारा शायद अन्न अधिक उत्पन्न कर सकेंगे, सीलिंग के द्वारा शायद बहुतों को पेशा प्रदान कर सकेंगे जिनके पास भूमि नहीं है। ये ऐसे प्रश्न थे जिन पर जो प्रतिनिधि यहां पर बैठे हुए हैं, उन्हें विचार करना चाहिए था। वह नहीं हो सका। खैर, मैं समझता हूं कि जब ये बिल्स आयेंगे तो विशेष रूप से ध्यान दिया जायगा और सुझाव आएंगे। और बहुत टीका-टिप्पणी हुई, उस सारी टीका-टिप्पणी का उत्तर देने के लिये तो मैं खड़ा नहीं हुआ हूं, क्योंकि वह काम तो हमारे सम्मानित नेता सदन का होगा अथवा और जो विभागीय मंत्री हैं उनका होगा। जो दो तीन विषयों का सम्बन्ध मुझसे है और जिनकी कि चर्चा हुई, उनके विषय में मैं कुछ कह देना चाहता हूं।

जहां तक शिक्षा विभाग का सम्बन्ध है, इसकी बार-बार चर्चा की गई कि दर्जा सात और आठ की फीस माफ की जाय। यह हमारे सभी मित्रों की ओर से विचार व्यक्त किया गया। यह भी कहा गया कि इसका पहले आश्वासन भी मिला था, और यह चीज अब तक लागू नहीं की गई। मैं मानता हूं कि यह चीज अब तक लागू नहीं की गई और मैं यह भी मानता हूं कि निकट भविष्य में इसके लागू होने की कोई आशा भी नहीं है। इच्छाएं हमारी बहुत कुछ करने की हों पर उनको करने की क्षमता यदि न हो या साधन नहीं तो केवल इच्छाओं से वह काम पूरा नहीं हो सकता। बजट के समय भी मान्यवर, इस बात का इरादा किया था कि हम अपने अध्यापकों के वेतन की वृद्धि करने जा रहे हैं, दर्जा छः की फीस की जो माफी हुई है उसको वापस लिया जाय, और कहा था कि यह प्रश्न विचाराधीन है। दर्जा पांच तक ही ब्लाक होता है प्राइम रीका, उसकी फीस माफ कर दें। अभी दर्जा छः में माफ कर दें और फिर दर्जा सात में लें इसके कोई माने नहीं होते। तो अब जितनों को माफी मिल चुकी दर्जा छः में उसके आगे अब न दी जाय। यह प्रश्न था जिस पर विचार करने की बात मैंने आपकी आज्ञा से प्रस्तुत की थी और माननीय सदस्यों का इधर के भी और उधर के भी विचार था कि जो सुविधा दे दी गई है वह वापस नहीं होनी चाहिए और अध्यापकों का वेतन भी बढ़ना चाहिए। दर्जा छः की फीस की माफी से ६० लाख रुपये का भार पड़ता है। ३७ लाख के करीब दर्जा ५ तक पड़ता है। करीब करीब ९७ लाख फीस की माफी का पड़ता है जितनी कि स्कूलों की संख्या है। अगर हम स्कूलों की संख्या बढ़ावें तो रकम भी बढ़ती जाएगी और संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है इसमें कोई सन्देह नहीं है। दर्जा सात और आठ की फीस की माफी की तालिका बनाने से १ करोड़ २० लाख रुपया और खर्च होता है। करीब ढाई करोड़, सवा दो करोड़ पहुंच जाता है जितनी कि स्कूलों की संख्या है और इन स्कूलों को बढ़ाने का हमारा इरादा है। यह संभव नहीं है और न संभव अभी दिखाई देता है। केवल हमारे यहां ही नहीं, भारत सरकार को भी नहीं है। उन्होंने भी सन् ६० तक कहा था कि प्राइमरी एजूकेशन फ्री कर दी जाय, उसकी मियाद सन् ६५ कर दी है। सन् ६० तक संविधान के अनुसार हो जानी चाहिए थी, वह देखते हैं कि नहीं हो सकती इसलिये ६५ तक कर दी है। थर्ड प्लान में उसे फ्री कर दें और अगर मुमकिन हो तो कम्पलसरी भी कर दें इस पर विचार जारी है। हमारे यहां तो प्राइमरी एजूकेशन फ्री है। आगामी दो, चार, पांच, वर्षों में भी १४ वर्ष तक के विद्यार्थी को, दर्जा सात और आठ की, फीस माफ कर सकेंगे इसमें मुझे बहुत सन्देह है। कारण उसका यह है कि हमारे लिये वह सम्भव नहीं हो रहा है। अध्यापकों की वेतन-वृद्धि जो की उसी में १० वर्ष के अन्दर करीब डेढ़, दो करोड़ रुपया तो, आज जितने अध्यापक हैं, सरकार के ऊपर बोझ पड़ जायगा। बावजूद इसके कि हमारी इच्छा है, हम तो अगर अनिवार्य कर सकें प्राइमरी एजूकेशन तो मैं समझता हूं वह ज्यादा बड़ी चीज होगी बनिस्बत इस बात के कि हम ७ और ८ दर्जे की फीस माफ करें। आज हमारी शिक्षा कम्पलसरी नहीं है और करीब ७० लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो स्कीम मांगी उसके अनुसार

अगर पूरी प्राइमरी एजूकेशन कम्पलसरी कर दें तो रेकरिंग और नान-रेकरिंग खर्चा करीब ८० करोड़ बढ़ता है। हमारे लिये यह बहुत बड़ी बात है कि हम कम्पलसरी एजूकेशन कर दें और इसलिए गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से हमने मांग की है कि उनकी ओर से हमें सहायता मिले।

कुछ बातें विश्वविद्यालयों के बारे में कही गईं, खास कर गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में माननीय रामायण राय और मदन पांडेय जी ने कहीं। किसी रिपोर्ट की भी चर्चा की। गोरखपुर विश्वविद्यालय एक आटोनोमस स्टेट्यूटरी बाडी है और उसका सबसे बड़ा हेड जो है वह चांसलर है। अगर किसी प्रकार की उसमें शिकायत है तो हमने ऐक्ट बना दिया, स्टेटयूट्स बना दिये, उसकी अथारिटीज मौजूद हैं जहां वे चीजें जा सकती हैं। स्वयं सरकार की ओर से हस्तक्षेप करने का हमें अधिकार है नहीं, न कर सकते हैं। हां एक बात के लिये हमने अध्यादेश निकाला कि हमारी यूनिवर्सिटीज की ओर से जो खर्चा बढ़ता जा रहा है, जो कर्जा होता चला जाता है और उस कर्जे को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती जाती है उस पर कुछ थोड़ा प्रतिबन्ध लगाया है। यह नहीं कि आप खर्च करते जायं मनमानी और उसमें हमारा दखल भी न हो। यह एक ऐसा प्रश्न था जो सरकार को परेशान कर रहा था। जब उस सम्बन्ध का बिल आयेगा तो चर्चा होगी। बाकी उनके स्टेटयूट्स हैं। सेलेक्शन किस प्रकार हुआ, सेलेक्शन बोर्ड बैठा, एक्सपर्ट्स आये या नहीं, यह सारे काम चांसलर के हैं और उनके पास ये बातें आयी हैं और हम समझते हैं ये उनके अधिकार क्षेत्र की बातें हैं और वे उसको देखेंगे।

पुलिस के सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही कहना है कि कई घटनाओं का उल्लेख किया गया जिनमें मुबारकपुर और लहरपुर की बात कही गयी। जहां तक ला ऐंड आर्डर का सम्बन्ध है मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आंकड़े पेश करूं। पर ऐसे देखता हूं कि १९५६ से १९५७ और १९५७ से १९५८ में स्थिति अच्छी रही। ला ऐंड आर्डर का प्रश्न ऐसा है प्रदेश में जिसकी तरफ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि मैं कहूं "आल इज क्वाइट आन दी वेस्टर्न फ्रन्ट (All is quiet on the western front)" बड़ी शान्ति, बड़ा चैन और बड़ी नियमबद्धता व्याप्त है तो यह मेरा दुराग्रह होगा और एक ऐसी बात को कहना होगा जो पूर्णतः सत्य नहीं है। मैं मानता हूं ला ऐंड आर्डर की पोजीशन प्रदेश में संतोषजनक नहीं है। जैसे आप कहें कि उपद्रवकारियों। डकैतों और ऐसे लोगों के जो गरीबों को सताते हैं गिरोह हैं और हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने आगरे के उस इलाके को देखा जिसमें ७, ८ वर्षों से डकैतों का उपद्रव बराबर चला आ रहा है, बाह और फतेहाबाद का। इससे कौन इनकार कर सकता है कि हम जिस शान्ति और व्यवस्था के प्रश्न को हल करना चाहते हैं, उस पर काबू पाना चाहते हैं, वह पूरी तरह से काबू नहीं हुई। पर यदि मैं सभ्रतापूर्वक कहूं, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उससे लड़ने और युद्ध का जो काम सरकार ने किया है उसमें काफी हद तक उसे सफलता प्राप्त हुई। बाह में भी, आगरे में भी, आपके बुन्देलखंड के एरिया में, पूर्वी इलाके के कुछ जिलों में भी जो खास कर बार्डर लाइन पर हमारे इलाके रहे हैं, जहां इस तरह के भय और आतंक रहे हैं, उनका मुकाबला पुलिस की ओर से हुआ है और सफलता-पूर्वक हुआ है और हम यह आशा करते हैं कि बहुत जल्दी उनके ऊपर हम काबू पा लेंगे। स्थिति सुधर रही है और भविष्य में सुधरने की आशा है।

अब स्थानीय बातों की जो शिकायत की गयी कि दारोगा ने यह किया और दारोगा ने वह किया इस सम्बन्ध में सिवा इसके मैं क्या कहूं कि ये शिकायतें माननीय सदस्यों ने की हैं, हमने नोट की हैं और मैं उनकी जांच पड़ताल करूंगा। शिकायतें आती रहती है और जांच पड़ताल होती रहती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पुलिस की व्यवस्था में, काम करने की प्रणाली में, उनके संगठन में, हर चीज अब हमारी जो परिवर्तित लोकतंत्रात्मक समाजवादी नीति है, उसके अनुकूल उसे बनाना है और इसी कारण पुलिस कमीशन की स्थापना की है जिसकी ओर संकेत हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने अपने बजट के भाषण में किया था। हमने उसकी स्थापना की है और चाहते यह हैं कि इन प्रश्नों के ऊपर वह विचार

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

करे और हमको मार्ग प्रदर्शित करें। ये जो चीजें कही गयीं कि किस तरह से रिपोर्ट लिखी जाती है और किस तरह से प्रासीक्यूशन होता है, कैसे जांच पड़ताल होती है ये प्रासीक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों साइड्स ऐसी हैं मेन्टिनेन्स आफ ला एण्ड आर्डर की कि किस तरह से उन्हें बांटा जाय और एक दूसरे से दोनों सम्बन्धित भी रहें और कार्य भी अधिक सक्षमता और प्रभावकारी ढंग से हो इस बात को इस कमीशन को देखना होगा। यह भी हमको देखना होगा कि हमारा खर्चा कितना बढ़ जायगा। इस दृष्टिकोण से हम यह कमीशन स्थापित करने जा रहे हैं कि आपके सहयोग से और प्रयास से हमें सफलता मिलेगी, शान्ति और व्यवस्था के स्थापित करने में जितने संतोषजनक ढंग से आप और हम चाहते हैं---जिसमें आज अवश्य ही कमी है---उतने सन्तोषजनक ढंग से करने में हम समर्थ होंगे और वैसी ही हम आशा करते हैं।

एक प्रश्न आजमगढ़ के किसी पत्रकार के सम्बन्ध में उठाया गया। कई बार उसका उल्लेख किया गया। उसकी रिपोर्ट हमने मंगाई थी। समाचार-पत्रों में भी हमने उसकी चर्चा पढ़ी थी। जो रिपोर्ट आई उससे तो यह पता लगा कि इसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं हुई है, न इस तरह की कोई पिटाई हुई है, न पुलिस का आतंक जमाया गया है और बातें वहां थीं। उसके बाद हमने अपने यहां के असिस्टेंट डायरेक्टर को भी सूचना विभाग के वहां भेज रखा है। कई दिन से वे वहां हैं। उनसे कह रखा है कि वे इस बात की जांच करें और देखें कि इसमें मामला क्या है। अब मैं उसको देख रहा हूं कि उसकी कुछ रिपोर्ट आये तो उस विषय में कुछ कह सकूं।

एक सस्दय-- मऊ वाले मामले में क्या किया?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मऊ वाला मामला जनरल है। झारखंडे राय जी ने उसकी बाबत कह दिया है। लहरपुर वाला मामला अवश्य हमारे सामने है। मुबारकपुर वाले मामले में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उस विषय पर विवाद भी हो चुका है। लहरपुर के मामले का यहां उल्लेख किया गया। उस पर इंवेस्टिगेशन हो रहा है। अवश्य ही वहां गोली चली और हमारे पास जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि रात भर ताजिये रुके रहे। ३ ताजिये एक साथ आ रहे थे। हर साल वह एक के बाद दूसरा निकलता था। लेकिन इस साल वे यह चाहते थे कि एक साथ निकाले जायं। रास्ते में पेड़ पड़ता था। अधिकारियों ने कहा कि पुराना जो रिवाज था उसी के अनुसार ताजिये निकाले जायं। रात भर पड़े रहे। दूसरे दिन पेड़ काट डाले। फिर भीतर टाउन में घुसे। जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक मन्दिर था, एक मस्जिद थी और एक पीपल का पेड़ था। इस बात पर आग्रह हुआ कि इस पीपल के पेड़ को काट डाला जाय। दूसरी ओर के लोगों ने कहा कि नहीं काटने देंगे। कुछ लोगों ने पीपल का पेड़ काट डाला। ऐसा लगा कि स्थिति बिगड़ी तो अन लाफुल असेम्बली डिक्लेयर की गयी। उन्हें रोकने की कोशिश की गयी। इस पर ढेले चलाये गये। यह भय हुआ कि दोनों वर्गों में संघर्ष हो जायगा तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी। यह स्थिति थी और यह रिपोर्ट हमारे सामने है। ए० डी० एम० के जरिये अब जांच हो रही है और मैं समझता हूं कि शीघ्र ही जांच की रिपोर्ट हमारे सामने आ जायगी। यह वाकया है जिसकी जांच हमने अपने कमिश्नर से करा ली और यह रिपोर्ट वहां के स्थानीय अधिकारियों से आई है। अब बाकायदा उसकी जांच ए० डी० एम० के जरिये हो रही है। श्रीमन्, दो मिनट में और चाहता हूं। सदन में कुछ चर्चा हमारे भाई राजनारायण जी ने मेरे सम्बन्ध में की। मैं समझता यह हूं कि उसकी सफाई देने का मौका मेरे पास यहां नहीं है, इस समय वक्त भी नहीं है और ऐसा भी समझता हूं कि कदाचित् उससे कोई लाभ भी विशेष नहीं होगा। इसलिये नहीं होगा कि इस सदन में वाणी की स्वतंत्रता है, चाहे जो किसी को कहा जा सकता है। किसी एक व्यक्ति को उसके मुंह पर कह दें कि तुम चोर हो और उसके बाद आप कहें कि तुम सफाई दो कि चोर नहीं, साह हो तो फिर उसके लिये एक बड़ी परेशानी और एम्बेंसमेंट की बात हो जाती है। कई बातें तो ऐसी हैं जिनका फैसला यथास्थान होगा। उन्होंने

चेयर होल्डर होने की कोई बात उठाई है। मैं अवश्य चाहता हूं, चाहे स्पीकर की जो कुछ भी रूलिंग हो, चाहे उनके द्वारा हो या जो हमारे राजनारायण जी हैं उनके द्वारा हो कि जो उसका अधिकारी है उसके पास तक बात जाय। अगर अनहंता है कोई तो उसका फैसला होगा, हम हटाये जायंगे और अगर यह एक ऐसा आक्षेप है जो निराधार है तो फिर उसका जो वैधानिक तरीका है, वह होगा।

दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार वाणी स्वातंत्र्य का दुरुपयोग होता है। ऐसी बहुत-सी बातों को ले करके कि जो निराधार हों इस ढंग से कह दिया जाय और एक ऐसा वायुमंडल उपस्थित कर दिया जाय कि किसी के मुंह पर एक प्रकार का कीचड़ लगा दे इससे उस वाणी स्वातंत्र्य का दुरुपयोग होता है। मिर्जापुर में कोई मेरे सम्बन्धी हैं। मैं जानता नहीं, इसी प्रदेश का रहने वाला हूं, बहुत से हमारे सम्बन्धी हैं। कोई सम्बन्धी हैं जिनकी १५ हजार की जमीन हमने ८० हजार में बिकवा दी। मैंने आखिर उनकी जमीन बिकवाने का कौन सा काम किया। यह आक्षेप लगाया गया कि तुम्हारा मकान है उसका असेसमेंट किया गया है। हमारे कई घर हैं। एक मकान है जिसमें हमारे घर के कई लोग रहते हैं, पूरा परिवार रहता है। अब उसका असेंसमेंट कैसे कम हो गया, उसमें मेरा क्या हाथ था। उचित हुआ या अनुचित हुआ। असेंसमेंट कम कर दिया, भ्रष्टाचार है, अब मैं इसका क्या जवाब दूं। अभी इसके पहले एक बार बोलते हुये कह दिया था कि तुम्हारे एक साढ़ू हैं जिनको तुमने म्युनिसिपल बोर्ड, वाराणसी में नियुक्त कर दिया। मेरा कोई साढ़ू नहीं है। एक साहब हैं जो हमारे भाई के साढ़ू हैं। उनको नियुक्त कराने के लिये कम से कम तीन बार राजनारायण जी ने स्वयं मुझे टेलीफोन किया कि विचित्र भाई से कहो, यह तो बड़ा अन्याय होगा और यहां खड़े होकर कह दिया कि तुम्हारे एक साढ़ू हैं जिनको तुमने नियुक्त कराया। कहा गया कि कोआपरेटिव फेडरेशन का ५ हजार रुपया हमारे ऊपर बाकी है। अरे बाकी है तो क्या कोई चोरी कर ली ? हमारे ऊपर तो बहुत सा कर्जा बाकी है। घर है, मकान है, परिवार है, लोगों ने ईंटा मंगाया होगा उसकी कुछ कीमत दी है, कुछ बाकी है। यह तो नहीं हुआ कि ५ हजार की रकम छोड़ दी गई हो। कहा गया कि १२ वर्ष से एक आदमी उसका चेयरमैन है जो पंडित कमलापति त्रिपाठी का लाड़ला है। अरे, जो हमारा लाड़ला है वह उनका भी नेता है, उनको वह शास्त्री जी, शास्त्री जी कहते हैं। अब वह हमारा मित्र है क्योंकि सन् १९२०-२१ से सन् ४५ तक बराबर कांग्रेस आन्दोलन में वह रहे। ४० वर्ष से हमारा मित्र है। वह चोरी कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर। मैं क्या जवाब दूं, मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यथास्थान इन बातों का उत्तर होगा और जैसा राजनारायण जी उचित समझेंगे वैसा करेंगे। ऐसा समझता हूं कि वाणी के स्वातंत्र्य का दुरुपयोग और सदन की गरिमा का नाश और किसी भी व्यक्ति की इज्जत और सम्मान को इस तरह से भ्रष्ट करने की चेष्टा यह कदाचित किसी बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिये शोभा की बात नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मुझ जैसे चपरासी तक आ गया है। मैं उसका क्या जवाब दूं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं कुछ सफाई देना चाहता हूं।

श्रीमन्, माननीय कमलापति जी त्रिपाठी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हमसे सम्बन्धित हैं इसलिए मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। उन्होंने अनावश्यक ढंग से यह कोशिश की कि अपनी चीज को हमारे मुंह में रख दिया . . .

श्री उपाध्यक्ष--यह आपका कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है।

श्री राजनारायण--मैंने यह कहा कि २३-११-५२ को श्री कमलापति जी को शेयर्स एलाट हुये और उन्होंने खरीदे हैं। उन्होंने यह कहा कि मैंने यह कहा कि ऋषिनारायण चोर हैं। मैंने यह कभी नहीं कहा। मैंने यह भी नहीं कहा कि कम्पनी उनकी प्रापर्टी है,

[श्री राजनारायण]

बल्कि मैंने यह कहा कि दूसरों के शेयर्स उनसे कम हैं और उनका परिवार ही सब कन्ट्रोल करता है। मैंने यह कहा कि माननीय कमलापति जी के लड़के हैं वह इसके डायरेक्टर हैं तो क्यों उस कम्पनी को ठेका मिला है? मैं उनको आश्वासन दिलाता हूं कि उनके प्रति मेरे दिल में कोई राग द्वेष नहीं है। अगर कुछ है तो वह करप्शन के लिए है।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया बैठें।

श्री राजनारायण---अगर उनके साढ़ू अच्छे हैं तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। यह साबित करता है कि मैं निष्पक्ष हूं।

*श्री अवधश प्रताप सिंह---मान्यवर, इस वाद-विवाद के सम्बन्ध में जो माननीय मन्त्री जी ने कहा है मैं उस से सहमत हूं। और कुछ उसमें भ्रम हुआ है जैसा कि बजट डिबेट में होता है। हम इस तरह से बहकते नहीं हैं और मैं आशा करता हूं कि उनको यह शिकायत मेरे बोलने के बाद नहीं रहेगी। मान्यवर, यह निस्सन्देह है, निर्विवाद है कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि की उन्नति के लिए यहां प्रयास होता आया है, हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। इसकी सफलता पर हमारा भविष्य भी आधारित है और वह उज्जवल हो सकता है, लेकिन श्रीमन्, हम कल्याणकारी राज्य का स्वप्न देख रहे हैं और समाज-वाद की रचना में दौड़ मच रही है इस भारतवर्ष में।

(इस समय ३ बज कर २८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

महामान्य राज्यपाल के भाषण में सीलिंग के सम्बन्ध में संकेत किया गया है कि एक विधेयक यहां प्रस्तुत किया जायगा। मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि जहां पर समाजवाद की मांग है वहां श्रीमन्, समाजवाद अनेक प्रकार का है। एक समाजवादी नीति विरोधी दल के नेता की है जो अत्यन्त सुन्दर और ललित है और एक हमारी सोशलिस्ट पार्टी की है जो उसको विशुद्ध कहती है और उसका केवल उनकी पार्टी ही प्रतिनिधित्व करने का साहस रखती है। इसमें यह बुद्धिमानी है, इसमें यह गुण है। और दूसरी तरफ हमारे झारखंडे राय जी का भयानक समाजवाद का स्वरूप हमारे सामने रहा है। उन्होंने कांग्रेस को समझाने का प्रयास किया है कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी क्या है। बहुत से लोगों की समझ में नहीं आया वरना अलग बैठने की क्या जरूरत थी। बल्कि एक समय था जब कि वह साथ थे और आज भी साथ हो जाना चाहिए था। जो सीलिंग पोलैन्ड में है और कम्युनिस्ट राज्यों के अन्तर्गत है और आज चीन में ही नहीं बल्कि ऐसे स्थानों पर जहां साम्यवाद का बोलबाला है उस जगह के लिए जानना चाहता हूं कि वहां यह सफलीभूत क्यों नहीं हुआ? जहां तक नेता विरोधी दल का प्रश्न है, मैं कुछ न कुछ कह कर साम्यवाद की बात पूछना चाहता हूं।

कभी केरल की आवाज है कभी चायना की आवाज है। मैं आज अपने मुख्य मन्त्री को बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो लेकिन वह भगवान नहीं है। जब कि माननीय प्रधान मन्त्री महोदय इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि सीलिंग से ऐग्रीकलचरल इन्कम पर कोई नियन्त्रण नहीं किया जा रहाहै, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उस खेत में मोती पैदा की जायगी, क्या स्वर्ण की खान निकाली जायगी, क्या चांदी पैदा होगी? केवल इस वजह से कि चूंकि माननीय पंडित जवाहरलाल जी कहते हैं अतः हमें अंध विश्वास कर लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह भारत या हमारे प्रदेश के लिए उत्तम चीज नहीं है। आज ख्रुश्चेव को स्टैलिन के खिलाफ यही शिकायत है। केवल इसलिए कि माननीय राजनारायण जी या माननीय झारखंडे राय को खुश करने के लिए आप साढ़े छः करोड़ जनता को हलाल कर दें, यह अत्यन्त अनुचित है। मैं समझता हूं कि वह केवल पार्टियों के प्रति ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि उनकी जनता के प्रति भी जिम्मेदारी है (व्यवधान)।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह हो सकता है कि आप मुझसे सहमत न हों। जहां तक आप बोलते जायेंगे गृह मन्त्री की तरह मैं भी धूर बन गया हूं। आप की जो आदत है वह करते रहिये। मेरी वजादारी उन शब्दों में जवाब देने की नहीं है। जब कि आप का मुख्य उद्देश्य यह है कि पैदावार में वृद्धि हो तो जो मेकेनाइज्ड फार्म या सीरें हैं उन को तोड़ कर आप कोआपरेटिव फार्म्स बनाना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ एक मुल्क है, पंडित जवाहर लाल भी कहते हैं, उन्होंने कभी नाम तो लिया नहीं, लेकिन मैं कहता हूं, वह इजरायल है जहां पर कोआपरेटिव फार्म्स की सफलता हुई है। तो क्या मैं समझूं कि रिफ्युजीज से इसमें सफलता हो जायगी? तराई-भाबर और दूसरी जगहों में भी शरणार्थी आये वहां कौन-सी सफलता प्राप्त हो गयी? मुझे ट्रेजरी बेंचेज से बताया जाय कि कौन-सा दूसरा मुल्क है जहां पर कोआपरेटिव फार्मिंग से सफलता प्राप्त हुई है? रूस में कलेक्टिव फार्मिंग से पैदावार घटी है। ख्रुश्चेव साहब भी यही कहते हैं कि कलेक्टिव फार्मिंग में काश्तकारों का इंसेंटिव बाकी नहीं रहता। चायना में भी वह चीज सफल नहीं हुई। पी० एस० पी० के माननीय सदस्य कहते हैं कि जो खेती न करे उसका खेत ले लें। जरूर ले लीजिये। जो खेती बो कर पैदा नहीं कर सकता क्या वह लार्ज होल्डिंग टैक्स के रेट्स दे सकता है? वह अपनी जगह पर विवश हो जायगा कि उसे बेच दे। अगर आज कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कलेक्टिव फार्मिंग हो तब भी मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन सीलिंग का नारा जो लगाया जाता है उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। चकबन्दी पर मेरे बहुत से दोस्त कहा करते थे लेकिन मैं जानता था कि माननीय चरणसिंह जी की अदम मौजूदगी में कुछ भी कहना बेकार है, इसलिए मैं ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब दूसरी तरफ आप कोआपरेटिव फार्मिंग की बात सोच रहे हों तो क्या आफत है, कहां पर भुखमरी है, कौन-सा आसमान आप पर गिर रहा है जो कि आप चकबन्दी को कुछ दिनों के लिए रोक नहीं सकते हैं? यह थोड़ी-सी दुख की बात जरूर है हालांकि डाक्टर सम्पूर्णानन्द जब कि मुख्य मन्त्री हों तो मैं समझता हूं कि सेन्टर का कुछ अधिक कुप्रभाव नहीं पड़ सकता। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि अधिक हस्तक्षेप से हमारे प्रदेश में बहुत-सी चीजों में लोग विवश होकर आगे कदम उठा रहे हैं। समयाभाव है, आप मुझे दो तीन मिनट और दे दें। मैं वह कह रहा हूं जिसमें उनको आगे चल कर कुछ कहने की गुंजाइश हो।

अब तीसरी चीज मैं माननीय गृह मन्त्री जी से कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमने इस अवसर पर पुलिस कमीशन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहा। लेकिन महामान्य राज्यपाल के भाषण के बाद हम आप से यह आशा करते थे कि उस पर आप और अधिक प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। सर सीताराम की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट आयी आज तक न उसका कहीं जिक्र है न उसके बारे में कोई कदम सरकार की ओर से उठाया गया है। मैं यह चाहता हूं कि पुलिस कमीशन इस गहराई से सोच-विचार के साथ बनाया जाय और इस बुद्धिमानी से बनाया जाय कि हमेशा आप को जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की तरह हर तीसरे महीने सदन के सामने आकर खड़ा न होना पड़े। जो कानून बने वह कुछ दिनों के लिए स्थायी रहे।

श्रीमन्, लैन्ड रेवेन्यू के बारे में २ करोड़ की आमदनी की जा रही है, लीकेज है। श्रीमन्, आप से भी अगर कोई आपके मकान का दस साल का किराया एक साथ वसूल करने लगे या म्युनिसिपैलिटी दस साल का टैक्स एक साथ वसूल करे तो आप भी नहीं दे पायेंगे, कोई भी नहीं दे पायेगा। तो फिर उनकी दुर्दशा को देखते हुए जिनको कि खाना नहीं मिल रहा है, तन ढकने को कपड़ा नहीं है, वह इस को कैसे दे पायेंगे। इन शब्दों के साथ, चूंकि समय हो गया है और मैं समझता हूं कि अब बोलने को भी काफी हो गया है, मैं समाप्त करता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो चर्चा सदन में चल रही है मैं उसी के सम्बन्ध में कुछ अपनी बात कहना चाहता हूं। या तो राज्यपाल महोदय को राज्यपाल कहलाने में खुद कुछ शर्म लगती है, वह तो अपने को गवर्नर कहलाना चाहते हैं और गवर्नर ही कहते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह विषय सामने नहीं है। विषय पर बात कीजिये। श्री राज्यपाल के नाम का विषय नहीं है।

श्री वंशीधर शुक्ल—नाम से तो उन्होंने शुरू ही किया है। अपना नाम और अपने पिता का नाम और अपनी कौम का भी नाम शुरू शुरू में ही वर्णन किया है। इसलिए नाम लेना कोई गुनाह नहीं होना चाहिए और साथ-साथ उन्होंने अपने भाषण में ४६ बार तो यह कहा है कि मेरी सरकार ने यह किया, मेरी सरकार ने वह किया, मेरी सरकार यह करने वाली है, मेरी सरकार वह करने वाली है। तो सरकार तो उनकी हुई, जनता की सरकार नहीं है। उनकी सरकार है और यह बात तय है मगर वह गवर्नर महोदय सरकार के कुछ नहीं हैं। सरकार जो कुछ भी है नौकरों की है। नौकर जो कुछ करते हैं, जो कुछ कहते हैं उसी को पढ़ के सुना दिया। मन्त्रि-मण्डल जो कुछ भी योजना बनाना चाहता है उसको सुना दिया। उनकी कोई अपनी बात नहीं है। इतने बड़े पद वाले होकर घंटों यहां पर खड़े होकर सभा में जो लेक्चर दिया उसके लिए धन्यवाद जरूर है उनको। मगर उन्होंने जो कहा वह वही कहा जो कि सरकार ने कहलवाया, यों तो वह बड़े अच्छे आदमी हैं, यह मैंने सुना है। उन लोगों से जो लोग उनसे मिले हैं। मगर हमारे सूबे में क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं। आज यह कहा जाता है कि हमारी सरकार ने बड़ी भारी अच्छाई की। लेकिन वह अपने सदस्यों से ही जो कि सरकार के सदस्य हैं, हम लोग तो विरोधी हैं, उन्हीं से पता लगावें पूरे सूबे में हर रोज ५०० कत्ल होते हैं, ५० हजार चोरी और डकैती रोज होती हैं। इनको कोई रोक नहीं सकता। मैं इस बात को झूठ नहीं कहता। इसी के साथ आज देखने की बात यह है कि देश की दशा क्या है। क्या हो रही है, क्या होगी आज तो—

आज स्वभायन अपने घर से, एक कदम चलना मुश्किल।
मर्दों को जीना मुश्किल और मुर्दों को मरना मुश्किल॥
अपनी रोटी पैदा कर अपने घर में खाना मुश्किल।
अपने आप मकान बनाकर, अपना ही रहना मुश्किल॥
नित्य नयी मुश्किलें डालना, यही राज्य की कुड़रुम धूं।
इसीलिए दुनिया कहती है, इस स्वराज्य की कुकड़ूं कूं॥

यह सरकार की अच्छाई का एक छोटा नमूना है और आज जो मंहगाई का हाल है उसको भी बयान नहीं किया जा सकता :—एक उदाहरण है जो कन्ट्रोल के जमाने में था—

पचपन का धोती का जोड़ा, पचहत्तर का बिका कफन।
एक सेर का आटा बिकता, घी के हैं दुर्लभ दर्शन॥
दो रुपये की शकर सेर भर, तेइस की बोरिया सीमेंट।
तेल बिका दस आना बोतल, आहि आहि करता सरवेंट॥
यही हकूमत इनकी जिस की, फूंक सरकती है हर सूं।
इसीलिए जनता कहती है, कांग्रेस की कुकड़ूं कूं॥
यह इस समय की दशा है।

श्री अध्यक्ष—आप कविता न करें।

श्री वंशीधर शुक्ल—क्यों कविता तो की जा सकती है, गाया नहीं जा सकता है इन सब बातों के साथ-साथ में आप से और कुछ नहीं कहता। राज्यपाल महोदय की सरकार बनने से हमारे देश की क्या दशा हुई इसको भी देखिये।

[* * * * *]

[**] नोट—माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से उक्त अंश कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष---अब आपका समय समाप्त हो गया।

(डाक्टर सम्पूर्णानन्द को बोलने के लिए पुकारने पर)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे यह बताया गया था कि हर पार्टी के लोग बोलेंगे। परन्तु किसी वजह से हम जनसंघ वाले आपकी दृष्टि खींच नहीं पाये। किसी पार्टी के दो बोले किसी पार्टी के ३ बोले लेकिन हमारी पार्टी का एक भी नहीं बोला, बावजूद कहलाकर याद दिलाने के हम उपाध्यक्ष महोदय की, अधिष्ठाता और आपका ध्यान नहीं खींच सकें। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या तरीका है जिसकी वजह से लोग तो आप की आंख पकड़ लेते हैं मगर आप हम लोगों को भूल जाते हैं।

श्री अध्यक्ष---यह कोई वैधानिक प्रश्न नहीं है। आपकी तरफ नजर नहीं पड़ी होगी।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर भाषण करते हुए जिन मित्रों ने शासन के सम्बन्ध में गवर्नमेंट को सत्यपरामर्श दिया उनका मैं आभारी हूं। विधान सभाओं की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि प्रत्येक नेक सलाह देने वाले को भी आलोचक का ही रूप धारण करना पड़ता है, परन्तु रूप चाहे कुछ भी हो नेक सलाह की हम को बराबर अपेक्षा रहती है और मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार वह सब लोग जो कि प्रदेश की सुव्यवस्था में दिलचस्पी रखते हैं हम को परामर्श देते रहें और हमारी गलतियां हमको बतलाते रहें। क्योंकि जैसा मैं एक नहीं, अनेक बार कह चुका हूं, हम कभी इस बात का दावा नहीं करते कि शासन के काम में हम से भूलें नहीं होतीं। आलोचना से हम को शिकायत जब होती जब हमारा यह दावा होता कि जो कुछ करणीय था वह सब कुछ हम कर चुके। ऐसा हम नहीं कहते। जितने दोष हमारे काम में आलोचना करने वालों को मालूम होंगे उन से कहीं ज्यादा दोष अपने कामों में स्वयं हम को मालूम हैं। हम क्या करना चाहते थे, क्या करने का विचार रखते थे, किस उद्देश्य से, किस काम को हम ने अपने हाथ में लिया, उस में कितनी सफलता हुई, कितनी असफलता हुई, जो असफलता हुई उस के लिए कहां तक सरकारी अफसरान दोषी हैं, कहां तक खुद हमारा दोष है, हमारी अदूरदर्शिता का---दूर तक न देख सकने का, यह सब हम जानते हैं, इसलिए अगर हमारी गलती कोई बतलाता है तो हमको कोई बुरा नहीं मालूम होता। हां, यह जरूर है कि कोई-कोई आलोचना, कोई-कोई शिकायत ऐसी होती है कि उसमें सलाह का कोई अंश नहीं होता, परामर्श का कोई अंश नहीं होता। उस की बाबत मैं यही कह सकता हूं कि जो लोग इस तरह का भाषण करते हैं शायद खुद जब कभी ठंढे दिल से सोचते होंगे तो उन को दुख होता होगा कि अपने कर्त्तव्य का पालन उन्होंने नहीं किया और शासन को ठीक तरह से चलाने में मदद करने की कोशिश नहीं की। अस्तु।

जब मैं भाषणों का जिक्र करता हूं तो अगत्या मेरा ध्यान कुछ उन प्रयत्नों की ओर भी जाता है जिनके द्वारा कि सदन के वातावरण को कुछ हद तक अशोभनीय बनाया गया। मैं नहीं जानता कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में या इस प्रदेश के बाहर किसी अन्य सदन में ऐसी बातें हुई हैं या नहीं। जहां तक याद पड़ता है इस देश में तो शायद कहीं ऐसे दृश्य देखने में नहीं आये, ऐसी बातें सुनने को नहीं आयीं, अपनी-अपनी रुचि है। किसी का खयाल जरूर पालिटिक्स की बाबत ऐसा हो सकता है कि ऊंचे दरजे की राजनीति वही है जिसमें लोगों का व्यक्तित्व खींच कर लाया जाय। मैं यही आशा करता हूं कि हमारे अधिकांश सदस्य कभी भी, चाहे वह किसी भी दल और विचार के क्यों न हों, राजनीति की इस परिभाषा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमको एक दूसरे के राजनीतिक कामों की बाबत कहने की बहुत गुंजायश है, लेकिन व्यक्तित्व पर उतरना, क्या प्राचीन था और क्या आधुनिक, किसी जगह भी सभ्य समाज में अच्छा नहीं समझा जाता। इससे अधिक मैं और कुछ कहना नहीं चाहता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

जितनी बातों का यहां जिक्र हुआ उन सब का चर्चा करना मेरे लिये संभव भी नहीं है और उचित भी नहीं है। दो एक बातों का जिक्र करूंगा। उनमें कुछ तो ऐसी हैं कि विशेष हैं और एक आध को सामान्य कहना चाहिये। जैसे करप्शन की बात है। कोई भी डिबेट शुरू हो चाहे बजट की जनरल डिबेट हो राज्यपाल का सम्बोधन हो, इस किस्म की कोई भी चीज हो उस डिबेट में शुरू होने के पहले, महीनों पहले यह समझ लिया जा सकता है कि इस विषय पर कुछ न कुछ जरूर कहा जायगा और कोई नयी बात नहीं कहने को। हम लोग तो तपस्वी लोग हैं अपने दोषों की सार्वजनिक रूप से चर्चा करके कुछ माजंन कर लेना शायद अच्छा समझते हैं। अंग्रेज लोगों का यह दावा है कि उनके समाज में सत्य का बड़ा ऊंचा स्थान है, सत्य उनके यहां बड़ी ऊंची चीज है। किसी अंग्रेज को लायर, झूठा कह देना शायद सबसे बड़ी गाली है। हमको इस बात पर नाज है कि हम झूठे लोग है बेईमान लोग हैं। अगर अंग्रेज इस बात को दावे के साथ कहता है, डंके की चोट पर कहता है ताकि सारी दुनिया में, विदेशों में लोग सुनें कि अंग्रेज सच्चा है तो हम क्यों न कहें कि हम झूठे हैं। यही हमारी शान है, यही हमारी शोभा है। जब यह एक वजेदारी की बात हो गयी और हमेशा यह कहना ही है तो उसके सम्बन्ध में और कुछ कहना मुश्किल है और जरूरी नहीं है।

जहां तक गवर्नमेन्ट की बात है इस बात को भी अनेक बार कहा जा चुका है, उन बातों का जिक्र अनेक बार किया जा चुका है, उन कार्यवाहियों की चर्चा हो चुकी है जिनको गवर्नमेन्ट समय-समय पर करती रही है ताकि यदि भ्रष्टाचार है तो उस भ्रष्टाचार की रोक-थाम हो सके। उन बातों को माननीय सदस्य जानते हैं दोहरा के उनकी चर्चा करके सदन का समय नष्ट करना नहीं चाहता हूं।

अभी हाल ही में सबसे पीछे की बात जिसका कि जिक्र राज्यपाल के सम्बोधन में भी है, यह हुई कि हमने कमेटी बनायी जिसमें हाईकोर्ट के एक जज ह, जिसमें एक एसे लोग हैं जो जिले के शासन से सम्बन्ध रखते हैं। कुछ पब्लिक वर्कर्स हैं ताकि वह हमको बतलावें कि किस तरीके पर भ्रष्टाचार दूर हो और इस कमेटी के बैठाने की भूमिका स्वरूप एक चीज है जिसका माननीय सदस्यों को ज्ञान होगा फिर भी दोहराता हूं। यहां जो वकीलों की असोसिएशन है उत्तर प्रदेश की उसने यह कहा कि हम वकील लोग जानते हैं कि अदालतों में भ्रष्टाचार कैसे होता है। गवर्नमेन्ट अगर भ्रष्टाचार बन्द करना चाहती है तो हमसे सलाह ले हम बतलायेंगे कि अदालतों का भ्रष्टाचार कैसे बन्द हो सकता है। हमने उनके सुझाव का स्वागत किया और इस कमेटी में वकीलों की जो असोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं उसके साथ एक दो सदस्य हैं ताकि उनसे हमको मदद मिले। यह बात बिलकुल सही है कि अदालतों में जो भ्रष्टाचार होता है उसकी जानकारी जरूर वकीलों को होती है। तो यदि वह लोग खुद इस बात में दिलचस्पी लें, इस बात में मदद करें कि भ्रष्टाचार बन्द किया जाय तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उसको बन्द करने में बहुत कुछ मदद मिल सकती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। इन कामों की तरफ हमने कदम बढ़ाया है।

जहां तक मुझको याद पड़ता है माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने शायद अपने भाषण में यह कहा था कि एग्जिक्यूटिव और जुडीशियरी को यदि पृथक् कर दिया जाय तो भ्रष्टाचार बन्द हो सकता है अन्यथा बन्द होना मुश्किल है ——अगर मैं गलती नहीं करता हूं . . .

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)——पहले कहा था बजट सेशन में।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——अच्छी बात बार-बार कही जा सकती है, जितनी दफा कही जाय अच्छा ही है। तो आप देखें कि जो पुलिस कमीशन बैठाया जा रहा है जिसका कि जिक्र हुआ उसके नियुक्त करने में भी जहां और बातों का खयाल है इस चीज का भी खयाल है यानी कि पुलिस का शासन कैसे हो, डिसिप्लिन कैसा हो और क्या-क्या बातें होनी चाहियें

पुलिस के सम्बन्ध में। लेकिन एक चीज और हमारे सामने कुछ दिनों से है। शायद भ्रष्टाचार के सिलसिले में इस वजह से कुछ विरोध होता है कि आज पुलिस में प्राजीक्यूशन और इन्वेस्टीगेशन या यूं कहिये एग्जीक्यूशन का काम करीब-करीब एक ही जगह है। कुछ खास-खास जुर्म हैं जिनका इन्वेस्टीगेशन सी० आई० डी० करती है लेकिन साधारणतया सब एक जगह हुआ करता है। तो यह चीज हमारे सामने रही है। हम भी सोचते हैं कि इन्वेस्टीगेशन और प्राजीक्यूशन इन दोनों कामों को अलग-अलग किया जाय और इस कमीशन से हम यह सलाह मांग रहे हैं कि किस तरह से इसको पृथक्-पृथक् कर दें। एक्जीक्यूटिव फोर्स तो रहेगी ही गिरफ्तार करना है, पकड़-धकड़ करनी है उसके लिये, लेकिन प्राजीक्यूट करना और उसकी जांच करना इसको अगर अलग किया जा सके तो मैं समझता हूं कि सुधार हो सकेगा। और पुलिस के हाथों से जो भ्रष्टाचार हो सकता है उसमें कमी हो सके और मैं आशा करता हूं कि कमीशन से हमें ऐसी सलाह मिल सकेगी जिससे हम इस काम को कर सकें।

दूसरी चीज जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करना है इस चीज को सिद्धान्त के रूप में सभी मान चुके हैं। कांस्टीट्यूशन में उसकी चर्चा है। यदि हम उसको नहीं कर सके हैं तो उसका एक बड़ा भारी कारण यह है कि खर्चा बहुत पड़ता है और इस समय जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं जबकि एक-एक पैसे की जरूरत है डेवलपमेन्ट विकास के कामों के लिये ऐसी हालत में बहुत दिक्कत मालूम होती है कि सारे प्रदेश में कम्प्लीट पृथकीकरण जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव का कर सकें सिद्धान्त के रूप में मानते हुये भी हालांकि धीरे-धीरे कुछ जिलों में बढ़ाते जाते हैं। इस सम्बन्ध में एक बात का जरूर सन्देह होता है जब यह सुनने को मिलता है कि अंग्रेजी शासन के जमाने में पहले कम भ्रष्टाचार था और अब ज्यादा है और मैं यह समझने लगता हूं कि उन दोस्तों को तभी संतोष होगा जबकि यहां पर विदेशी शासन कायम कर दिया जाय लेकिन वह तो हम नहीं कर सकते भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये अन्यथा उसको छोड़कर जितना सम्भव है हम जरूर चाहते हैं कि यह चीज दूर की जाय। जो संभव उपाय हैं साधनों को देखते हुये उन सब बातों को करने के लिये हम तैयार है। और मैं आशा करता हूं कि इस किस्म की सलाह हमको मिलती रहेगी।

इसके अलावा माननीय पालीवाल जी इस समय नहीं हैं उन्होंने ग्राम राज्य के सम्बन्ध में सलाह दी थी कि सच्ची प्रगति तब ही होगी जब कि प्रदेश में ग्राम राज्य कायम होगा, यह बात बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। अपनी जगह के माने यह हैं कि कुछ लिमिटेशन्स के भीतर कुछ सीमाओं के भीतर। खैर जो कुछ काम हम कर रहे हैं पंचायतों के कायम करने का, अदालती पंचायतों के कायम करने का यह सब जो कुछ भी है उसी दिशा में जाता है जिसमें ग्राम राज्य की बात कही जा सकती है लेकिन एक बात का खयाल रखना चाहिये कि यदि ग्राम राज्य से मतलब है विलेज रिपब्लिक्स कायम करने का तो उस चीज के दिन अब चले गये। आज से कई सौ वर्ष पहले जिस माने में कि विलेज रिपब्लिक्स थी कि प्रत्येक गांव आइसोलेटेड थे एक दूसरे से वह आज सम्भव नहीं है, इतना हमको समझ लेना चाहिये। आज देश की और समाज की सूरत बदल गई है, आर्थिक ढांचा बदल गया है, आज गांव का आदमी शहर की चीजों पर, शहर की बहुत-सी बातों पर जिस तरह से निर्भर करते हैं और जिस तरह से शहर के आदमी गांव की चीजों पर निर्भर करते हैं उसको देखते हुये उस तरह का सेपरेशन नहीं हो सकता, शहर और गांव में, आज उस माने में विलेज रिपब्लिक्स नहीं कायम की जा सकती। दूसरी तरफ खयाल जाता है तो माननीय सदस्य ने देखा होगा कि रूस में यह सोचा जा रहा है कि शहर और गांव, इसका भेद ही मिटा दें। वे ऐसे नगर स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिनमें एग्रीकल्चर का प्राधान्य हो और उसके साथ ही साथ इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि शहरों में पेड़ पौधे, फूल पत्ती और हार्टिकल्चर, इस किस्म की चीजों को लावें,

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

ताकि शहर और देहात के बीच का भेद दूर हो। शहरों में वे बातें हो जायं जो देहातों में होती हैं और देहातों में ऐसी चीजें लाई जायं जो शहरों में हैं। यह बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन जिस माने में ग्राम राज्य की बात कही जाती है या जैसा बहुत सालों पहले था, वह तो आज के जमाने में संभव नहीं मालूम होता है। जरूरत है हमको इस बात की कि हम तरक्की करें, लोगों के व्यक्तित्व को विकसित करें, लोगों की शिक्षा तथा उनके स्वास्थ्य की ओर हम ध्यान दें। अगर आप देंगे तो आपको मालूम होगा कि पिछले १०-५ वर्षों में जितने स्कूल खुले हैं, जितने हाई स्कूल खुले हैं, जितने इन्टरमीडियेट कालेज खुले हैं, डिग्री कालेज खुले हैं, उनको अगर आप देखें तो उनमें से एक बड़ी भारी संख्या देहात में खोली गयी है, बहुत से अस्पताल देहात में खुले हैं। हम यह नहीं कहते कि देहात के लोगों को जितनी शिक्षा की आवश्यकता है, जितनी दवाइयों की आवश्यकता है, उन सब का हमने प्रबंध कर लिया है, उस सब को हमने पूरा किया है लेकिन आज जरा इस बात को देखें कि हम किस तरफ बढ़े हैं, इन बातों की तरफ यदि ध्यान दिया जाय तो आपको मालूम होगा कि जहां तक ग्राम राज्य संभव है, व्यावहारिक है, उसको हम मानते हैं और स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं।

कई लोगों ने रिहन्द की बिजली और एल्यूम्युनियम कारखाने की चर्चा की। मेरा ऐसा खयाल है कि यह चर्चा पूरी जानकारी न होने के कारण हुई है अन्यथा जो भी लोग इस प्रश्न पर निष्पक्षता से विचार करेंगे वह स्वीकार करेंगे कि हमने पूरे तौर से प्रदेश के हितों की रक्षा की है। जो कुछ हमने किया है वह प्रदेश के हित में ही किया है। एक बात अवश्य इस संबंध में मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि ऐसे लफ्ज का व्यवहार किया जाता है जैसे कैपेटिलिस्ट या उद्योगपति और उसके साथ ही हमारे दिमाग में एक मूर्ति चाहे वह बिरला की हो या और किसी की हो खड़ी हो जाती है और वह हमारे लिये असह्य हो जाता है। इसलिये अगर हम ऐसे मौकों पर उद्योगपति शब्द का व्यवहार न करके उद्योग शब्द का व्यवहार करें तो उस वक्त हमारे सामने जो तस्वीर बनेगी वह एक अच्छी और सही बनेगी और उस तस्वीर के रहते हुए हम निष्पक्ष रूप से सोच और विचार कर सकते हैं। अगर हम किसी उद्योगपति को कोई सुविधा देते हैं तो वह उसका क्या करेगा? जाहिर है कि वह उसको खायेगा नहीं, ओढ़ेगा, बिछायेगा नहीं। बैंक में उसको जमा नहीं कर सकता। उससे तो उस इंडस्टी का लाभ ही होगा और जब उस इंडस्ट्री को फायदा होगा तो यहां के लोगों को भी उससे फायदा होगा। यह बात भी साफ है कि इंडस्ट्री को खोलकर वह कोई धर्मशाला या खैरातखाना तो खोल नहीं रहा है, वह तो मुनाफे के लिये ही सब कुछ करता है और जब तक हमारे यहां प्राइवेट सेक्टर रहेगा वहां पर इन्डस्ट्रियलिस्ट को फायदा होगा ही, चाहे वह एल्यूम्युनियम का कारखाना हो या और किसी चीज का कारखाना हो। इन्डस्ट्री से किसी न किसी को फायदा होता ही है। यादवेन्द्रदत्त दुबे जी ने कल एक चीज का ज़िक्र किया कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में जो बड़े-बड़े कारखाने हैं उसकी बहुत-सी छोटी-छोटी चीजों को लोग अपने घरों पर बनाते हैं। मैं नहीं जानता कि आपको आश्चर्य हुआ या नहीं लेकिन इसमें आश्चर्य जरा भी नहीं है। फोर्ड के कारखाने की ऐसी चीजें जो बड़ी मशीनों में बनती हैं वही सिर्फ बड़े कारखाने में बनती हैं। लेकिन उसके अलावा एक दो नहीं हजारों ऐसे कारखाने हैं जहां छोटे छोटे पुर्जे बनाये जाते हैं लेकिन उनका एसेम्बलेज उस बड़े कारखाने में होता है जो फोर्ड के नाम से मशहूर है। अगर आप स्वीट्जर लैन्ड की घड़ियों को ही देखें जो स्वीस वाच के नाम से सारी दुनिया में मशहूर है वे एक दो घरों में ही नहीं बल्कि घर-घर बनायी जाती हैं। उनके छोटे-छोटे पुर्जे तो घर-घर में बनाये जाते हैं लेकिन उन सारी चीजों का एसेम्बलेज बड़े कारखानों में होता है। तो इसमें कोई सन्देह नहीं है लेकिन सोचने की बात यह है कि जब कोई बड़ा कारखाना होगा तभी तो उसके चारों ओर छोटे-छोटे कारखाने बनेंगे और छोटी-छोटी चीजों

को बनायेंगे जिनका एसेम्बलेज बड़े-बड़े कारखानों में होगा । यदि आप चाहते हैं कि हमारे यहां छोटे-छोटे कारखाने हों और उसके अन्दर हजारों को रोजी मिले तो उसके लिये आवश्यक है कि हमारे यहां कोई बड़ा कारखाना भी इस तरह का हो । अगर इंजीनियरिंग का कोई कारखाना हो तो उसके चारों तरफ बहुत से छोटे-छोटे कारखाने पनप सकते हैं और वहां छोटी-छोटी बहुत-सी चीजें बनायी जा सकती हैं । कुछ कारखाने ऐसे हैं जिनके चारों तरफ कोई नया रोजगार नहीं पनप सकता है, जैसे टैक्सटाइल की इंडस्ट्री है उसके चारों तरफ छोटे-छोटे कारखाने बनाने की कोई गुंजायश नहीं है । इसी तरह से शुगर के कारखानों के चारों तरफ भी हम कोई नये रोजगार के कारखाने नहीं खोल सकते हैं । लेकिन अगर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जैसी कोई चीज हमारे यहां हो जाय तो सचमुच जिसअमेरिका का दृश्य दुबे जी ने खींचा वह कुछ हद तक यहां भी देखने को मिल सकता है ।

अब यह कि हमने एकाएक किसी पूंजीपति को रिहन्द डाम की बिजली दे दी और उसके बारे में पहले से कोई चर्चा ही नहीं था, ऐसी बात नहीं है । मैं आपको इसका थोड़ा-सा इतिहास बतला देना चाहता हूं । जब १९५४ में रिहन्द डाम को चलाने की बात हुई तो यह मालूम हुआ कि भारत सरकार जो हमको कर्ज के रूप में रुपया देती है, उसने कहा कि वर्ल्ड बैंक केवल ट्यूबवेल आदि के लिये यानी केवल कृषि के इस्तेमाल के लिये ही बिजली होने पर उसे रुपया देने को तैयार नहीं है जब तक कि किसी खास इंडस्ट्री के लिये उस बिजली का इस्तेमाल न हो । फिर भारत सरकार ने जिस शर्त पर वर्ल्ड बैंक से रिहन्द डाम के लिये रुपया लिया वह यह है:—

"A large block of power will be utilized for pumping water for approximately 4000 tubewells for irrigation purposes which are presently either under construction or proposed to be constructed in the districts of Faizabad, Gonda, Basti, Gorakhpur, Deoria, Ballia, Ghazipur, Varanasi, Azamgarh, Jaunpur, Sultanpur, Allahabad and Partapgarh, covering an area of about 25,300 sq. miles. These tubewells will irrigate 16 lakh acres annually on the average in years of drought when water requirements are most urgent.

Another large block of power will be utilized for electro- chemical, Metallurgical and other basic industries such as manufacture of cement, chemical fertilizers, alluminium, procelain, papers and other projects for which raw materials exists in abundance within the close range of the dam site."

१९५४ में भारत सरकार से वर्ल्ड बैंक का यह समझौता हुआ कि रिहन्द डाम की बिजली का एक खासा हिस्सा किसी इंडस्ट्रीज में खर्च करना होगा । फिर वहां अल्मुनियम फैक्टरी बनाने की बात सोची गयी । फिर सन् ५६ में भारत सरकार अल्मुनियम इंडस्ट्री के सम्बन्ध में एक कमेटी बैठायी इस बात की जांच के लिये कि कहां-कहां अल्मुनियम के कारखाने कायम किये जा सकते हैं । उस कमेटी ने रिहन्द के पास भी दौरा किया और उत्तर प्रदेश में वहां पर इसको कायम करने की सिफारिश की । उस कमेटी की रिपोर्ट सितम्बर ५६ में निकली । कमेटी ने राय दी कि एक कारखाना इस तरह का मद्रास के पास सेलम में जहां श्री राजगोपालाचारी जी रहते हैं वहां खोला जा सकता है और दूसरा रेहान्ड के पास खोला जा सकता है । उन्होंने सेलम का पहला नम्बर रखा था, क्योंकि वहां बिजली तैयार थी यह दो जगह उन्होंने तजवीज की जहां अल्मुनियम का कारखाना खोला जा सकता है । उस समय श्री चन्द्रभानु गुप्त यहाँ उद्योग मंत्री थे । उन्होंने इस विषय पर विचार किया और एक कमेटी पावर व उद्योग विभाग के लोगों की बनाई । उसी समय भारत सरकार ने पूछा इस सरकार से अगर हम यू० पी० में एक अल्मुनियम का कारखाना खोलने की बात सोचें तो क्या आप उसको बिजली दे सकते हैं ? सस्ती बिजली देने का सवाल था और उस वक्त केवल ५,००० टन

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

कारखाने को बिजली देने का सवाल था। श्री चन्द्रभानु गुप्त जी ने अपने यहां एक मीटिंग की और सब की राय के बाद यह तय किया कि हम यह चीज स्वीकार करना चाहिये और भारत सरकार को लिख कर भेज दिया कि हम बिजली दे सकते हैं अगर आप यू० पी० में कारखाना लगावें और उस वक्त वह नोट बहैसियत मुख्य मंत्री के मेरे पास भी आया। उस के बाद मामला रुका रहा क्योंकि भारत सरकार सेलम में चाहती थी, क्योंकि उस का नाम पहले था। उसके बाद सन् ५७ में श्री घनश्यामदास बिरला मैदान में आये और उनका इरादा हुआ कि हम इस रोजगार को अपने हाथ में लें। उन्होंने भारत सरकार को लाइसेन्स के लिये लिखा। भारत सरकार ने उनकी बात को मंजूर किया उन्होंने कहा कि कारखाना खोला जायगा लेकिन ५,००० टन का तो छोटा होगा इसलिये कि वह अनएकनामिक होगा वह अमरीकन फर्म के साझे में खोलना चाहते थे और १०,००० टन का ठीक होगा, उसकी इजाजत बिरला जी को दी गई, लेकिन फिर सवाल हुआ कि अगर हमें मंजूर है तो क्या हम १०,००० टन के कारखाने को भी बिजली सस्ते रेट पर दे सकेंगे या नहीं। उसकी बुनियाद सन् ५४ में पड़ चुकी थी और ५,००० टन के कारखाने के लिये सन् ५६ में ही श्रीगणेश हो चुका था। सवाल हो सकता है कि अल्मुनियम का कारखाना इतना महत्वपूर्ण क्यों समझा गया और किसी चीज का भी हो सकता था लेकिन मैं सदन में बार-बार कह चुका हूं कि हम भारत सरकार से बार-बार लड़ते हैं कि हमारे प्रदेश को बड़े कारखाने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्खिन कहीं पर भी दिये जायं हम उन्हें लगाने के लिये तैयार हैं कोई भी चीज का कारखाना होता हम लगाने के लिये कहते। लेकिन अल्मुनियम के कारखाने की एक विशेषता है। इस वक्त हमारे देश में करीब ३०,००० टन अल्मुनियन की खपत है जिस में से केवल साढ़े ७ हजार टन हमारे देश में निकलता है, जिसमें से ५,००० टन तो केरल में निकलता है और ढाई हजार टन बंगाल के एक स्थान में निकलता है। बाकी २२ हजार टन की जरूरत बाहर से मंगा कर पूरी की जाती है। यद्यपि हमारे देश में बाक्साइड तो हैं लेकिन अब तक सूरत ऐसी थी कि वह बाहर से ही मंगाया जाता था। हीराकुंड क पास जो माल बनाने की इजाजत मिली है उसको मिलाकर अब १८,००० टन माल हमारे देश में ही तैयार होन लगेगा और केवल १२ हजार टन की कमी रहेगी हमारी आज की आवश्यकता के अनुसार, यानी अगर खर्च नहीं बढ़ा तो। अगर हम ने अपने यहां यह १० हजार टन का कारखाना खुलवा दिया तो केवल २,००० टन की ही कमी रह जायगी। हमारे देश में कुल सामान आता है ३०,००० टन और जो बना हुआ सामान अल्मूनियम का आता है उसका रेट है ४,००० रुपया टन। अब तक २२,००० टन बाहर से आता है, अगर हीराकुंड के पास वाला कारखाना खुल भी गया तो भी १०–१२ हजार टन जो मंगाना पड़ेगा, उसमें कितना रुपया बाहर जायगा। अगर उत्तर प्रदेश में १० हजार टन का कारखाना खुल जाता है तो विदेश में जो रुपया जाता है उसकी बचत होती है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कितना फायदा होता है। हमारे आदमियों को रोजगार मिलेगा, मुख्य रोजगार और दूसरे रोजगार भी। इससे पता पड़ता है कि कितना फायदा है। अल्मुनियम बिजली के कामों में पड़ता है, बर्तन बनते हैं, फौज में बहुत काम में आता है, बस की बाडी बनती है। अगर हमारे यहां १० हजार टन अल्मुनियम बनने लगता है तो इस किस्म का बहुत-सा सामान भी बनने लगेगा। अल्मुनियम की बहुत-सी चीजें भी बाहर से मंगानी पड़ती हैं, उन चीजों की बहुत रोक-थाम हो जाएगी। ऐसी दशा में अगर हमने अल्मुनियम के कारखाने को खोलने का निश्चय किया तो गलत किया या सही किया।

अब उत्तर प्रदेश के टैक्सपेयर का कोई नुक्सान हो गया हो, ऐसी बात नहीं है। टैक्स-पेयर का नुकसान उस वक्त होता जब कि जितने में हम बिजली पैदा करते हैं उससे कम में अगर हम किसी कारखाने वाले को देते, क्योंकि भारत सरकार ने बाहर से जो कर्जा लिया वह चुकाना

ही पड़ता, हमने भारत सरकार से जो कर्जा लिया वह चुकाना ही पड़ता। हम महंगी बिजली तैयार करते और सस्ती देते तो उसका नतीजा होता कि नुकसान हो जाता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है।

अल्मुनियम रोजगार एक खास किस्म का रोजगार है। अल्मुनियम के जहां तक एक्सट्रैक्शन की बात है, बिजली को रा-मैटीरियल में गिना जाता है। बाक्साइड में से जब अल्मुनियम को खींचा जाता है तो इतनी ज्यादा बिजली वह खाता है कि किसी और चीज में उतनी नहीं खर्च होती। बाक्साइड प्लस इलैक्ट्रिसिटी बराबर अल्मोनियम, यह फार्मूला है। भारत सरकार ने जो खत लिखा उसमें लिखा कि आप दाम मांगिये वह इस बात को समझकर मांगिए कि एक यूनिट बिजली पर एक पाई बढ़ती है तो अल्मूनियम के भाव में १२० रुपया प्रति टन भाव बढ़ता है। अब हमारे सामने दिक्कत थी। केरल सरकार ११३ रुपये पर किलोवाट बिजली देने को तैयार, हीराकुंड १३५ रुपये पर किलोवाट देने को तैयार। हमारे सामने बहुत दिक्कत थी। हम ११३ रुपये पर किलोवाट दे नहीं सकते थे और १३५ रुपये में भी किसी तरह से नहीं दे सकते थे। बहुत काट-छांट करने के बाद हमने देखा कि हमारा खर्च पड़ता है करीब १४८ रुपये के। हमने उनको १५० रुपया पर दी है। केवल एक्सट्रैक्सन के लिये। अगर कोई दूसरा कारखाना खोलें, कोई और चीज बनाने के लिये तो उसके लिये दूसरा कामर्शियल भाव होगा। कोई घर, मकान बनाते हैं तो उसके लिये भी कामर्शियल भाव होगा। बाक्साइड से अल्मूनियम खींचने के लिये हमने १५० रुपये के भाव में दी है जबकि हमें डेढ़ रुपये का फायदा होता है। अगर हम ऐसा न करते तो उन्हें हीरा कुंड या केरल में कारखाना खोलना पड़ता, वहां ढुलाई वगैरह ज्यादा पड़ती। उसे बचाने के लिये और उत्तर प्रदेश में इस कारखाने को लाने के लिये यह किया। लेकिन टैक्सपेयर की एक पाई का भी नुक्सान नहीं हुआ। हां, इतना कह सकते हैं कि इस काम के लिये टैक्सपेयर को इतना मुनाफा नहीं हुआ जितना किसी और हालत में होता।

हमने उनसे शर्त यह की है कि १५० रु० पर किलोवाट के हिसाब से देंगे आठ वर्ष के लिये। आठ वर्ष के बाद यह सवाल फिर ओपन होगा कि अब भाव क्या होना चाहिये। एक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश सरकार का होगा, एक उनका, और एक केन्द्रीय सरकार का होगा, तीनों तय करेंगे कि क्या भाव होना चाहिए। और अगर किसी लड़ाई के छिड़ जाने से या किसी और कारण से अल्मुनियम महंगा हो जाय, मुनाफा ज्यादा होने लगे तो फिर भी भाव बढ़ाने का सवाल पैदा हो सकता है। और इसी तरह तीन आदमियों की कमेटी भाव तय कर सकती है ८ वर्ष के अन्दर भी अगर ऐसा कोई सवाल पैदा हो जाय। एक चीज और है। इस वक्त जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारा खर्चा पड़ता है १४८ रु० फी किलोवाट, लेकिन हमको आशा है कि बहुत थोड़े दिनों के अन्दर शायद महीने डेढ़ महीने के अन्दर हमारा खर्चा और कम हो जायगा। वह कैसे? किन्हीं वजहों से, जब रिहैन्ड डैम बनने की बात हुई तो उस वक्त बहुत ज्यादा जोर इस बात पर नहीं दिया जा सका कि आखिर रिहैन्ड के बनने के बाद जो पानी है वह सारा का सारा बिहार को मिलेगा और मुफ्त मिलेगा सिंचाई के लिये जिससे कई लाख एकड़ भूमि सींची जा सकती है। बिहार वालों को कुछ ऐसा खयाल था कि आखिर यू० पी० वाले इतने पानी का करेंगे क्या? लेकिन इधर कुछ दिनों से हम इस बात के पीछे पड़े हैं, प्लानिंग कमीशन को भी बीच में डाला है और अब बिहार सरकार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि बात सिद्धान्ततः ठीक है हमको उस पानी के लिये रुपया देना चाहिये। हमारे इंजीनियर्स और उनके इंजीनियर्स तथा सेन्ट्रल पावर ऐंड वाटर कमीशन के कुछ इंजीनियर्स बैठे उन्होंने इस बात को तय किया कि बिलकुल सही बात है उत्तर प्रदेश को रुपया मिलना चाहिये, क्योंकि उस पानी से बिहार को फायदा होता है। यू० पी० को इर्रीगेशन में कोई फायदा नहीं होता। हमारा खयाल है कि हमको करीब ३ करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन मैं अभी डेफिनेटली नहीं कह सकता कि वह रकम कितनी होगी। जो कुछ भी रुपया

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मिलता है उसके बाद हमारी कास्ट आफ प्रोडक्शन और भी कम हो जायगी । इसको सुनने के बाद मैं समझता हूं किसी को और बतलाने की जरूरत नहीं हो सकती । पिछले इतिहास को देखने के बाद जिन कंडीशन्स पर हमने किया है उत्तर प्रदेश के हित को सामने रख कर ही किया है । एक बहुत बड़ी चीज अनेक राज्यों के कम्पटीशन में से अपने राज्य में खींच कर ला सके हैं ।

एक सवाल रह गया । वह यह जहां और बातों का खयाल था इंडस्ट्रीज वगैरह आयें, वह तो ठीक है, लेकिन पूरब के जिलों के लिये भी कुछ बिजली मिलनी चाहिये । इसको हम भूले नहीं । शुरू-शुरू में जब मऊ, सोहावल और गोरखपुर में थरमल स्टेशन्स खोले गये तो ख्याल यह था कि रिहन्ड डैम बन जाने के बाद इन स्टेशन्स को तोड़ दिया जायगा । लेकिन फिर हमने सोचा ऐसा करना ठीक नहीं है । इन थरमल स्टेशन्स को कायम रखना चाहिए । इतना ही नहीं हमने इनकी कैपेसिटी बढ़ायी । जहां १० हजार किलोवाट थी वहां १५ हजार किलोवाट कर दी इंसटाल्ड कैपेसिटी । माननीय सदस्य जानते होंगे इंस्टाल्ड कैपेसिटी और फर्म कैपेसिटी में क्या फर्क होता है । मान लिया जाय कहीं बिजली पैदा करना है तीन इंजन लगाये जिसमें एक-एक इंजन ५,००० किलोवाट बिजली पैदा कर सकता है । उसको कहते हैं इंस्टाल्ड कैपेसिटी लेकिन जहां भी बिजली लगायी जाती है वहां कायदा यह है जितने इंजन हों सब एक साथ नहीं चलाये जा सकते । अगर ३ इंजन हैं तो १ इंजन छोड़ दिया जाता है इसलिये कि कहीं ब्रेक डाउन अगर हो जाय तो उससे काम लिया जा सके । अब यह जो हमारे तीनों स्टेशन्स हैं इनकी इंसटाल्ड कैपेसिटी १५,००० किलोवाट है लेकिन उनकी फर्म कैपेसिटी १०,००० किलोवाट है । इन तीनों को जोड़ें अगर तो यह ३०,००० किलोवाट हुई । अब जो हम करने जा रहे हैं, जिसको केन्द्रीय सरकार ने भी मंजूर कर लिया है वह यह कि मऊ, सोहावल, गोरखपुर इन तीनों को हम जोड़ने जा रहे हैं रिहन्ड के साथ । इन तीनों के लिंक होने के बाद जो फर्म कैपेसिटी होगी वह ४५,००० किलोवाट हो जायगी । इसके माने यह हैं कि जहां ३०,००० किलोवाट है वह फर्म कैपेसिटी ४५,००० किलोवाट हो जायगी और १५,००० किलोवाट खाली रहेगी वह ट्यूबवेल या छोटी इंडस्ट्रीज में ले सकते हैं ।

जहां कोई बिजली का पावर स्टेशन खड़ा किया जाता है जिस दिन बिजली पैदा होने लगती है उसी दिन खर्च नहीं होने लगती है । खर्च होने में कई वर्ष लगते हैं । जितने वक्त में रिहन्ड तैयार होता है उसी वक्त तक १५ हजार किलोवाट बिजली बिलकुल फ्री होगी उन जिलों के लिये । रिहन्ड के नीचे है ओबरा । २५ मील पर है । खयाल हुआ कि एक पावर स्टेशन २५ हजार किलोवाट का वहां भी बन सकता है । उसको मंजूर करा लिया है गवर्नमेंट आफ इंडिया से । जब रिहन्ड में पानी आ जायगा झील बन जाने के बाद तो काम करना शुरू हो जायगा और इस साल उसके लिये रुपया मंजूर होगा । बरसात खत्म होते ही ओबरा में काम शुरू हो जायगा और २५ हजार किलोवाट का स्टेशन वहां भी खुल जायगा । इस तरह से कुछ वर्षों के अन्दर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर किसी तरीके पर भी चाहे जितनी बिजली खर्च हो उसके लिये बहुत काफी बिजली हमारे पास होगी और यह बिजली उसी वक्त तैयार होगी जिस वक्त कि इन जिलों को रिहन्ड की बिजली मिल सकती ।

एक चीज और है । पूर्वी जिलों के इन कामों के लिये मुगलसराय ऐसी जगह है जहां पर कि सब तरह की इंडस्ट्रीज लोग खोलना चाहते हैं और सब बातों की लोगों को वहां सुविधा प्राप्त हो सकती है । हमारे पास सब तरह के लोग आये। वहां सर्वे किया । इतनी बिजली न रिहन्द से मिल सकती है न ओबरा से मिल सकती है इसके लिये

१ लाख किलोवाट का थरमल स्टेशन वहां बनाने की बात है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर कर लिया है। एक थोड़ा-सा मतभेद है। हमारा कहना है कि मुगलसराय के पास यह हो और उनका कहना है कि मुगलसराय से हट कर बिहार की तरफ हो, कोयला पास पड़ेगा। मुगलसराय तक कोयला पहुंचाने में दिक्कत पड़ेगी। हमारा कहना है कि मुगलसराय ही ठीक है। रेलवे वालों ने भी कह दिया है कि उनको मुगलसराय तक कोयला पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम आशा करते हैं कि बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में ही यह थरमल स्टेशन बन सकेगा। अगर यह बन जाता है १ लाख किलोवाट का थरमल स्टेशन तो हमें उम्मीद है कि १९६२ तक यह बिजली दे सकेगा। यह चीज अगर बन जाती है तो जितनी बिजली की जरूरत उस क्षेत्र में हो सकती है वह सारी की सारी बिजली इससे मिल सकेगी। अब मैं चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों को पूरा ज्ञान नहीं है ब्योरे का और जिन्होंने आलोचना की है वे हर चीज को अब सामने रखें और देखें कि इसके सारे इतिहास को ५४ से लेकर इस वक्त तक कि किस अवस्था में रिहन्ड की बिजली की बात चली, कैसे रिहन्ड और अल्युमूनियम के कारखाने की बात हमने की और उसके पश्चात् वे स्वयं निश्चय करें---हमारे कहने की जरूरत नहीं होना चाहिये---कि हमने प्रदेश के हित को पदे-पदे, हर कदम पर हमने ध्यान में रखा है या नहीं रखा है। और प्रदेश के जो हित हैं उनकी रक्षा हमने पूरी तौर से की है या नहीं की है---मुझे विश्वास है कि कोई भी माननीय सदस्य अगर निष्पक्षता से विचार करेगा तो इसी परिणाम पर पहुंचेगा कि इससे अच्छा और कोई प्रबन्ध इन बातों में नहीं हो सकता था।

एक दो बातों का जिक्र मैं और करूंगा। कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि हमारी पंचवर्षीय योजना असफल रही है। अगर असफल रही है तो दुख की बात है। हम सब लोगों के लिये दुख की बात है। लेकिन जरा हम सोचें जब हम यह कहते हैं कि पंचवर्षीय योजना असफल रही है तो किसका दोष है। पंचवर्षीय योजना बनाने में प्लानिंग कमीशन में हर तरह के आदमी हैं। कुछ कांग्रेस जन हैं, कुछ गैर कांग्रेसी जन हैं। देश के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो साइंस और सोशोलाजी के विशेषज्ञ हैं। वे सब मिल कर प्लान बनाते हैं। दुनिया भर के फीगर्स देते हैं जिनको देखकर हम घबड़ा उठते हैं। इतने लोगों की राय से यह प्लान बनता है। बनने के बाद प्लान यहां आता है। बजट इस सदन में माननीय सदस्य मंजूर करते हैं। एक व्यक्ति नहीं, करीब साढ़े ४०० विद्वान, देशभक्त, हर तरह से अनुभवी व समझदार आदमियों का आशीर्वाद इस बजट की मंजूरी में होता है। फिर वह प्लान जिलों में जाता है। वहां प्लानिंग कमेटी होती है। प्लानिंग कमेटी में माननीय सदस्य भी मौजूद रहते हैं। अगर फिर भी प्लान असफल होता है तो क्यों होता है। हमारी गलती हो सकती है। तो उस गलती के पीछे भी साढ़े ४०० आदमियों का हाथ है। फिर जिलों में अफसरों की गलती हो सकती है लेकिन अकेले अफसरों की गलती नहीं हो सकती। प्लानिंग कमेटीज में माननीय सदस्य भी होते हैं। आपका आशीर्वाद और मदद उसके साथ होती है। आपकी देखरेख में अगर प्लान अफसल होता है तो फिर किसका दोष है। पब्लिक में कहा जाता है कि प्लान अफसल हो गया, इसके मानी यह हुए कि हम असफल हुए और हमने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया। यह तो कोई ऐसी खास बात हुई नहीं। प्लान के असफल होने के माने अगर यह हैं कि देश में कोई गरीब नहीं है तो यह बात गलत है, देश में बहुत से लोग गरीब हैं, देश में बहुत से लोग भूखे हैं, बहुत से लोग अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, सच बात है।

फूड का जिक्र बहुत होता है। इस वक्त तो जो फूड है वह है, एक बात आप सोचें। जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि थर्ड फाइव इयर प्लान के अन्त तक देश की आबादी जो इस वक्त ४० करोड़ है वह ४८ करोड़ हो जायगी। अकेले उत्तर प्रदेश में जहां की इस वक्त आबादी सवा ६ करोड़ है ८ करोड़ हो जायगी। इस वक्त तो सवा ६ करोड़ आदमियों का पेट भरना मुश्किल हो रहा है और ५-७ वर्ष के बाद ८ करोड़ आदमियों का पेट भरना होगा।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

यह मामूली चीज नहीं है। जब किसी मसले पर हम गौर करें तो उसकी गम्भीरता को सोचें। इन सब बातों को अगर हम देखते हैं तो सही बात है कि हमारी एचीवमेंट्स बहुत कम हैं लेकिन इस बात को बार-बार कहने से कि हम असफल हैं, हम काम करने में समर्थ नहीं है काम नहीं चलेगा। हम सब लोग मिल कर भी काम करना चाहें, देश और प्रदेश की उन्नति करना चाहें और फिर भी हालत न सुधरे यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। हमें सम्भूय समुत्थान की बात सोचनी चाहिये। हमारी सेकेंड प्लान खत्म होने को आयी है लेकिन जो कुछ भी समय रह गया है इसमें भी अगर हम सब लोग मिल कर कोशिश करें तो मुझको कोई सन्देह नहीं है कि अपने प्रदेश की हम उन्नति कर सकते हैं। मुझे इतना ही निवेदन करना है और मैं आशा करता हूं कि जो हमारे सामने माननीय राज्यपाल को धन्यवाद देने का प्रस्ताव रखा गया है उसको यह सदन स्वीकार करेगा।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, परम्परावश मेरा कर्त्तव्य है कि उन सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस वाद विवाद में भाग लिया धन्यवाद दूं, लेकिन मान्यवर, केवल शिष्टाचार और परम्परावश ही नहीं मैं हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं अपने मूल्यवान विचार इस सदन के सामने प्रस्तुत करने के लिये जिससे इस प्रदेश की प्रगति में सहायता अवश्य मिलेगी।

मान्यवर, मैंने अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय एक निवेदन किया था और यह कहा था कि यदि हम इस दृष्टिकोण से इस सम्बोधन को देखेंगे कि हमारी क्या कल्पनायें हो सकती थीं अपने प्रदेश की प्रगति के बारे में और क्या-क्या आकांक्षायें हो सकती थीं तो कदाचित् वह तालिका जिसमें संशोधनों का समावेश था वह ठीक ही होगी। सारा वाद-विवाद सुनने के बाद भी वही बात सामने आयी। मैंने देखा कि विरोधी दल के कई माननीय सदस्य यह कहने के लिये बाध्य हुये कि इसमें जितने भी अमेंडमेंट्स आये हैं वे भी नाकाफी हैं और उनसे बहुत अधिक कहा जा सकता है। मेरी राय में वह पूर्ण सत्य था। यों तो जब माननीय विरोधी दल के नेता या दूसरे दलों के नेताओं ने संशोधन दिये होंगे तो जितनी भी बातों की कल्पना उस समय वे कर सकते थे उन सभी का समावेश उन्होंने अवश्य कर दिया होगा। विशेषतयः इसलिये कि उनका उत्तरदायित्व उतना कठिन नहीं था जितना कदाचित् माननीय राज्यपाल या उनकी सरकार का था, क्योंकि उन पर तो उसके कार्यान्वित करने का भी भार था। माननीय विरोधी दल के नेता या दूसरे नेताओं के लिये तो उसका समावेश कर देना चाहे वह एक अव्यावहारिक यूटोपिया ही क्यों न हो पर्याप्त था लेकिन फिर भी यह कहना पड़ा कि वह भी काफी नहीं है। लेकिन सारे वाद-विवाद से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो कुछ हमारे प्रदेश में हुआ और जिन कार्यों को करने के लिये संकल्प किया गया है उससे हमें संतोष हो सकता है। मान्यवर, अधिकतर माननीय सदस्यों ने या तो उन बातों का समर्थन किया है जिनका राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में जिक्र था या जैसा कि मैंने निवेदन किया कि ऐसा कहा है कि इसमें और बातें हो सकती थीं।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि मैंने बड़े आदरपूर्वक विरोधी दल के नेता के भाषण को सुना क्योंकि जिस तरह से राज्यपाल का भाषण सरकारी नीति का प्रतीक होता है उसी तरह से हम आशा करते हैं कि विरोधी दल के नेता का भाषण उस नीति की झलक दे और बताये उनकी आकांक्षायें क्या हो सकती हैं? मैं आशा करता था कि वह कम से कम इस सम्बोधन में उन महत्वपूर्ण और क्रान्तिकारी निश्चयों का स्वागत करेंगे और पूर्णतया उनका समर्थन करेंगे जिनकी मांग इधर से नहीं बल्कि उधर से भी हमेशा होती रही है। मेरा इशारा उनके बारे में है जो जमीन के विषय में निश्चय हमारे सामने आने वाले हैं जैसे सीलिंग, कोआपरेटिव फार्मिंग, और स्टेट ट्रेडिंग आदि। आचार्य दीपङ्कर जी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने इनका स्वागत किया और अपनी जुबान से कहने की कृपा की कि इस तरफ के बैठने वालों के हृदय में भी जीवात्मा है और

जीवित प्रवृत्तियां हैं । उन्होंने इस ओर भी संकेत किया जो प्रतिक्रियावादी लोग मोर्चा खड़ा कर रहे हैं और उसका मुकाबला करने के लिये उन्होंने आश्वासन दिया कि वह अपना सहयोग देंगे ।

मैं आशा करता था कि माननीय नेता विरोधी दल इस ओर प्रकाश डालेंगे कि इन महान् निश्चयों का मुकाबला करने के लिये प्रतिक्रियावादी मोर्चा खड़ा कर रहे हैं, उसका सामना कैसे किया जाय मैं यह भी आशा करता था कि उनके भाषण में तृतीय पंचवर्षीय योजना जो एक साल बाद आने वाली है उसकी रूपरेखा के बारे में उनके विचारों की एक झलक होगी जिससे प्रदेश का बड़ा लाभ हो सकता था ।

खाद्यान्नों के बारे में भी जिक्र हुआ और खाद्य समस्या के ऊपर भी काफी जिक्र हुआ । सरकारी आंकड़े प्रस्तुत किये गये, अखबारी आंकड़े प्रस्तुत किये गये जिससे सिद्ध होता है कि जितनी कठिनाई पिछली साल थी इस साल नहीं है लेकिन एक सदस्य ने कह दिया कि गेहूं ३१ रुपये मन बिक रहा है । कहीं बिक रहा होगा लेकिन वहां के निवासी इतने पंगु हैं तो उसका कोई इलाज सदन के पास नहीं हैं ।

श्रीमन्, अन्य बातों के जवाब देने की जरूरत नहीं रही क्योंकि माननीय नेता सदन उन पर प्रकाश डाल चुके हैं । एक बात की तरफ मैं और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात पर बड़ा जोर दिया, बड़ी आपत्ति की और रोष भी प्रगट किया, वह यह थी कि कदाचित् किसी संयोग से माननीय राज्यपाल के सम्बोधन में जहां डाकुओं का जिक्र है वहीं सत्याग्रह का भी जिक्र आ गया है । मैं यह समझता था कि कदाचित् एक वाक्य में जिक्र होगा । लेकिन मैंने पूरा पैरा पढ़ा तो मालूम हुआ कि दोनों एक दूसरे से बिलकुल अलग हैं । एक किताब में कहीं डाकू का जिक्र है और वहीं सत्याग्रह का भी जिक्र है या एक पेज पर कहीं दोनों का जिक्र है तब सरकार पर यह दोष लगाना और इतने बल के साथ, कि सरकार डाकुओं और सत्याग्रहियों को एक साथ रखती है, यह वैसी ही बात है जैसी पिछले साल सुनी थी कि जेल के आदमी पर उससे ज्यादा खर्चा होता है जितना एक बाहर के आदमी पर होता है । मैं नहीं जानता । वे राजनीति के प्रकांड पंडित हैं । शायद ऐसी एक बात का कहना भाषण का विभूषण होता होगा । लेकिन मैं तो समझ नहीं सका ।

कुछ मित्रों ने यह कहा कि आज सरकार का ध्यान ग्रामों की ओर नहीं है । मैं कैसे कहूं यह बात ठीक है । यदि जितनी योजनायें चल रही हैं उनका जरा भी निरीक्षण किया जाय तो कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति इस नतीजे पर जायेगा कि सारी योजनायें ग्रामोत्थान के लिये कार्यान्वित की जा रही हैं । कहा गया कि शहरों पर खर्चा ज्यादा होता है । यह स्वाभाविक है । शहरों में यूनिवर्सिटी, अस्पताल और अदालतें होती हैं जिनका फायदा गांवों को भी मिलता है । इस प्रकार यह स्वाभाविक है कि उस तरह से कुछ खर्चा शहरों पर ज्यादा होगा । यह आवश्यक है, और मैं स्वयं इसमें विश्वास करता हूं कि भारत के प्राण ग्राम हैं । ग्रामोत्थान से ही देश का उत्थान हो सकेगा । लेकिन आज जहां सैकड़ों वाद चल रहे हैं वहां ग्राम और नगरवाद भी शुरू कर दिया जाय और हम इस तरह से रखें कि गांवों और शहरों में भी कोई होड़ हो रही है, तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा ।

एक बात मैं एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी के पृथक् होने के सम्बन्ध में भी संक्षेप में कहना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में मैं माननीय नेता विरोधी दल से अक्षरशः सहमत हूं । हमारे इधर के एक सज्जन ने यह कहा कि जुडीशियरी बेईमानी करने में मदद देती है । मैं केवल इसलिये जिक्र कर रहा हूं कि यह किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती लेकिन इधर के सब बैठने वालों की यह राय नहीं है । आज जिस तरह से ला का ऐडमिनिस्ट्रेशन है अगर उसमें बेईमानी होती है तो उसकी जिम्मेदारी लेजिस्लेशन पर है । हमने आज ला के जरिये ऐसा सिस्टम बनाया है कि जुडिशियल ला का इंटरप्रिटेशन टेक्निकल जस्टिस होता है । अगर उसमें तब्दीली की जरूरत है तो लेजिस्लेचर को अख्तियार है कि सिस्टम को बदल सकता है । जो कानून बना है उसको कार्यान्वित करने में बेईमानी होती है । तो उसको बदलने की आवश्यकता है । मेरा ऐसा

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

विश्वास है कि हम अपनी जुडीशियरी पर गर्व कर सकते हैं और हमारी जुडीशियरी, विशेषकर हमारे प्रदेश की जुडीशियरी लोकतंत्र की महिमा और गरिमा को बढ़ा रही है । मुझे बड़ा हर्ष हुआ जब नेता सदन ने इस विषय में पुन: कहा कि हम इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और कर चुके हैं, इसलिये जहां तक सरकार की नीति का सम्बन्ध है नेता सदन ही अन्तिम दिशा में व्याख्या कर सकते हैं ।

अन्त में एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं । माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने महामना राज्यपाल के आखिरी पैराग्राफ की ओर संकेत किया और उन्होंने इस बात पर आपत्ति की कि महामना राज्यपाल के लिये-शब्द तो उनके बड़े सुन्दर थे, संसदीय भाषा में, लेकिन उनका मतलब यही था,कदाचित उचित न था या शोभा नहीं देता था कि वे इस सदन के सदस्यों को इस बात की याद दिलाते कि आज हमारा लोकतंत्र शैशव काल में है । उसकी रक्षा का भार हम सब पर है । या वह यह याद दिलाते कि हम इस सदन में बैठ कर ऐसा कार्य करें जिससे इस सदन की गरिमा और महिमा बढ़े । मैं यह समझता हूं कि इस तीन रोज के वादविवाद के सुनने के बाद माननीय विरोधी दल के नेता का विचार कदाचित् बदल चुका हो । वह भी शायद समझते हों कि जो कुछ भी इन तीन दिनों में हुआ उससे ही यह सिद्ध होता है कि इस तरफ महामान्य राज्यपाल का ध्यान दिलाना उचित था । श्रीमन्, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक लोकतंत्र का सम्बन्ध है उसका संरक्षण, उसकी पुष्टि और उसकी जड़ों को मजबूत करने का दायित्व न केवल सरकार पर हो सकता है और न कभी किसी देश में केवल सरकार के सहारे वह पनपा या पनप सकता है । आज कोई भी सरकार हो, कांग्रेस सरकार खत्म हो जाय, इससे देश का कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन अगर लोकतंत्र जिसके आधार पर आज सारी पार्टियां बनी हुई हैं और जिसमें वह निश्चित रूप से एकाध पार्टी को छोड़कर आस्था रखते हैं अगर उस लोकतंत्र की जड़ें हिल जायं तो हमारे देश और प्रदेश का बड़ा भारी अहित होगा । मान्यवर, यह सलाह केवल इधर के बैठने वालों को नहीं थी, इधर और उधर दोनों तरफ बैठने वाले सदस्यों को थी और मैं समझता हूं कि यह सबसे आवश्यक बात थी । आज लोकतंत्र यह भी हमसे तकाजा करता है, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य हूं आज मेरा यह कर्त्तव्य है और मेरा अधिकार है कि अगर सरकार कोई गलत कार्य कर रही हो तो मैं भरसक प्रयत्न करके सरकार को बताऊं कि यह काम गलत है और एक सीमा के अन्दर रहते हुये इस सदन में भी उसका विरोध करूं, लेकिन जिस दिन मेरा यह विश्वास हो जाय कि यह सरकार कोई ठीक काम कर ही नहीं रही है तो राजनीतिक ईमानदारी मुझसे यह मांग करती है कि मैं इस सदन का त्याग करूं, मैं इस्तीफा दूं । मैं केवल यहां पर खड़े होकर यह कह दूं कि यह सरकार बेईमान है, सरकार के सारे कार्य गलत हैं तो मैं उस लोकतांत्रिक प्रणाली को बल नहीं दूंगा बल्कि उस पर कुठाराघात करूंगा । मेरा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि सबसे पहले मैं अपना सम्बन्ध उस पार्टी से विच्छेद करलूं और फिर एलेक्टोरेट्स के सामने जाकर कहूं—कृपया शान्ति से सुनें—उस शक्ल में मेरा यह कर्त्तव्य हो जायगा कि मैं अपने एलेक्टोरेट्स के पास जाकर दुबारा उनका वडिक्ट लूं और तब उधर बैठकर जो चाहे कहूं ।

अन्त में मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूं कि जो महामान्य राज्यपाल ने संकेत किया था वह समय की आवश्यकता है, परिस्थितियां चिल्ला-चिल्ला कर इसकी मांग कर रही हैं कि आज हम कुछ करें और चाहे जो कुछ करें लेकिन इस बात में एकमत होकर अग्रसर हों कि हम प्रण करें कि लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देंगे । अगर लोकतंत्र कमजोर हुआ जो कि आज शैशवावस्था में है तो उससे हमारे देश की प्रगति को हानि पहुंचेगी । मेरा ऐसा विश्वास है कि भारतवर्ष की जो परम्परा है, लोकतंत्र बिलकुल उसके अनुकूल है, लोकतंत्र उसमें पनपेगा और यह जो मामूली झोंके और तूफान आते रहते हैं वह उसकी जड़ों को हिला नहीं सकेगा । इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन पर कृतज्ञता प्रकट करने का रखा है, उसका समर्थन करें ।

श्री त्रिलोकीसिंह---अध्यक्ष महोदय, अब समय दस ग्यारह मिनट ही रह गया है लेकिन मैं आज के लिये नहीं आगे के लिये जब कभी राज्यपाल के सम्बोधन पर वाद-विवाद हो, शुक्रिया के प्रस्ताव पर तो मैं आपसे यह व्यवस्था चाहूंगा कि जो संशोधन पेश करने वाले हैं उनको भी सदन के नियमों के अनुसार और संसदीय प्रथा के अनुसार जवाब दन का हक होना चाहिये । आज चूंकि मौका नहीं है इसलिये मैं यह नहीं चाहूंगा कि इस दस मिनट के अन्दर कोई जवाब दिया जाय । लेकिन बहुत नम्रतापूर्वक यह आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार उनके अधिकार से उनको महरूम रखना यह ठीक बात नहीं है ।

दूसरी बात यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यह निवेदन कर दूं महज इतना इसी वादविवाद के सिलसिले में कि मुझे बड़ा दुःख हुआ जब प्रस्तावक महोदय ने एक बात कही और उसका समर्थन इतने बड़े अनुभवी, योग्य और संसदीय प्रथा से भिज्ञ माननीय गृह मंत्री ने भी किया। बात यह थी कि इस तरफ के बैठने वाले सदस्यों ने जो राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में बातें कही गई थीं उनका जिक्र नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर की आज्ञा से और इस सदन के हर माननीय सदस्य का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरी यह मजबूरी है कि इस सदन के एक सेवक के नाते जो संसदीय परम्परायें हैं, उसके नियम हैं, मैं उनसे अपने को बंधा मानता हूं ।

यह हो सकता है कि उधर के बैठने वाले अपने को उससे परे समझते हों लेकिन मेरी मजबूरी है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब गवर्नर महोदय के सम्बोधन पर कोई वादविवाद होगा तो वह विवाद का समय अपोजीशन का टाइम है । सरकार का टाइम नहीं है । मैं यह समझता था बहैसियत अपोजीशन का लीडर होने के नाते कि जितने प्रश्न मैंने उठाये हैं उनके ऊपर ही सारा डिस्कशन महदूद रहेगा । जो दूसरी बातें हैं वह तो जब बिल आयेंगे तब विवाद होगा ही । यह अपोजीशन का टाइम है इसके सम्बन्ध में मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के १६ वें एडीशन के पेज ३१३ से पढ़ता हूं :—

Opposition Time

"Probably what has been said earlier is enough to make it clear that the control of time enjoyed by the opposition is entirely indirect. As to the smaller part, they find their opportunities in private members time ; as to the larger in what is nominally government time. Indirectly, through the conventions mentioned above, they control the bulk of the time allotted to the third group of business routine and financial business."

अब इसके आगे पेज ३१० पर यह लिखा हुआ है कि:

"Third group : Routine and Financial business:—

1. The address in reply to the Queen's speech (*see* page 306)."

यहां पर क्वीन की जगह गवर्नर का नाम रख दिया जाय। इसमें यह है कि अपोजीशन जिन बातों का जिक्र करे उनके ऊपर ही डिस्कशन सीमित रहेगा । वह हमसे उलटे शिकायत करते हैं कि हमने क्यों ऐसा किया । अब मैं यह निवेदन करता हूं कि जब कभी इस सदन में गवर्नर के अभिभाषण के ऊपर वाद विवाद करने का मौका हो तब अपोजीशन की तरफ से जो प्रश्न उठाये गये हैं उन पर ही डिस्कशन सीमित रहे ।

श्री अध्यक्ष---जहां तक माननीय नेता विरोधी दल ने यह कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में संशोधन आते हैं उस पर संशोधन करने वालों को भी आइन्दा मौका देना चाहिये जवाब देने का, तो नये नियमों के हिसाब से यह मौका मिलेगा और मिलना चाहिये लेकिन अभी जिन लोगों ने अपने संशोधन दिये थे उन्होंने उत्सुकता पहले नहीं दिखाई नहीं तो पहले से इस तरह से समय निर्धारित कर लिया जाता और मैं सब को समय दे देता । आइन्दा समय उनको दूंगा । जो बात उन्होंने कही मैं इसको स्वीकार करता हूं कि इसमें

[श्री अध्यक्ष]

जो संशोधन उपस्थित करें उनको एक दफा जवाब देने का मौका मिल जाय। उसके बाद जो मूल प्रस्तावक हैं उनका जवाब होगा। इस तरह से आइन्दा पद्धति रहेगी। उसके लिये पहले से समय बांट कर निर्णय किया जायगा।

इसका मतलब यह भी होगा कि संशोधनों के ऊपर कुछ नियंत्रण आगे करना पड़े, क्योंकि ऐसा न हो कि एक-एक पार्टी के दो-दो और चार चार संशोधन आने शुरू हो जायं। यदि ऐसा होगा तो उसके नियंत्रण का कोई न कोई रास्ता निकल आयेगा जिससे सीमित ही संशोधन रहें और जो संशोधन लायें उनको मौका जवाब देने का मिल जाय।

अब जो मूल धन्यवाद का प्रस्ताव है उस पर मैं राय ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं, श्री राज्यपाल के संबोधन के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञता पूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
३० जुलाई, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४७ पर)

३१ दिसम्बर, १९५८ तक जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत हुई है उनका जिलेवार विवरण इस प्रकार है

क्रम संख्या	जिला		क्रम संख्या	जिला	
१	मेरठ	९५	२८	जौनपुर	११०
२	मुजफ्फरनगर	१५४	२९	हरदोई	५०
३	सहारनपुर	१३३	३०	खीरी	१३९
४	बुलन्दशहर	५८	३१	बिजनौर	७७
५	देहरादून	४८	३२	बदायूं	७२
६	अलीगढ़	१५६	३३	शाहजहांपुर	१३२
७	एटा	८८	३४	पीलीभीत	३३
८	मथुरा	८४	३५	रामपुर	६१
९	मैनपुरी	३६	३६	मुरादाबाद	१९९
१०	आगरा	१६५	३७	बरेली	१३६
११	कानपुर	१९१	३८	गोंडा	९१
१२	फतेहपुर	१२३	३९	बहराइच	८४
१३	फर्रुखाबाद	८९	४०	बाराबंकी	३३
१४	इटावा	८४	४१	प्रतापगढ़	३१
१५	इलाहाबाद	२१३	४२	सुलतानपुर	२५
१६	झांसी	२९	४३	फैजाबाद	६६
१७	जालौन	८०	४४	गोरखपुर	२७
१८	बांदा	९५	४५	आजमगढ़	८०
१९	हमीरपुर	१३९	४६	देवरिया	२२
२०	वाराणसी	२१६	४७	बस्ती	७५
२१	गाजीपुर	८८	४८	नैनीताल	६८
२२	बलिया	१२३	४९	अल्मोड़ा	१०
२३	मिर्जापुर	६५	५०	गढ़वाल	९
२४	लखनऊ	४२	५१	टेहरी	३७
२५	उन्नाव	६६			
२६	रायबरेली	८४		योग	४,४७०
२७	सीतापुर	५९			

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५४ पर)

१९५८-५९ के सीजन में ३१ मार्च, १९५९ के उपरान्त चालू रहने वाली चीनी मिलों के नाम की तालिका

क्रम संख्या	मिलों के नाम	क्रम संख्या	मिलों के नाम
१	देववाला	२४	बभनाग
२	देवबन्द	२५	नवाबगंज
३	मन्सूरपुर	२६	तुलसीपुर
४	खतौली	२७	बलरामपुर
५	रोहाना	२८	प्रतापपुर
६	शामली	२९	बैतालपुर
७	सखौती टांडा	३०	गौरीबाजार
८	दौराला	३१	देवरिया
९	मोहियुद्दीन	३२	कैप्टनगंज
१०	सिम्भौली	३३	खड्डा
११	मवाना	३४	छितौनी
१२	काशीपुर	३५	लक्ष्मीगंज
१३	जसवंत	३६	रामकोला (पी)
१४	बाजपुर	३७	रामकोला (के)
१५	बहेरी	३८	पडरौना
१६	बुलन्द	३९	कठकुइंया
१७	रजा	४०	सिरोही
१८	गोला	४१	भटनी
१९	शाहगंज	४२	सरदारनगर
२०	खलीलाबाद	४३	पिपराइच
२१	मुंदरवा	४४	युबली
२२	बस्ती	४५	सिसवाबाजार
२३	वाल्टरगंज	४६	फारेन्डा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५५ पर)

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	चार्ज का विवरण
१	श्री भुल्लन लाल	कम्पोजीटर	इन्होंने अपने सहयोगी के साथ कार्यकाल में झगड़ा किया। अनुशासन भंग करने एवं आचरण सम्बन्धी नियमों की अवज्ञा के लिये अभियोग पत्र देने पर उत्तर तक नहीं दिया।
२	श्री रघुनन्दन प्रसाद	मोनो मेकेनिक	सरकारी कार्य के लिये अधिकारियों की आज्ञा का उल्लंघन किया।
३	श्री राम जग	डिस्ट्रीब्यूटर	बिना सूचना दिये कार्यालय में अनुपस्थित रहे जिसके फलस्वरूप सरकारी कार्य में क्षति पहुंची।
४	श्री इन्द्र नारायन	कम्पोजीटर	सरकारी कार्यालय में सहयोगी के साथ झगड़ा करने के लिये निलम्बित किया गया।
५	श्री कुंवर बहादुर	कम्मोजीटर	उपर्युक्त की भांति।
६	श्री कादिर खां	मशीनमैन	सरकारी कार्यालय में दंगा फसाद कर शांति भंग किया जिससे सरकारी काम में बाधा पहुंची।
७	श्री कामता प्रसाद	बाइन्डर	स्थायी आदेश संख्या १८ (अ) के उल्लंघन करने के अपराध में।
८	श्री सुकुर बहादुर	गेटमैन	बिना अनुमति प्राप्त किये कार्यकाल में वर्कशाप से गायब रहना।
९	श्री हरी बहादुर	गेटमैन	कार्यालय में सो जाने के अपराध में।
१०	श्री कासिम हुसैन	मशीनमैन	अनुशासन भंग करने के अपराध में।
११	श्री होरी लाल	मशीनमैन	उपर्युक्त की भांति।
१२	श्री रशीद हुसैन	बाइन्ड्री असिस्टेंट	अपने इंचार्ज की उचित आज्ञाओं के उल्लंघन करने के अपराध में।
१३	श्री हामिद अहमद अली	बाइन्ड्री असिस्टेंट	स्थायी आदेश संख्या १८ (अ) एवं १८ (एच) का उल्लंघन करने के अपराध में।
१४	श्री मुहम्मद इब्राहिम	बाइन्ड्री असिस्टेंट	एक कर्मचारी श्री चोखाराम को कार्यालय के अन्दर मारने तथा घायल करने के अपराध में।
१५	श्री मुहम्मद याकूब	मेटलमेल्टर	सरकारी माल की चोरी करने के अपराध में।
१६	श्री हकिम उद्दीन	मशीनमैन	ताजीरातहिन्द की धारा १६७। यू० एस० ३०८ के अन्तर्गत फंस जाने के कारण।
१७	श्री पुत्तीलाल	बाइन्डर	प्रेस के भीतर कार्यालय में झगड़ा करने के अपराध में।

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	चार्ज का विवरण
१८	श्री मोही उद्दीन	बाइन्डर	उपर्युक्त की भांति ।
१९	श्री रामचन्द्र	बाइन्डर	कार्यालय में सो जाने के अपराध में ।
२०	श्री सगीर उद्दीन	बाइन्डर	उपर्युक्त के अनुसार ।
२१	श्री अब्दुल हबीब	बाइन्डर	प्रेस में सिगरेट पीने तथा अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करने के अपराध में ।
२२	श्री शिवलोचन मिश्रा	कम्पोजीटर	हाजिरी देकर बिना अनुमति प्राप्त किये भाग जाने के अपराध में ।
२३	श्री महरानीदीन पांडेय	मोनोकास्टर	एक बार अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करने तथा दूसरी बार एक क्रिमिनल केस में फंस जाने के कारण ।
२४	श्री रशीद हुसैन	बाइन्ड्री असिस्टेंट	अपने भारवाहक के प्रति अनुचित शब्दों का प्रयोग करने के अपराध में ।
२५	श्री गुलाबचन्द	बाइन्ड्री असिस्टेंट	कार्यालय में लड़ाई करने के अपराध में ।
२६	श्री बच्चू	बाइन्ड्री असिस्टेंट	उपर्युक्त की भांति ।
२७	श्री विशुनदत्त पांडे	बाइन्ड्री असिस्टेंट	ताजीरात हिन्द की धारा १६३ यू० एस० ३०७ के अन्तर्गत फंस जाने के अपराध में ।
२८	श्री हनुमान प्रसाद मिश्र ।	बाइन्ड्री असिस्टेंट	उपर्युक्त की भांति ।
२९	श्री ठाकुर प्रसाद	गेट जमादार	अनाधिकृत अवकाश पर बैठ जाने के कारण ।
३०	श्री हुसैन अहमद	जी० पी० पी०	कार्यालय में सो जाने तथा अनुशासन भंग करने के अपराध में ।
३१	श्री नूर मुहम्मद	मशीनमैन	सरकारी माल (दो हैम्मील क्वीन कीज) को बाहर ले जाने के अपराध में ।
३२	श्री कादिर खां	मशीनमैन	ताजीरात हिन्द की धारा २९४ के अन्तर्गत फंस जाने के कारण ।
३३	श्री संगमलाल	बाइन्डर	ताजीरात हिन्द की धारा ३५४ के अन्तर्गत फंस जाने के कारण ।
३४	श्री मोही उद्दीन	बाइन्ड्री असिस्टेंट	उपर्युक्त के अनुसार ।
३५	श्री शीतला बख्श सिंह	गेटमैन	कार्यालय में शराब पीकर आने के अपराध में ।
३६	श्री बाबूलाल	स्टोनहैन्ड	सरकारी माल चुराने के अपराध में ।
३७	श्री रामजीदास मदन	मशीनमैन	भारवाहक के आदेश का उल्लंघन एवं सरकारी समय नष्ट करने के अपराध में ।
३८	श्री मुहम्मद अयूब खां	पेपर ब्वाय	एक क्रिमिनल केस में फंस जाने के अपराध में ।
३९	श्री शोकत खां	लीथो असिस्टेंट	एक क्रिमिनल केस में पुलिस के हाथ गिरफ्तार होने के अपराध में ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६० पर)

सूची 'क'

अलीगढ़ जिले में १ अप्रैल, १९५७ से ३१ अगस्त, १९५८ तक भिन्न-भिन्न उद्योगों हेतु ऋण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रों की प्राप्ति तथा स्वीकृति का विवरण

क्रम संख्या	उद्योग का नाम	प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	स्वीकृत प्रार्थना पत्रों की संख्या
१	२	३	४
१	कालीन बनाना	१	—
२	लौह उद्योग	३५	७
३	धातु उद्योग	३	३
४	बिजली का सामान	१३	७
५	साबुन उद्योग	३	—
६	इमारती सामान	१४	४
७	बेबी फिटर	१	—
८	खंडसारी उद्योग	६	१
९	छापाखाना	१	—
१०	शक्ति चालित कर्घा	२	१
११	मधुमक्खी पालना	१	१
१२	साइकिल के भाग	१	१
१३	डेरी उद्योग	८	—
१४	रेखागणित से सम्बन्धित यंत्र	१	१
१५	मिट्टी की तश्तरी	१	१
१६	इंजीनियरिंग वर्कशाप	२	१
१७	सिगरेट लाइटर	१	१
१८	हड्डी चूर्ण उद्योग	१	१
१९	औषधि निर्माण	२	—
२०	कांच की वस्तुओं के सांचे	१	१
२१	डुप्लीकेटर	१	१
२२	एल्बोक्लिप	१	—
२३	कत्था उद्योग	१	—
२४	अखाद्य तेल	२	१
२५	कलई आदि करना	२	१
२६	तम्बाकू उद्योग	१	१
२७	फर्नीचर उद्योग	३	—
२८	खाद्य तेल	३	—
२९	चूना उद्योग	२	१
३०	खिलौने बनाना	४	—
३१	काष्ठ कला	१	—
३२	कैंची बनाना	१	—
३३	बिल्ले तथा बटन बनाना	२	—

क्रम संख्या	उद्योग का नाम			प्राप्त प्राथना पत्रों की संख्या	स्वीकृत प्रर्थना पत्रों की संया
१	२			३	४
३४	घंटी तथा जंजीर बनाना	..	..	१	—
३५	तीन पहिये की साइकिल	..	..	१	१
३६	सोने चांदी की तारकशी	..	..	१	१
३७	चर्म उद्योग	..	..	१	१
	समष्टि	..		१२६	३९

सूची 'ख'

अलीगढ़ जिले में १ अप्रैल, १९५७ से ३१ अगस्त, १९५८ तक भिन्न-भिन्न उद्योगों हेतु दी गई धनराशि का विवरण

क्रम संख्या	उद्योग का नाम				वितरित की गई धनराशि (रुपयों में)
					रु०
१	लौह उद्योग	..	..	..	१८,०००
२	धातु उद्योग	..	..	..	६,०००
३	बिजली का सामान	..	..	..	१३,०००
४	इमारती सामान	..	..	..	५,५००
५	खंडसारी उद्योग	..	..	..	१०,०००
६	मधुमक्खी पालना	..	..	..	२,५००
७	रेखागणित से सम्बन्धित यंत्र	..	..	..	५,०००
८	अखाद्य तेल	..	..	..	८,०००
९	कलई आदि करना	..	..	..	५,०००
१०	तम्बाकू उद्योग	..	..	..	३,०००
११	चूना उद्योग	..	..	..	२,०००
१२	तीन पहिये की साइकिल	..	..	..	१,०००
१३	सोने चांदी की तारकशी	..	..	..	२,०००
१४	चर्म उद्योग	..	..	..	२,०००
	योग		..		८३,०००

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६० पर)

अधिकारियों की सूची

क्रमांक	अधिकारी तथा उनकी संख्या		स्थान
१	सहायक श्रमायुक्त	२	कानपुर प्रधान कार्यालय
२	श्रम अधिकारी	३	" "
३	दूकानों के प्रति मुख्य निरीक्षक	१	" "
४	संराधन अधिकारी एवं अतिरिक्त संराधन अधिकारी	६	सहायक श्रमायुक्त कानपुर का कार्यालय
५	श्रम निरीक्षक	६	" "
६	श्रम निरीक्षक, फर्रुखाबाद	१	सहायक श्रमायुक्त कानपुर के अधीन
७	श्रम निरीक्षक, उरई	१	" "
८	श्रम निरीक्षक हमीरपुर	१	" "
९	अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी	१	लखनऊ
१०	श्रम निरीक्षक	५	"
११	श्रम निरीक्षक, फैजाबाद	१	फैजाबाद
१२	श्रम निरीक्षक	१	सीतापुर
१३	श्रम निरीक्षक	१	उन्नाव
१४	श्रम निरीक्षक	१	लखीमपुर
१५	श्रम निरीक्षक	१	बाराबंकी
१६	श्रम निरीक्षक	१	हरदोई
१७	अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी	१	गोरखपुर
१८	श्रम निरीक्षक	२	"
१९	श्रम निरीक्षक	१	गोंडा
२०	श्रम निरीक्षक	१	देवरिया
२१	श्रम निरीक्षक	१	पडरौना
२२	श्रम निरीक्षक	१	बस्ती
२३	श्रम निरीक्षक	१	बहराइच
२४	श्रम निरीक्षक	१	आजमगढ़
२५	अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी	१	इलाहाबाद
२६	श्रम निरीक्षक	५	"
२७	श्रम निरीक्षक	३	वाराणसी
२८	श्रम निरीक्षक	१	भदोही (वाराणसी)
२९	श्रम निरीक्षक	१	मिर्जापुर
३०	श्रम निरीक्षक	१	जौनपुर
३१	श्रम निरीक्षक	१	बांदा
३२	श्रम निरीक्षक	१	प्रतापगढ़
३३	श्रम निरीक्षक	१	गाजीपुर
३४	प्रादेशिक संराधन अधिकारी	१	आगरा
३५	अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी	१	"
३६	श्रम निरीक्षक	५	"

क्रमांक	अधिकारी तथा उनकी संख्या		स्थान
३७	श्रम निरीक्षक	२	फीरोजाबाद
३८	श्रम निरीक्षक	१	हाथरस
३९	श्रम निरीक्षक	१	मथुरा
४०	श्रम निरीक्षक	१	झांसी
४१	श्रम निरीक्षक	१	ललितपुर
४२	श्रम निरीक्षक	१	शिकोहाबाद
४३	श्रम निरीक्षक	१	अलीगढ़
४४	प्रादेशिक संराधन अधिकारी ..	१	मेरठ
४५	अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी	१	,,
४६	श्रम निरीक्षक	५	,,
४७	अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी	१	सहारनपुर
४८	श्रम निरीक्षक	३	,,
४९	श्रम निरीक्षक ..	२	देहरादून
५०	श्रम निरीक्षक ..	१	बुलन्दशहर
५१	श्रम निरीक्षक	१	मुजफ्फरनगर
५२	प्रादेशिक संराधन अधिकारी ..	१	बरेली
५३	श्रम निरीक्षक	५	,,
५४	अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी	१	रामपुर
५५	श्रम निरीक्षक	२	,,
५६	श्रम निरीक्षक	१	मुरादाबाद
५७	श्रम निरीक्षक	१	चन्दौसी
५८	श्रम निरीक्षक	१	शाहजहांपुर
५९	श्रम निरीक्षक	१	बिजनौर
६०	श्रम निरीक्षक	१	पीलीभीत
६१	श्रम निरीक्षक	१	किच्छा (नैनीताल)
६२	श्रम निरीक्षक	५	प्रधान कार्यालय कानपुर

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६० पर)

ग्राम पुनर्निर्माण अग्रगामी योजना, इटावा की रूप-रेखा

ग्राम पुनर्निर्माण अग्रगामी योजना का लक्ष्य स्वावलम्बन के आधार पर गांवों का पुनर्निर्माण करना है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम निवासियों को इस बात की प्रेरणा दी जाती है कि वे अपने खाली समय का उपयोग अपने भवन-निर्माण तथा तत्सम्बन्धी सामान बनाने में करें जिससे कम से कम लागत में उनके मकान का पुनर्निर्माण सम्भव हो सके। भवन-निर्माण में स्थानीय उपलब्ध सामान का अधिकाधिक उपयोग करना और ग्रामीणों की आवश्यकतानुसार उनके मकानों के नक्शों का सुधार इस योजना की मुख्य विशेषता है।

यह योजना इटावा जिले के निम्नलिखित गांवों में चल रही है :—

(१) महेवा अग्रगामी योजना क्षेत्र—

१—ग्राम भरईपुर।

२—ग्राम भवानीपुर।

(२) भाग्यनगर अग्रगामी योजना क्षेत्र—

१—ग्राम हरी का पुरवा।

(३) अजीतमल अग्रगामी योजना क्षेत्र—

१—ग्राम अदोत का पुरवा।

सम्पूर्णानन्द,
मुख्य मंत्री।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६० पर)

ग्राम पुर्नानिर्माण अग्रगामी योजना, इटावा की प्रगति

ग्राम पुर्नानिर्माण अग्रगामी योजना इटावा की ३० जून, १९५९ तक की प्रगति इस प्रकार है :—

चार गांवों के कुल २८० परिवारों में से १८४ परिवारों को संगठित किया जा चुका है। जिन्होंने श्रमदान द्वारा अपने-अपने गृह निर्माण हेतु इस प्रकार कार्य सम्पादित कर लिया है :—

(१) व्यक्तिगत कार्य—

१—पक्की ईंटों का बनाना	५० लाख
२—पक्के मकानों का पुर्नानिर्माण या नव-निर्माण आरम्भ	७५ मकान

(२) सार्वजनिक कार्य—

१—पक्की गली मुंदी हुई नालियों सहित ..	८०० फुट लम्बी
२—सार्वजनिक पशुशाला	१
३—उन्नतिशील पानी पीने के कुएं	८
४—सार्वजनिक उद्यान की तैयारी	१

उपर्युक्त कार्य के अतिरिक्त दो ग्रामों की "सहकारी ग्राम पुनः निर्माण समिति" बन कर सरकार द्वारा रजिस्टर हो चुकी है और इनके द्वारा दोनों ग्रामों में ईंट के भट्ठे चलने लगे हैं।

अन्य दो ग्रामों में भी इसी प्रकार की समितियां बन चुकी हैं और उनकी रजिस्ट्री के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही ह।

सम्पूर्णानन्द,
मुख्य मंत्री।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६२ पर)

बलिया जिले में सन् १९५६–५७ में १,५८,६९८ रुपये की आर्थिक सहायत. निम्नलिखित उद्योग धंधों के निमित्त दी गई

	उद्योग का नाम	धनराशि रुपये
१	गुड़ उद्योग	२,४४०
२	चर्म उद्योग तथा चर्म शोधन	३५,०००
३	खादी उद्योग	७९,०९१
४	हथकरघा उद्योग	२५,९६७
५	जिल्दसाजी	१,०००
६	इंजीनियरिंग वर्क्स	२,०००
७	होजरी वर्क्स	२,०००
८	साबुन बनाना	२,४५०
९	बढ़ईगीरी	२,३००
१०	स्प्रेपेन्टिंग	५००
११	स्मिथी	१,४५०
१२	कार्ड बोर्ड के बक्से बनाना	२,५००
१३	हवन सामग्री तथा धूपबत्ती बनाना	२,०००
	योग ..	१,५८,६९८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६४ पर)

तालिका

गन्ना कर की स्थिति जो १ जुलाई, १९५९ तक वसूल नहीं हुई

क्रम-संख्या	फैक्टरी का नाम	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-५९	योग
१	सरदार नगर	..	..	..	..	१४.१०	१४.१०
२	पिपराइच	..	२.०५	४.७०	..	५.१९	११.९४
३	घुघली	..	..	..	..	३.९०	३.९०
४	सिसवाबाजार	..	..	..	..	५.१४	५.१४
५	फरेंदा	..	..	..	..	३.८८	३.८८
६	परताबपुर	..	..	..	..	३.८६	३.८६
७	बैतालपुर	..	..	..	..	५.८९	५.८९
८	गौरीबाजार	..	..	..	..	३.८९	३.८९
९	देवरिया	..	..	..	..	६.१२	६.१२
१०	कप्तानगंज	..	..	..	..	३.८३	३.८३
११	खादा	..	६.५२	२.९७	३.२८ ·२४	४.९७	१७.९८
१२	छितौली	..	..	..	..	४.५६	४.५६
१३	लक्ष्मीगंज	..	..	१.९०	४.०५ १.००	..	६.९५
१४	रामकोला (क)	..	..	२.९४	४.५१ ..	५.१८	१२.६३
१५	पडरौना	..	..	..	..	५.०५	५.०५
१६	कठकुइयां	..	..	..	..	३.३०	३.३०
१७	भटनी	..	..	..	..	३.५९	३.५९
१८	मुन्देरवां	..	..	..	..	३.०५	३.०५
१९	खलीलाबाद	..	..	..	..	३.०१	३.०१
२०	नवाबगंज	..	..	..	..	५.५४	५.५४
२१	बलरामपुर	..	..	..	..	२.६०	२.६०
२२	तुलसीपुर	..	..	..	..	२.६८	२.६८
२३	जरवलरोड	..	..	..	२.४१ २.३२	३.३१	८.०४
२४	बुढ़वल	..	..	..	..	.४२	.४२
२५	बाराबंकी	..	..	..	..	४.१५	४.१५
२६	शाहगंज	..	..	..	..	४.००	४.००
२७	बिस्वा	..	..	..	..	१.९३	१.९३
२८	महोली	..	..	..	.१८ ..	३.४९	३.६७
२९	मसोधा	..	..	..	..	४.९९	४.९९
३०	एरा	..	..	..	..	३.०९	३.०९
३१	बरेली	..	..	..	८.७७	३.७६	१२.५३
३२	पीलीभीत	..	..	..	..	७.१३	७.१३
३३	बिजनौर	..	..	..	१.७३ ..	५.९३	७.६६
३४	धामपुर	..	..	..	..	५.७९	५.७९

क्रम-संख्या	फैक्टरी का नाम		१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-५९	योग
३५	दुइवाला	..	..	..	..	..	.४७	.४७
३६	देवबन्द	..	..	..	..	..	१०.७९	१०.७९
३७	सहारनपुर	..	..	..	..	..	८.२४	८.२४
३८	इकबालपुर	..	१.६६	९.४९	८.००	८.६८	६.४९	३४.३२
३९	अब्दुल्लापुर	..	..	३.१८	..	..	..	३.१८
४०	मन्सूरपुर	..	..	..	..	..	१३.३३	१३.३३
४१	खतौली	..	..	..	..	..	१२.४६	१२.४६
४२	शामली	..	..	..	..	..	१६.५१	१६.५१
४३	सखौती टांडा	..	..	..	..	..	४.९४	४.९४
४४	मोहिद्दीनपुर	..	..	..	..	..	४.२१	४.२१
४५	मोदीनगर	..	..	..	..	..	.२२	.२२
४६	पन्नीनगर	..	..	..	..	·२०	६.०९	६.२९
४७	काशीपुर	..	..	..	..	..	३.२०	३.२०
४८	बाजपुर	..	..	..	..	..	२.०७	२.०७
४९	निग्रोली	..	..	..	..	..	३.२३	३.२३
५०	अमरोहा	..	..	..	..	..	९.२७	९.२७
५१	बिलारी	..	..	..	..	..	४.९७	४.९७
	योग	..	१०.२३	२५.१८	२४.१६	२१.२१	२५३.८१	३३४.५९

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१०३ एल० ए०—१९५९—८४५ ।